खण्ड-326, अंक-7
बुधवार, 16 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(7 सितम्बर, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 326 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. 591–595
प्रश्नोत्तर	.. 595–620
मन्त्रियों द्वारा प्रश्नों को स्थगित कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	620
सदन के संज्ञान में लाए जाने वाले विषयों का उत्तर शीघ्र देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	621
आगरा विश्वविद्यालय में व्याप्त अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. 621–622
बांदा जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के मन्त्री श्री कामता प्रसाद शास्त्री की हत्या के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. 622–623
तहसील रसड़ा, जिला बलिया के कतिपय ग्रामों में क्षय व सुनबहरी रोग के प्रसार से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	623
थाना दशाश्वमेघ, वाराणसी के दरोगा तथा सिपाही को मुअत्तल किए जाने पर पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना (जारी)।	623–625
फैजाबाद सर्किट हाउस में बिजली से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना (जारी)	625
थाना दशाश्वमेघ, वाराणसी के दरोगा तथा सिपाही को मुअत्तल किए जाने पर पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष को सदन के संज्ञान में लाना।	626
फैजाबाद सर्किट हाउस में बिजली से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	626
माध्यमिक शिक्षक संघ, बांदा के मन्त्री श्री कामता प्रसाद शास्त्री की हत्या के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ सिंह परमार द्वारा लगाए गए आरोपों का श्री सुरेन्द्रपाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्पष्टीकरण ..	.. 626–628
विभिन्न समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम	..628–629
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 (विचारोपरान्त पारित)	.. 629–641
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 (विचारोपरान्त पारित)	.. 641–678
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	678
सीतापुर के अर्जुनपुर ग्राम में श्री राम कुमार की बिजली के तार से मृत्यु तथा उसकी पत्नी और पुत्र के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	678
नत्थियां	..679–680

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7 सितम्बर, 1977 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--345

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश,' डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणि बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाडेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री

गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री

फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाल कृष्ण, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणबीर सिंह, श्री

रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बहादुर यादव, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजे न्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर,
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री

शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह 'निर्भय', श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरीकृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 7 सितम्बर, 1977

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

देवरिया जिले की धान की फसल में खैरा तथा झुलसा रोग

**1—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में विशेषकर पडरौना व हाटा तहसील में एक लाख एकड़ क्षेत्रफल में धान की फसल में खैरा (झुलसा) रोग संक्रामक रूप से व्याप्त है ? यदि हां, तो धान की फसल में संक्रामक रूप से फैली बीमारी के निवारण हेतु क्या किया जा रहा है ?

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)---

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 679 पर)

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न आज कौशिक जी नहीं हैं इसलिए स्थगित हुआ ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष जी, श्री पुरुषोत्तम कौशिक नहीं हैं लेकिन देवरिया का मामला है, इसे लिया जाय । मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, देवरिया जनपद में. . .

श्री अध्यक्ष ---

पहले मन्त्री जी को उत्तर देने दीजिए ।

(उत्तर संलग्नक सहित पढ़ा गया ।)

श्री हरिकेवल प्रसाद---

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो सूचना पढ़ी वह ऐसा लगता है कि अधिकारी मौके पर गए नहीं, वैसे ही जो सूचना दफ्तर से आई, मन्त्री जी ने सदन में पढ़ दी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस समय उनके पास यह रिपोर्ट आई उसके पूर्व जो स्थिति थी झुलसा रोग की उस झुलसा रोग से जो धान पर लगा है, वह रुक गया है या आगे बढ़ रहा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

यह सूचना प्राप्ति के बाद ऐसा नहीं है कि शासन ने जो जिला कृषि अधिकारी थे उस पर ही विश्वास किया, यहां से हेडक्वार्टर से भी आफिसर भेजे गए,जिन्होंने झुलसा आदि जो रोग लगे हुए थे, देखा । 31 अगस्त, 1977 को उपचार कर दिया गया । वह रोग जो है अब नियन्त्रण में है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद---

मान्यवर, अभी भी देवरिया जनपद में झुलसा आदि रोग का प्रसार व्यापक रूप में है और पडरौना, हाटा देवरिया, सलेमपुर के इलाके में भी फैल गया है । मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पुन:रोग पर काबू पाने के लिए कौन सी कार्यवाही करेंगे, जिससे झुलसा आदि रोग पर काबू पाया जा सके और किसानों की फसल को बचाया जा सके ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

मान्यवर, हमारे जो माननीय सदस्य श्री पुरुषोत्तम कौशिक हैं, उनको खुद साथ लेकर जिला कृषि अधिकारी ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया 12 अगस्त, 1977 को । इस तरह से जो वहां पर रोग का प्रकोप था वह कम हो रहा है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रोग का उपचार किया गया है, उसका खर्च सरकार वहन करेगी या किसान से वसूल किया जायग ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

सरकार की तरफ से तो मशीन है और उसका छिड़काव करने वाला आदमी दिया जाता है। उसका भार तो कृषकों को ही वहन करना पड़ेगा।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)---

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि यह धान की फसल में जो खैरा आदि रोग लगे हैं, इसका कारण यह है कि उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी का अभाव है ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

खैरा रोग का जहां तक सम्बन्ध है, पानी जैसे-जैसे कम हो रहा है, वह रोग कम हो रहा है ज्यादा पानी से ही वह रोग लगा है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

इस प्रश्न में खैरा और झुलसा रोग का जिक्र किया गया है, खैरा रोग जिंक सल्फेट की कमी से क्यों है और झुलसा रोग से बचाने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

यह खरा रोग जो है, जिंक सल्फेट का स्प्रे इससे प्रभावित फसलों पर करना पड़ता है। झुलसा रोग दो तरह का होता है। एक बैक्टेरियल ब्लाइट, जिस रोग का कोई रासायनिक उपचार नहीं है। खेतों से पानी निकालने मात्र से बीमारी का फैलाव कम हो जाता है। दूसरा है---लीफ ब्लाईट, इसके नियन्त्रण हेतु फसलों पर 2.5 किलोग्राम जिनेब 75 परसेंट तथा 2 किलोग्राम जिंक मैगनीज कार्बामेट, प्रति हेक्टर की दर से छिड़कना पड़ता है। जिंक सल्फेट की जो बात है, वह अवेलेबिल है, वह 15 मैट्रिक टन वहां पर अब तक उपलब्ध है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

जब रोग फैल जाता है और किसान के साथ-साथ नीचे के अधिकारी सूचना देते हैं, तो जिलाधिकारी नीचे की ओर दौड़ते हैं। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस चीज को देखते हुए वह क्या यह व्यवस्था करेंगे कि सम्बन्धित जो उच्चाधिकारी हैं, वे बजाए नगरों में रहने के जिस समय फसलें बोई जाती है किसानों की सहायता के लिए गांव में मौजूद रहें ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

यह देवरिया का पत्र है 5 जुलाई का कि रोग फैलने से पहले ही उन्होंने इसे नियन्त्रित करने के लिए सहायता की प्रार्थना की थी। यह रोग अक्सर फैल जाता है, इसलिए कहा गया था कि जिंक सल्फेट का छिड़काव कर दिया जाय। तो यह नहीं कि यह फैलाव के बाद किया गया है, पहले से ही उपाय कर लिया गया था।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)---

झुलसा रोग केवल देवरिया में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी है, तो क्या . . .

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या कृषि मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूबे भर में कहां-कहां झुलसा की बीमारी लगी है और उसकी जांच कराकर क्या रोकथाम करने का कष्ट करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यदि यह सूचना प्राप्त हो गयी शासन को कि कहीं पर झुलसा रोग लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराकर उसका समुचित उपचार किया जायगा।

तारांकित प्रश्न

कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराया गया हाई स्कूल का परीक्षाफल तथा व्यय की गई धनराशि

*1—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र 1976–77 का परीक्षाफल हाई स्कूल, तथा इण्टर का निकालने हेतु कम्प्यूटर की व्यवस्था की गयी थी ? यदि हां, तो कितने टेंडर कितने–कितने लाख रुपए के कम्प्यूटर वालों ने दिए थे ? क्या यह बात सत्य है कि 34 लाख रुपए के टेण्डर वाले को यह कार्य न देकर 54 लाख वाले को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरन)—

शिक्षा सत्र 1976–77 में केवल दो मण्डल मेरठ तथा इलाहाबाद के जनपदों का केवल हाई स्कूल का परीक्षाफल कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराया गया। इण्टर परीक्षा का कोई कार्य कम्प्यूटर से नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में कोई टेण्डर आमन्त्रित नहीं किए गए थे। अतः किसी फर्म द्वारा कथित 34 लाख या 54 लाख रुपए का टेण्डर देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल—

मैं जानना चाहता हूं कि इन दो मण्डलों––मेरठ और इलाहाबाद में कितने जिले आते हैं और उनका परीक्षाफल जो कम्प्यूटर से तैयार कराया गया था, उसमें कितना रुपया सरकार का खर्च हुआ है ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, इन दो मण्डलों–मेरठ और इलाहाबाद में, मेरठ मण्डल का कम्प्यूटर से हाई स्कूल का परीक्षाफल तैयार कराने में 9 लाख 87 हजार रुपया खर्च हुआ है। यह आंका गया है।

श्री ऊदल—

मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब कम्प्यूटर से परीक्षाफल घोषित नहीं कराया गया था 1975–76 का तब कितना व्यय हुआ था ?

श्री काली चरन—

इस पूरे व्यय की सूचना तो नहीं है। लेकिन प्रति परीक्षार्थी पुरानी परम्परा के अनुसार कार्य कराने में 3 रुपए 98 पैसे व्यय आता रहा है। इस कम्प्यूटर से तैयार कराने में 3 रुपए 74 पैसे प्रति परीक्षार्थी आता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर खरीदा है या किराए पर लिया है और खरीदा है, तो कोई टेण्डर लिए गए या नहीं ?

श्री काली चरन—

यह कार्य किराए पर कराया जा रहा है ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इससे कितने लोग बेरोजगार हो जायेंगे ?

श्री काली चरन—

इसमें एक आदमी भी बेरोजगार नहीं होगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर जो किराए पर लिया गया, इसका क्या तरीका बनाया गया, क्या टेण्डर इनवाइट किए गए या ऐसे ही मनोनीत किया गया ?

श्री काली चरन—

परीक्षा का कार्य इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि इसके लिए जो स्टैंडर्ड कम्पनियां हैं, उनसे कार्य कराने के बारे में सोचा गया और अब तक परीक्षा का कार्य करने वाली, जो पुरानी कम्पनियां हैं एक का नाम है आई0 सी0 एल0 और दूसरे का है आई0 बी0 एम0। आई0 बी0 एम0 कम्पनी से इतने लोग परीक्षा का कार्य लेते रहे हैं—सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नयी दिल्ली, 70 हजार परीक्षार्थियों का कार्य 1969 से ले रहा है, एस0 एल0 सी0 बोर्ड आंध्र प्रदेश 2 लाख परीक्षार्थियों का कार्य 1971 से ले रहा है, प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड बंगलौर 1 लाख 20 हजार परीक्षार्थियों का कार्य 1971 से ले रहा है, पंजाब सेकेन्डरी एजूकेशन बोर्ड 91 हजार विद्यार्थियों का कार्य 1971 से ले रहा है, तामिलनाडु एजूकेशन बोर्ड 2 लाख विद्यार्थियों का कार्य 1972 से। बिहार एजूकेशन बोर्ड 2 लाख विद्यार्थियों का काम 1972 से .....

एक सदस्य—

इससे कोई मतलब है नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

यह इसलिए बताया कि टेण्डर की आवश्यकता नहीं थी। एक स्टैंडर्ड फर्म से लिया। उसके प्रमाण में आपने बताया ।

श्री गुलाब सेहरा—

सवाल यह है कि चाहे पुरानी कम्पनी हो या नयी, इनको किस आधार पर दिया गया, टेण्डर इनवाइट किए गए या मनोनयन किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर दिया जा चुका है। टेण्डर इनवाइट नहीं किए गए बल्कि स्टैंडर्ड फर्म जो पहले से प्रमाणित थी, उनको कार्य दिया गया। यह उत्तर दे दिया गया ।

श्री गुलाब सेहरा—

इस पर मेरी सूचना यह है कि एक व्यक्ति के साथ फेवर किया गया। जिसने लोएस्ट टेण्डर दिया, उसको न देकर हायर वाले को दिया गया। इसमें स्पष्टता करायें ?

श्री काली चरन—

मैंने बताया कि कोई टेण्डर लिया ही नहीं गया इसलिए लोएस्ट का प्रश्न ही नहीं आता।

श्री देव बहादुर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कैसे स्टैन्डर्ड कम्पनी बना दिया आपने, क्या-क्या शर्तें हैं, उसकी ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे उठता नहीं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो 2 स्टैंडर्ड कम्पनी बतलाई, उनके क्या अलग-अलग रेट्स मांगे गए थे ?

श्री काली चरण—

चूंकि आई0सी0एल0 कम्पनी ने यह कार्य करना नहीं स्वीकार किया इसलिए एक आई0बी0एम0 कम्पनी बच जाती है, उससे काम लिया गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन कम्प्यूटरों का किराया क्या था और क्या कारण था कि टेण्डर नहीं आमंत्रित किए गए ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या आपने कोई विज्ञप्ति प्रकाशित की, कैसे मालूम हुआ कि दो ही कम्पनियां हैं ?

श्री काली चरन—

यह पता कर लिया गया था कि दो ही कम्पनियां परीक्षा का कार्य करती हैं।

श्री रियासत हुसैन—

जिस कम्पनी ने अस्वीकार कर दिया था, उसके मना करने वाली चिट्ठी को सदन के पटल पर रखने की माननीय मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री काली चरन—

वह उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, तो किसी नीति का सवाल ही नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

इनकार करने वाली चिट्ठी को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री काली चरन--

इन दोनों कम्पनियों से पूछा गया, लिखित पूछा गया आई0सी0एल0 ने स्वीकार नहीं किया और इसलिए आई0बी0एम0 से कार्य कराया गया।

हाई स्कूल का रोका गया परीक्षा-फल

—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष हाई स्कूल तथा इण्टर का परीक्षा-फल करीब 50 हजार विद्यार्थियों का घोषित नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरन—

जी हां, इस वर्ष हाई स्कूल तथा इण्टर परीक्षा के 47,131 परीक्षाफल घोषित नहीं किए जा सके थे। कारणों सहित इनकी संख्या निम्नवत् है :—

(1)	अनुचित साधन प्रयोग के कारण रोके गए परीक्षाफल . .	18,826
(2)	अनुशासनहीनता, प्रहार, तथ्यगोपन प्रतिरूपण के कारण रोके गए परीक्षाफल	199
(3)	न्यायालयों के आदेशों पर अस्थायी रूप से सम्मिलित तथा रोके गए परीक्षाफल	65
(4)	परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिबन्धों की पूर्ति न किए जाने के कारण रोके गए परीक्षाफल	11,546
(5)	अंकों के अप्राप्त होने के कारण अपूर्ण परीक्षाफल . .	16,495
	योग . .	47,131

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इतने, जो 47,131 लड़कों के परीक्षाफल रोक लिए गए हैं, इनका निबटारा कब तक हो जायगा ?

श्री काली चरन--

इनमें से बहुतों का निबटारा हो चुका है। वह विवरण मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में से 2,536 मामलों का निबटारा हो चुका है और 16,290 बाकी हैं। प्रतिबन्धों की पूर्ति न होने से सम्बन्धित 4,601 मामलों का निबटारा हो चुका है और 1,945 मामले बाकी हैं। अनुशासनहीनता प्रहार तथ्यगोपन, प्रतिरूपण आदि से सम्बन्धित मामलों में 2 का निबटारा हो चुका है और 197 मामले बाकी हैं। न्यायालय के आदेशों पर अस्थायी रूप से सम्मिलित 65 मामलों में 65 मामले बाकी हैं। अंकों के अप्राप्त होने के कारण अपूर्ण मामलों में 16,416 मामलों का निबटारा हो चुका है और 79 मामले बाकी हैं। इस प्रकार 47,131 मामलों में 28,555 मामलों का निबटारा हो चुका है और 18,576 मामले बाकी हैं।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिन मामलों में कम अनुचित साधनों का प्रयोग हुआ है, उन पर जल्द से जल्द निर्णय लेगी ?

श्री काली चरन--

अनुचित साधनों का प्रयोग दो तरह से माना जाता है । एक तो वह ऐसे केसेज, जो परीक्षा भवन में नकल करते हुए वहां के कक्ष निरीक्षकों द्वारा पकड़े जाते हैं और दूसरे ऐसे केसेज, जो परीक्षकों के पास उत्तर पुस्तिकायें जाती हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर। यह दो तरह के केसेज आते हैं । तो छात्र पर जो आरोप लगाया जाता है, वह आरोप-पत्र उसके पास भेजा जाता है । वे उनका उत्तर देते हैं, जिन पर निस्तारण समितियां निर्णय लेती हैं । यह सम्भव है कि 30 सितम्बर तक अधिकांश मामलों का निबटारा हो जावे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि 47 हजार के करीब परीक्षाफल रोके गए, इतनी बड़ी परीक्षा मेरे ख्याल से शायद ही दुनिया में कहीं होती हो, तो इस बात को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी इस परीक्षा का विकेन्द्रीकरण करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका सुझाव है । यह तो उठता नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस बात को देखते हुए कि यह इतनी बड़ी परीक्षा है, तो क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी स्कीम है, जिससे इसको सरल बनाया जा सके ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, यह विकेन्द्रीकरण चाहे जितना किया जाय, नकल करने वाले तो नकल करेंगे ही । यह कार्यवाही तो होती रहेगी ।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट इन दोनों परीक्षाओं का मूल्यांकन तो केन्द्र पर ही होता ह । क्या इन केन्द्रों पर भी अनुचित साधनों के प्रयोग की गुंजाइश रहती है कि बालक वहां पर पहुंच कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने में समर्थ हो सकें ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, अनुचित साधनों का प्रयोग तो परीक्षा देते समय किया जाता है। केन्द्र पर कोई अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण बहुत से विद्यार्थियों का परीक्षाफल हर साल रोक दिया जाता है । आज कल जो परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बिना किताब के परीक्षा देनी पड़ती है, तो क्या विदेशों की तरह यहां भी किताबें खोल कर परीक्षा देने की प्रणाली को अमल में लाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न नहीं उठता है । आप अलग से प्रश्न कीजिए । इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप मन्त्री जी से आश्वासन चाहते हैं ।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं सरकार से यह जानकारी करना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने बताया है कि 16 हजार से अधिक ऐसे परीक्षाफल रोके गए हैं जिनकी अंक सूची प्राप्त नहीं हुई है, तो क्या ऐसे परीक्षकों, जिनके कारण परीक्षाफल निकालने में विलम्ब हुआ है, के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की बात आप सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने परीक्षाफल देरी से दिया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री काली चरन--

श्रीमन्, यदि ऐसे परीक्षक हों जिनके कारण अंक सूची भेजने में देरी हुई है तो उनका परीक्षकत्व समाप्त कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

किसी न किसी का तो दोष है ही। या तो भेजने वाले का या परीक्षक का ? तो क्या कोई कार्यवाही आप इस विषय में कर रहे हैं ?

श्री काली चरन--

यही एक कारण नहीं है कि अंक-पत्र भेजने वाले का ही दोष हो जिस समय परीक्षा-काल चल रहा था उस समय इलाहाबाद पोस्ट आफिस के कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी थी जिसके कारण बहुत से अंक-परिपत्र भेजने में विलम्ब हुआ। दूसरे रेलवे वालों ने जो अंक पत्र भेजे वे इधर-उधर भेज दिए जिसके कारण विलम्ब हुआ तो कौन सी रेलगाड़ी को हम दण्ड दे दें। जहां तक परीक्षकों का सम्बन्ध है अब केन्द्र पर ही उत्तर पुस्तिकायें जांची जाती हैं तो उनके कारण विलम्ब होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

* 3--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[4थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जूनियर इंजीनियरों की मांगों के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही

* 4--श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1974 में जूनियर इंजीनियर्स ने प्रदेश व्यापी 85 दिन की हड़ताल किन मांगों को लेकर की थी तथा उनकी किन-किन मांगों को पूरा किया गया ? क्या अभी भी कुछ मांगें शेष हैं ? यदि हां, तो शासन उनके बारे में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

जूनियर इंजीनियर्स की मांगों तथा उन पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 680 पर।)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जूनियर इंजीनियर्स का वेतनमान केन्द्र के समान करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जूनियर इंजीनियर्स की मांग यह थी कि केन्द्रीय डिप्लोमा इंजीनियर्स के वेतन-क्रम के बराबर समानता जोकि सामान्य ग्रेड रु0 425--700 और सेलेक्शन ग्रेड 550--900 के बराबर किया जाय लेकिन शासन ने सामान्य ग्रेड, उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुति पर रु0 175--300 से बढ़ाकर रु0 300--500 निर्धारित किया था।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मैंने मन्त्री जी से पूछा था कि उन्हें ऐसा करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि इनका वेतन-क्रम केन्द्र के समान करने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

वित्तीय संसाधनों को देखते हुए और जो वेतन आयोग की सिफारिश थी, दोनों को देखते हुए जो मुनासिब था, वह किया गया।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि 25 प्रतिशत जूनियर इंजीनियर्स का प्रोमोशन किया जायगा, तो क्या वह वास्तव में लागू हो रहा है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

यह नहीं कहा। यह तो उनकी मांग थी।

श्री अध्यक्ष--

आपने अपने उत्तर में दिया है कि 20 प्रतिशत। तो उनका प्रश्न यह है कि क्या इस पर अमल हो रहा है या नहीं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

20 प्रतिशत को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हो गया है, जो बकाया है, उसके लिए कार्यवाही हो रही है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि जहां तक मुनासिब था, वह किया गया। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मुनासिब किस तरह से ठहराया जाता है। किस चीज को मुनासिब और किस चीज को नामुनासिब माना जाता है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप तर्क कर रहे हैं कि मुनासिब शब्द का प्रयोग किया है। माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया है। प्रश्न में कोई तर्क उपस्थित नहीं करना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सिद्धान्ततः मन्त्री जी स्वीकार करते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए ? यदि हां, तो जो आपने वित्तीय कठिनाई बताई है, उस वित्तीय कठिनाई को समाप्त करने के लिए वित्तीय साधनों को जुटाने के लिए आप कोशिश करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जहां तक मुनासिब होगा, उस पर बराबर कोशिश की जा रही है और बराबर कोशिश की जायगी ।

*5—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 1974 में शासन की ओर से जूनियर इंजीनियरों की 85 दिन की हड़ताल वापसी के समय कोई कार्यवाही न करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त आश्वासन पूरा किया गया ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

शासन द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, अतः आश्वासन पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*6—श्री हुक्म सिंह परिहार—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

देवरिया जिले में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

*7—श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री को पता है कि विगत साल जनवरी, 1977 को श्री संजय गांधी के देवरिया आगमन के अवसर पर तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने देवरिया में आगामी सत्र अर्थात् जुलाई, 1977 से नगर में छात्राओं के लिए डिग्री कालेज खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त डिग्री कालेज अभी तक क्यों नहीं खुला ?

श्री काली चरन—

जी हां, जनवरी, 1977 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने देवरिया में छात्राओं के लिए जुलाई, 1977 से एक राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने की घोषणा की थी ।

उक्त कालेज खोले जाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

विगत साल जनवरी, 1977 में साफ तौर से उक्त कन्या विद्यालय के खोलने की घोषणा की थी लेकिन माह सितम्बर भी बीतने वाला है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मेरे दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि डिग्री कालेज खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उक्त विद्यालय को खोलने में शासन के सामने क्या-क्या कठिनाइयां हैं, जिन पर अब तक शासन विचार कर रहा है ?

श्री काली चरन—

माननीय सदस्य को और सभी लोगों को मालूम है कि उस समय मन्त्रीगण जहां जाते थे, किसी न किसी चीज की वे घोषणा कर दिया करते थे। अब यह बताया भी गया, वित्त मन्त्री जी ने बताया था कि अगर मद में पैसा नहीं होता था, तो अपने समारोह करते थे और वहां इस प्रकार की घोषणा कर दिया करते थे। सम्भवत: यह भी इसी तरह मे किया गया है जब राज्यपाल शासन में समीक्षा समिति के सामने यह चीज आई, तो उसने इसको रोक दिया। इस समय तो स्थानीय आवश्यकता और उच्च शिक्षा का अनियन्त्रित प्रसार रोकने के लिए इन बातों को ध्यान में रख कर परीक्षण किया जायगा। यदि आवश्यकता हुई, चूंकि देवरिया जनपद में कुल 9 महाविद्यालय हैं, दो महाविद्यालय शहर में हैं, अगर आवश्यक समझेगी सरकार, तो विचार करके कालेज खोला जायगा, अगर नहीं समझेगी, तो नहीं खोला जायगा।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)—

देवरिया जनपद में सर्वाधिक इण्टरमीडिएट कालेज हैं और 7–8 डिग्री कालेज हैं, लेकिन छात्राओं का कोई भी डिग्री कालेज नहीं है। इसी सम्बन्ध में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री द्वारा सार्वजनिक तौर पर घोषणा की गयी थी कि अगले सत्र में छात्राओं को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा और यह कालेज खुल जायगा। वैसे तो और भी डिग्री कालेज हैं, और छात्राओं के पढ़ने का वहां पर कोई प्रबन्ध नहीं है इसलिए वहां की आवश्यकता को समझते हुए और छात्राओं की शिक्षा सम्भव हो सके इसलिए थोड़ी बहुत दूसरे फंड जुटाकर, इसी सत्र से वहां पर छात्राओं के लिए डिग्री कालेज खोलने के लिए मन्त्री जी ठोस आश्वासन देंगे ?

श्री काली चरन—

मैंने बता दिया कि उच्च शिक्षा के अनियन्त्रित प्रसार को रोकने के लिए इस बात को दृष्टि में रखकर शासन यदि आवश्यक समझेगा तो विचार करेगा, कालेज खोलने पर। अगर जांच पड़ताल के बाद आवश्यक नहीं समझेगा, तो नहीं खोला जायगा।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, यह प्रश्न तो उपस्थित होता है गैर-सरकारी कालेजों के लिए। उनका प्रश्न है राजकीय कालेजों के लिए। राजकीय कालेजों के सम्बन्ध में कोई अनियन्त्रित प्रसार का प्रश्न नहीं है। सीधा प्रश्न है कि खोले जा सकते हैं या नहीं। वह आप बतला सकते हैं ?

श्री काली चरन—

मैं राजकीय कालेजों के बारे में ही बतला रहा हूं कि उच्च शिक्षा का अनियन्त्रित प्रसार न हो और गुणात्मक विकास के लिए यह जरूरी है कि जगह-जगह कालेजों का प्रसार न कर दिया जाय, क्योंकि इससे अवमूल्यन हो रहा है, इस चीज को दृष्टि में रखकर के यह बात कही गयी है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के अनियन्त्रित प्रसार को रोकने के लिए किस प्रकार का गुणात्मक या परिमाणात्मक माप-दण्ड, उच्च शिक्षा का, मन्त्री जी ने निर्धारित किया है, जिससे अनियन्त्रित प्रसार शिक्षा का न हो सके और गुणात्मक या परिमाणात्मक विकास किया जा सके ?

श्री काली चरन—

इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, यह तो उनका निश्चित प्रश्न है कि आपका क्या पैमाना है ? क्योंकि आप ने कहा कि उच्च शिक्षा का अनियन्त्रित प्रसार रोकने के लिए आप नहीं खोलना चाहते, तो कोई न कोई पैमाना तो आपका होगा ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के योग्य नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में जो मैंने कहा, तो सरकार यह विचार कर रही है कि इन विद्यार्थियों को इस ढंग की शिक्षा दी जाय कि वह कामों में लग सकें और जो प्रतिभावान छात्र हैं, वही उच्च शिक्षा में जायं, उनका प्रसार रोका जाय जिससे शिक्षा में गुणात्मक विकास हो सके।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री संजय गांधी के डर से तरह-तरह की घोषणाएं करते थे, तो क्या यह घोषणा भी उन्हीं के डर से की गयी थी, ऐसी कोई जानकारी है, उन्हें ?

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं।

श्री ऊदल—

देवरिया जनपद में जो लड़कियों का डिग्री कालेज खोलने की घोषणा की गयी थी, वह सरकार की तरफ से खोलने की घोषणा थी क्या यह बात सत्य है ? और क्या लड़कियों के लिए कोई प्राईवेट या सरकारी डिग्री कालेज देवरिया जनपद में है ?

श्री काली चरन—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या यह बात सही नही है कि देवरिया जिले में लड़कियों के डिग्री कालेज का प्राविधान, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जोकि सन् 1974 में शुरू हुई थी, उसमें है ? दूसरे, जो घोषणा हुई, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री द्वारा यह जनवरी, 1977 में चुनाव के बहुत पहले हुई ? और क्या यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने लिखित आज्ञा, लखनऊ में विभाग को दिया, उस पर क्या जांच हुई और उसका क्या नतीजा अब तक निकला ?

श्री काली चरन—

श्रीमन, कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति ऐसे विद्यालयों को खोलने की अनुमति देते हैं। जब राष्ट्रपति शासन आया तो उस समय शासन में जो समीक्षा समिति थी, उसने 14 मार्च, 1977 को सिफारिश की कि जो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने आदेश दिए थे, उसके कार्यान्वयन को रोक दिया जाय। शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा को निर्देश दिए गए कि उक्त कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं पांचवीं पंचवर्षीय योजना की बात जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने का प्राविधान है या नहीं ? यह है उनका प्रश्न ।

श्री काली चरन—

इसके लिए जानकारी की आवश्यकता है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

पिछली कांग्रेस सरकार ने नए कालेजों को खोलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और मान्यता मिलने में कठिनाई होती थी । तो क्या सरकार उस प्रतिबन्ध को हटा कर नए कालेजों को खोलने में उदारता बरतेगी ?

श्री काली चरन—

इस सरकार ने उन सारे प्रतिबन्धों को हटा लिया है ।

(व्यवधान)

(श्री राम नरेश पांडेय द्वारा खड़े होकर कुछ कहने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

इस तरीके से कोई प्रश्न करना उचित नहीं है और न यह कार्यवाही का भाग बनेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना नहीं है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई महाविद्यालय रखा गया है या नहीं । इस बात को देखते हुए माननीय मन्त्री जी यह कैसे समझते हैं कि प्रश्नगत विद्यालय को खोलने से शिक्षा का अनियन्त्रित विस्तार होगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप तर्क कर रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

प्रश्न यह है कि जब माननीय मन्त्री जी को सूचना ही नहीं है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई महाविद्यालय रहेगा या नहीं, तो वह कैसे कह सकते हैं कि प्रश्नगत महाविद्यालय को खोलने से शिक्षा का अनियन्त्रित विस्तार होगा ?

श्री काली चरन—

मैंने बताया कि जो समीक्षा समिति बनाई गई थी, उसने यह आख्या दी कि यह कालेज इस समय खोले जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उन्हें सूचना नहीं है, तो क्या माननीय मन्त्री जी पुनः यह सूचना मंगा कर देखेंगे कि वहां लड़कियों का कोई डिग्री कालेज नहीं है और उस पर फिर से विचार करेंगे ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, यह मैंने पहले ही बता दिया है कि छान-बीन करने के बाद अगर सरकार आवश्यक समझेगी, तो कालेज खोलने पर विचार करेगी और अगर आवश्यकता नहीं समझेगी, तो कालेज नहीं खोला जायगा ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि देवरिया एक महत्वपूर्ण नगर है, वहां पर इन्टर कालेज है, वहां पर डिग्री कालेज, जो लड़कियों की तालीम से सम्बन्धित है, क्यों नहीं खोला जाना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर दे चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर चूंकि लड़कियों की पढ़ाई के लिए कोई डिग्री कालेज नहीं है और अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वहां पर आवश्यकता होगी, तो खोला जायगा। क्या माननीय मन्त्री जी वहां पर डिग्री कालेज खोलने के लिए तत्काल निर्णय लेने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरन—

जी नहीं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि आवश्यकता है, तो खोलेंगे। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस आवश्यकता को कब तक ये जान लेंगे कि आवश्यकता इस शहर में छात्राओं के डिग्री कालेज खोलने की है या नहीं, यह कब तक जान पायेंगे ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, अधिकारियों को भेज कर इसकी जांच पड़ताल कर ली जायगी। अगर सरकार आवश्यकता समझेगी, तो खोल दिया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यदि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में वह कालेज खोला जाना है, तो क्या सरकार उसी प्रकार के, अन्य स्थानों पर भी, कालेज खोलने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, मैंने उत्तर दे दिया है कि सरकार आवश्यक समझेगी तो कालेज खुलेगा, नहीं आवश्यक समझेगी, तो नहीं खुलेगा।

सीनियर बेसिक विद्यालयों में कृषि विज्ञान की पुरानी पुस्तकों का पढ़ाया जाना

*8—**श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी** (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश के सीनियर बेसिक विद्यालयों में कृषि विज्ञान की वही पुस्तक आज भी पढ़ाई जा रही है जिसे 23 वर्ष पूर्व तत्कालीन उप शिक्षा

निदेशक, डा0 रामदास ने लिखा था ? यदि हां, तो इन 23 वर्षों में हुई वैज्ञानिक प्रगति और परिवर्तनों तथा शोध परिणामों को उक्त पाठ्य-पुस्तक में समाहित करने हेतु सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री काली चरन—

केवल कक्षा 6 की कृषि विज्ञान की पुरानी पुस्तक कुछ जिलों में इस वर्ष पढ़ाई जा रही है ?

प्रदेश के सीनियर बेसिक विद्यालयों में जुलाई, 1977 से राष्ट्रीयकृत कृषि विज्ञान की नई पुस्तकें पढ़ाई जा रही है। इन नई पुस्तकों की रचना में कृषि के क्षेत्र में हुई वैज्ञानिक प्रगति, शोध परिणामों एवं परिवर्तनों के महत्व को ध्यान में रखा गया है।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि जिन जिलों में कक्षा 6 की पुरानी पुस्तक इस वर्ष नहीं पढ़ाई जा रही है, वहां पर कौन सी पुस्तक पढ़ाई जा रही है और जिन जिलों में पुरानी पुस्तक अब भी पढ़ाई जा रही है, वहां के छात्रों ने कौन सा गुनाह किया है कि शासन उन्हें नई पुस्तकों से वंचित रखना चाहती है ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, जो नई पुस्तक पढ़ाई जा रही है, वह है कृषि विज्ञान भाग 1, 2, 3 जोकि 6, 7 तथा 8 के विद्यार्थियों के लिए है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैंने पूछा कि जिन जिलों में ये पुरानी पुस्तकें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, वहां पर कौन सी पुस्तक पढ़ाई जा रही है और जिन जिलों में पुरानी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, वहां पर नई पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ाई जा रही हैं, मान्यवर, इसका जवाब माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, यह मैंने बता दिया कि जहां पर पुरानी पुस्तकें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, वहां पर जो नई पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, उसका नाम है कृषि विज्ञान भाग 1, कक्षा 6 के लिए, भाग 2, कक्षा 7 के लिए और भाग 3, कक्षा 8 के लिए। कुल 20 जिले हैं, जहां ये पुरानी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। सन् 1977 में जब यह नई पुस्तक लागू हुई, तो लगभग 1 लाख पुस्तकें जो वह भी राष्ट्रीयकृत पुस्तक थी, वह बाकी स्कूलों के पास बची हुई थीं। चूंकि हमेशा हमारे प्रदेश में यह होता आया है कि अगर कोई तत्काल नयी पुस्तक लागू की जायगी, तो जो पुरानी पुस्तकें हैं उनको खपाने के लिए एक साल की अनुमति दे दी जाती है। तो इन बीस जिलों में 1 लाख 3 हजार लड़के हैं, इन जिलों में एक साल पढ़ाने की अनुमति दे दी गयी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जिन अधिकारियों की लापरवाही से 23 वर्षों तक यह पुरानी पुस्तक पढ़ाई जाती रही, उनके खिलाफ, इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में सरकार कौन सा कदम उठाएगी ?

श्री काली चरन—

माननीय, मैं जहां तक समझता हूं कि पुरानी सरकार अधिकारियों को जिस रास्ते पर ले जा रही थी, वह उस रास्ते पर जा रहे थे। इसमें मैं उनका कोई बहुत बड़ा दोष नहीं मानता। यह स्पष्ट मैंने कह दिया कि भविष्य में, इस तरह की कोई योजना बने, तो पहले से योजना बना ली जाय और जहां भी नयी पुस्तकें लागू की जायं, तो सारे प्रदेश में वह पुस्तकें लागू की जायं।

*9—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

*10—श्री राम सिंह—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

*11—अठई राम—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

फतेहपुर जिले की मुगल रोड का निर्माण

*12—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि मुगल रोड, बिन्दकी से फतेहपुर वाया ग्राम कुंवरपुर जो सितम्बर, 1976 में कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा स्वीकृत हुई थी का निर्माण केवल दो किलोमीटर ही किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष समुचित धन का विधान कर इस सार्वजनिक ऐतिहासिक रोड का पूर्ण निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां, अभी मार्ग के दो किलोमीटर में ही कार्य किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बिन्दकी तहसील में मुगल रोड जो है, वह बहुत ऐतिहासिक रोड है और वर्षों से खराब है। इससे किसानों का लाखों रुपयों का नुकसान होता है। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब प्रदेश की अन्य सड़कों के लिए रुपयों का प्राविधान किया गया है, तो इस सड़क के लिए अर्थाभाव क्यों है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इस सिलसिले में हम रिवाइज कर रहे हैं। अहमियत के एतबार से जो सड़कें जरूरी हैं, उनको देखा जायगा। फिलहाल जो पोजीशन थी, मैंने बता दी।

श्री श्यामधर मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष—

इसको दोहरा दें।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

बीसियों सालों के वास्ते सैंक्शन करके गए हैं, तो हमको देखना पड़ेगा, यह इनकी समझ में नहीं आएगा ?

*13—श्री बाबू राम वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी की मात्रा प्रति यूनिट बढ़ाए जाने की मांग

*14—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी की मात्रा प्रति यूनिट बढ़ा कर देने के आदेश इसी अगस्त, 1977 माह में जारी हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश क्या हुआ और क्या उसकी मात्रा शहरी क्षेत्र के बराबर है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

जी नहीं । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहले दो प्रकार की नीतियां लागू की गई थीं, शहरों के लिए चीनी की मात्रा कुछ और, देहात के नागरिकों के लिए चीनी की मात्रा कुछ और ? तो क्या सरकार बतायेगी कि शहरों के लोगों को कितनी-चीनी प्रति यूनिट दी जा रही है और देहात के लोगों को कितनी चीनी प्रति यूनिट दी जा रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र—

यह सत्य है कि कांग्रेस शासन के अन्दर गांवों और शहरों में चीनी वितरण के सम्बन्ध में, भेद रखा गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह एक परिवार को एक किलो और शहरी क्षेत्रों में प्रति मास एक व्यक्ति को एक किलो चीनी, यह व्यवस्था रखी गयी थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की व्यवस्था, पिछले शासन में थी कि देहात में एक परिवार को एक किलो चीनी, एक महीने में और शहरों में एक किलो चीनी प्रति व्यक्ति को एक महीने में, देने की व्यवस्था थी तो क्या इस अन्तर को समाप्त करने का प्रयास किया जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र—

यह समाप्त करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी और शहरी क्षेत्रों में चीनी का कुछ भेद रहा इसका मुख्य कारण चीनी के उत्पादन की कमी थी और यह भी इसमें आशय था कि जैसे ही चीनी का उत्पादन बढ़ेगा वैसे ही यह भेद समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में, मैं चाहूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल अपने प्रश्न को पुनः स्पष्ट कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय खाद्य मन्त्री जी को क्या यह ज्ञात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, चीनी की मात्रा के अनुसार न दिए जाने का कारण मुख्य यह था कि चीनी का उत्पादन वांछित मात्रा में नहीं था और जब उत्पादन बढ़ जाय, तो यह भेद समाप्त कर दिया जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, जो भी चीनी केन्द्र द्वारा प्रदेश को आवंटित होती रही है, उसे समान रूप से वितरित किया जाय, ऐसा केन्द्र की ओर से मार्ग दर्शन था। उसी के अनुसार मैंने पता किया तो हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का भेद न रखकर सबको समान रूप से दी जा रही है। मैं माननीय नेता विरोधी दल को इन शब्दों में सूचित करना चाहता हूं कि यह अन्तर दूसरे अन्य कई प्रदेश में है, जहां नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि देहात में एक किलोग्राम नहीं बल्कि 800 ग्राम चीनी मिल रही है, तो जब तक नई प्रथा लागू न करें, तब तक वहां क्या एक किलोग्राम करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, एक पुराना आदेश है कि जिलाधीश स्थिति और आवश्यकता को ध्यान में रखकर 25 प्रतिशत की कटौती कर सकते हैं। तो ऐसा कर रहे हैं। जहां एक किलो-ग्राम प्रति परिवार या प्रति व्यक्ति मिलनी चाहिए, वहां हो सकता है कि जिलाधीश ने यह कटौती कर रखी हो।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, सवाल आया कि चीनी बंट रही है, तो मैं जब से चुनकर आया हूं, तब से 17 लेटर लिख चुका हूं। हमारे यहां दो ब्लाक हैं लेकिन एक ब्लाक डिलारी में चीनी एक माशा भी नहीं बंटी है। मैं मुरादाबाद में डी0 एम0 से मिला, तो उन्होंने कहा कि चीनी भेज दिया, तो इस पर मैंने छापा डलवा दिया लेकिन उन्होंने कहा कि चीनी झगड़े में पड़ गयी है। फरवरी की चीनी प्रधान के यहां पड़ी है। इसलिए मुरादाबाद से तो चीनी उठती है लेकिन इन्सपेक्टर और डी0एस0ओ0 आदि मिलकर चीनी को ब्लाक प्रमुखों को दे देते हैं। अतः डिलारी के पुराने परमिटों को कैंसिल करके नए परमिट दिए जाने चाहिए और इसकी जांच की, मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना को मन्त्री जी ध्यान में रखें।

*15—श्री मोहम्मद रफी खां—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*16—श्री झामलाल अहेरवार—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

स्वामी रामतीर्थ राजकीय महाविद्यालय, टिहरी के छात्रों द्वारा हड़ताल

*17—श्री गोविन्द सिंह नेगी (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह विदित है कि स्वामी रामतीर्थ राजकीय महाविद्यालय टिहरी में 12 जुलाई, 1977 से छात्रों की क्रमिक भूख हड़ताल के बाद अब हड़ताल चल रही है ? यदि हां, तो छात्रों की क्या मांगें हैं और उन्हें स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री काली चरन—

प्राप्त सूचना के अनुसार स्वामी रामतीर्थ महाविद्यालय, टिहरी के छात्रों की हड़ताल 11 अगस्त, 1977 को समाप्त हो गयी है। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्रों की निम्नलिखित मुख्य मांगें थीं —

(1) महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ की जायं।
(2) महाविद्यालय के भवनों का निर्माण कराया जाय।
(3) विधि प्रवक्ता की नियुक्ति की जाय ।

विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करा दी हैं और विधि प्रवक्ता की नियुक्ति भी कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा भवनों के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

*18–19—श्री बीरेन्द्रपति यादव—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*20—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*21—श्री रियासत हुसैन—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*22—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*23–24—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*25—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई (नलकूप) के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

*26—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि अतिरिक्त मख्य सिंचाई अभियन्ता नलकूप के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं धन अर्जित करने के सम्बन्ध में दिनांक 1 जुलाई, 1977

और दिनांक 11 जुलाई, 1977 के आरोप-पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)---

प्रश्न में उल्लिखित दो पत्रों में से केवल एक (11-7-77) का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? इसके अतिरिक्त दिनांक 30 जून, 1977 का एक और पत्र इसी सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था।

दोनों पत्रों में लगाए गए आरोपों की जांच करायी जा रही है।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी स्वीकार करते हैं कि एक पत्र नहीं बल्कि 2 पत्र इनको प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच कराई जा रही है जबकि जून में यह पत्र प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जांच की कार्यवाही कब तक पूरी की जाएगी और दूसरे वह जांच किस अधिकारी से कराई जा रही है ?

श्री बलवीर सिंह--

अध्यक्षक्ष महोदय, जांच एक महीने में पूरी हो जाएगी और यह जांच चीफ इंजीनियर से कराई जा रही है ?

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मान्यवर, इन अतिरिक्त अभियन्ता नलकूप के ऊपर एक गम्भीर आरोप है। आपातकालीन स्थिति के दरमियान संजय गांधी को खुश करने के लिए माननीय तत्कालीन मुख्य मन्त्री के इशारे पर काफी रकम दी गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि यह जांच की कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी और चूंकि मुख्य अभियन्ता द्वारा जांच कराई जा रही है, तो हो सकता है कि ठीक रिपोर्ट न आए, तो क्या गुप्तचर विभाग के जरिए इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह आरोप है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसका उत्तर वह दे चुके हैं।

फैजाबाद जिले में पिकिया नदी पर अलऊपुर के पुल की निर्माण की योजना

*27--श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) ने 22 जून, 1976 को कमिश्नरी फैजाबाद मन्त्रि-मन्डल की बैठक के समय जिला फैजाबाद के अलऊपुर (जहांगीरगंज) पिकिया नदी के पुल निर्माण के लिए 11 लाख की धनराशि स्वीकार करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो अब तक पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का क्या हुआ ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

उक्त समय पर प्रश्नगत पुल के निर्माण हेतु लिए गए निर्णय के अनुसार शासनादेश दिनांक 23 नवम्बर, 1976 द्वारा उक्त पुल के निर्माण की स्वीकृति 19.60 लाख रुपए की लागत पर दी गई। पुल निर्माण के स्थल का चयन, फरवरी, 1977 में किया जा चुका है तथा कार्य का जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग व आगणन बन जाने के बाद कार्य इस वर्ष प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

श्रीमती रामरति देवी--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगें कि उक्त पुल जिस सड़क पर बनने जा रहा है, बरसात के पहले पिछले वर्ष उस पर बस चल रही थीं, उस सरकारी आय की हानि को देखते हुए तथा जनता की कठिनाई को देखते हुए माह अक्तूबर अथवा नवम्बर तक उक्त पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह उत्तर में दिया जा चुका है कि शीघ्र शुरू कर रहे हैं।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने का कब तक लक्ष्य है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जल्दी ही शुरू किया जायगा और ख्याल है कि इसी वर्ष तक पूरा हो जायगा।

*28--श्रीमती रामरति देवी--

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

*29-30--श्री राम अधार--

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8-9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ता तथा उनका स्थायीकरण

*31--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1971 से 1973 तक जो सहायक अभियन्ता तदर्थ रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका अनुमोदन लोक सेवा आयोग से अभी तक लिया गया है ? यदि हां, तो कितने सहायक अभियन्ताओं को लिया गया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

अभी नहीं।

रायबरेली जिले के विकास खंड डीह के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल की स्थापना की मांग

*32--श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड डीह में कोई मान्यता प्राप्त हाई स्कूल है ? यदि नहीं, तो क्या कोई राजकीय हाई स्कूल उक्त विकास खण्ड में खोलने की सरकार कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरन--

जी नहीं। सम्प्रति विकास खंड डीह में कोई राजकीय हाई स्कूल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री दीनानाथ सेवक--

क्या शिक्षा मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डीह स्थित चाचा नेहरू विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त है और उसकी प्रबन्ध समिति ने पूरा भवन और 20 बीघा से ज्यादा जमीन प्रस्ताव करके शासन को दे दी थी और शासन ने आश्वासन दिया कि यहां राजकीय हाई स्कूल खोल देंगे ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, डीह चाचा नेहरू जूनियर हाई स्कूल है, जो अस्थायी मान्यता प्राप्त है। वह स्कूल इस लायक नहीं है कि जूनियर हाई स्कूल के रूप में वह परमानेन्ट हो सके। 9 फरवरी, 1976 को रायबरेली में मन्त्रि परिषद की बैठक हुई थी और उस बैठक में डीह विद्यालय को कालान्तर में हाई स्कूल बनाने के बारे में बात कही गयी थी।

श्री दीनानाथ सेवक--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजादी के बाद आज तक जिस विकास खंड डीह में, हाई स्कूल नहीं हुआ वहां हाई स्कूल खोलने में क्या देर है जब कि वहां के निवासी उनके पास जो बीस-पच्चीस बीघा जमीन है, भवन है जिस में सात-आठ कमरे हैं उसे देने के लिए तैयार है और दे रहे हैं ?

श्री कालीचरन--

श्रीमन्, इस पर विचार कर लिया जायगा।

मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में त्रिभाषा फारमूला के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों का वेतन-मान

33--श्री मोहन लाल (जिला हमीरपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश म मान्यता प्राप्त तमाम जूनियर हाई स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला योजना के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों को सरकार द्वारा केवल 80 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह वेतन क्रम बढ़ाया जाना सरकार के विचाराधीन है और कब तक बढ़ा दिया जाएगा, और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरन--

जी हां, प्रारम्भिक वेतन तथा महंगाई भत्ता इतना ही है। प्रस्ताव विचाराधीन है परन्तु कोई निश्चित समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री मन्नू लाल द्विवेदी--

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उपरन्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

फैजाबाद जिले के ग्राम चांदपुर में नहर की पटरियों के खड्डे की मरम्मत की मांग

2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जिला फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में ग्राम चांदपुर के पास नहर की माईनर पर निर्मित पुलिया के दोनों तरफ लगभग आठ-आठ गज की दूरी तक पांच-पांच फीट से ज्यादा गहरे खड्डे हैं जिसके परिणाम स्वरूप उक्त माईनर की दोनो पटरियों पर से आवागमन असम्भव हो गया है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई मन्त्री इस कठिनाई को दूर करने के लिए कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां। बरसात के बाद उन खड्डों को ठीक करा दिया जायेगा।

पर्वतीय जिलों के राजकीय स्कूलों के अध्यापकों की सेवा समाप्ति

3—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में इस वर्ष कितने राजकीय स्कूलों के अस्थायी अध्यापकों की सेवायें समाप्त की गयी हैं। और उनमें कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनकी सेवायें पांच वर्ष से अधिक की हैं ?

श्री काली चरन—

एक।

4—श्री राम सिंह—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

5—श्री राम दत्त जोशी—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

6—श्री राम सिंह—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

मुरादाबाद तहसील में चीनी की चोर बाजारी

7—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद की तहसील मुरादाबाद में जो 72 बोरी चीनी का ब्लैक अक्तूबर, 1975 में पक ा गया था उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जिला मुरादाबाद की तहसील मुरादाबाद में अक्तूबर, 1975 में 72 बोरी चीनी की चोरबाजारी का कोई केस नहीं पक ा गया। तथापि, कुछ न्याय पंचायतों की चीनी फर्जी कोटेदारों द्वारा उठाकर उसकी चोर बाजारी किए जाने की एक शिकायत जनवरी, 1976 में आई थी जिस पर जिलाधिकारी, मुरादाबाद से रिपोर्ट मांगी गई। अक्तूबर, 1976 में शासन को परगनाधिकारी की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस पर जिलाधिकारी ने अपनी कोई राय या संस्तुति नहीं दी थी। अतएव उनसे 20 दिसम्बर, 1976 को कहा गया कि वे

अपनी स्पष्ट संस्तुति भेंजे। जिलाधिकारी का पत्र अब 30 अगस्त, 1977 को प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के एक लिपिक को अनधिकृत व्यक्तियों को कोटा की 43 बोरी चीनी उठवा देने का दोषी ठहराया है। जिलाधिकारी को पता लगाने को कहा गया है कि अनधिकृत व्यक्तियों के पास परमिट कैसे पहुंचे। भारतीय खाद्य निगम को अपने लिपिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने को लिख दिया गया है।

नलकूप खंड फर्रुखाबाद के नलकूप चालकों के स्थायीकरण की मांग

8—श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में नलकूप खंड में कितने स्थायी और अस्थायी पद नलकूप चालकों के हैं? इन अस्थायी पदों के स्थायी न करने का क्या कारण है?

श्री बलवीर सिंह—

नलकूप खंड, फर्रुखाबाद में इस समय नलकूप चालकों के कुल 289 पद हैं जो सभी अस्थायी हैं। इनमें से 100 पदों का सृजन वर्ष 1976-77 में हुआ है। अत: केवल 189 पद ही जो तीन वर्ष से अधिक समय से चल रहे हैं, इस समय स्थायी किए जाने हैं। इनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

9—**श्री पुरुषोत्तम** कौशिक—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

देवरिया जि ले के गंगोली ग्राम सभा के चंवर में ओझवलिया नाले का निर्माण

10—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के पडरौना विकास खण्ड के गंगोली ग्राम सभा के दक्षिण तरफ चंवर में जल जमाव से हजारों एकड़ क्षेत्र जलमग्न हो जाता है तथा फसलें नष्ट हो जाती हैं। यदि हां, तो क्या उक्त वाटर लागिंग (नशेव) क्षेत्र में शीघ्र जल निकास नाले की व्यवस्था की जाएगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां।

औझवलिया नाला निर्माणाधीन है इसकी लम्बाई 14 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर की लम्बाई में खुदाई हो चुकी है। समस्त कार्य जून, 1978 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

फर्रुखाबाद जिले के नलकूप खंड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा रोका गया गोपनीय प्रतिवेदन

11—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के नलकूप खण्ड से 1973-74, 1974-75 से तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता अपने अधीनस्थ कितने कर्मचारी और अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन अपने स्थानान्तरण के बाद अपने साथ ले गए? अनेक बार लिखित मांग करने पर भी उन्हें वापस न करने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि गोपनीय प्रतिवेदन के अभाव में लोगों की वार्षिक वेतन-वृद्धि एवं स्थायीकरण रुका हुआ है? यदि हां, तो क्या शासन ने कोई जांच करवाई और उसका क्या परिणाम निकला?

श्री बलबीर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

12—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

बस्ती जिले के इटवा-बिसकोहर मार्ग की मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि

13—श्री विश्वनाथ पण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के अन्तर्गत इटवा-बिसकोहर रोड पर जून, 1975 से जून, 1977 तक उसकी मरम्मत पर कितना रुपया किन-किन कार्यों के लिए खर्चा किया गया ? क्या सरकार इस सड़क को तारकोल रोड बनाने की योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूर्ण होगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

बस्ती जिले के अन्तर्गत इटवा-बिसकोहर मार्ग की मरम्मत पर जून, 1975 से जून, 1977 तक मदवार कुल व्यय 87,546.31 रुपए निम्न प्रकार हुआ है :—

कार्य का विवरण		लागत
(1) किलोमीटर 18, 19, 30 एवं 31 में मिट्टी का कार्य	..	8,752.00
(2) कि0 मी0 19-22, 24-28 में ईंट की गिट्टी संचय	..	62,975.00
(3) कि0 मी0 30 से 33 में पत्थर की गिट्टी संचय	..	2,310.00
(4) मजदूरों का वेतन	..	13,509.31
योग	..	87,546.31

इस मार्ग को तारकोल लेपित बनाने की अभी तक कोई योजना नहीं बनी है।

14—श्री कृष्णा राय—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

15—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित।]

मन्त्रियों द्वारा प्रश्नों के स्थगित कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी और राजस्व मन्त्री जी से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रश्नों को स्थगित करने के उन्हीं की ओर से अधिकांश प्रार्थना-पत्र आते हैं। एक सप्ताह से अधिक किसी प्रश्न को स्थगित करना उचित नहीं होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया जो भी प्रश्न समय पर आते हैं उनकी सूचना समय के अन्दर प्राप्त करने की कोशिश करें और अन्य मन्त्री भी इस बात को ध्यान में रखें जिससे कि प्रश्नों को बार-बार स्थगित न करना पड़े।

सदन के संज्ञान में लाए जाने वाले विषयों का उत्तर शीघ्र देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, आप अपनी व्यवस्था दें, शून्य प्रहर की सूचना के बारे में आप बार-बार आदेश देते हैं और दो बार तो दे ही चुके हैं कि सात दिन के अन्दर मन्त्री महोदय हम लोगों के पास यह सूचना वक्तव्य के रूप में दे दें। आज दो माह हो गये हैं मैंने 6–7 सूचनायें दी लेकिन एक का भी हमारें पास उत्तर नहीं आया ....

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

वक्तव्य के रूप में नहीं।

श्री श्यामधर मिश्र---

इसमें क्या होना चाहिए ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जो सूचनायें माननीय सदस्य देंगे सप्ताह के अन्दर जानकारी दे देंगे यह व्यवस्था दी गयी थी। यह व्यवस्था नहीं दी गयी थी कि एक सप्ताह के अन्दर वक्तव्य के जरिए सूचना दे दें।

श्री अध्यक्ष---

वक्तव्य के लिए नहीं। जो प्रश्न शून्य आवर में उत्पन्न होते हैं उनमें निर्देश दिया गया था कि सम्बन्धित मन्त्री-गण एक सप्ताह में सम्बन्धित सदस्य को जो कार्यवाही की गयी, उसकी जो सूचना हो, भेज दें। सदन में वक्तव्य देनें की आवश्यकता नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

यही मान्यवर, मैं भी कह रहा था।

श्री अध्यक्ष---

इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस तरह के जो प्रश्न, जिनको मैंने उत्तर के लिए भेजा है, कृपया उनका उत्तर सम्बन्धित सदस्यों को भेज दिया जाय और जो इस तरह की सूचनायें सदन को दी जाती हैं उनका उत्तर यथासम्भव सप्ताह के अन्दर अवश्य सम्बन्धित माननीय सदस्य को भेज दिया जाय। यदि उत्तर न भी दे सकें, सूचना में कठिनाई हो, तो अन्तरिम उत्तर दिया जाना चाहिए।

आगरा विश्वविद्यालय में व्याप्त अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगरा विश्वविद्यालय में व्याप्त अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के बारे में अनेक ज्ञापन सरकार को दिए जा चुके हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

(1) 23 जुलाई, 25 जुलाई तथा 30 जुलाई, 1977 को आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं सुचारु रूप से नहीं चल सकीं। बहिर्गमन हुआ, एक कालेज को क्षति पहुंची तथा अध्यापकों के चोटें आयीं। कारण था कि विश्वविद्यालय ने छात्रों की संख्या की ठीक सूचना तथा संख्या के अनुसार प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं नहीं भेजी थीं। फलस्वरूप परीक्षाएं हों ही नहीं सकती थीं।

(2) कुलपति तथा परीक्षा समिति के सदस्यों ने अपने पुत्र तथा पुत्रियों के लिए स्वयं परीक्षक नियुक्त किए तथा उन्हें प्रथम श्रेणी तथा प्रथम स्थान दिलवाए। परीक्षाओं में धांधली के अनेक मामलों के प्रमाण समाप्त करने के लिए उत्तर पुस्तिकायें जला दीं।

(3) भाई-भतीजेवाद तथा पक्षपात के आधार पर ऐसे अध्यापकों एवं प्राचार्यों की नियुक्तियां की गयीं जिनको परिनियमों द्वारा निश्चित योग्यतायें प्राप्त न थी।

(4) विश्वविद्यालय के सम्पर्क अधिकारी श्री के0 पी0 सिंह की हत्या जून 1977 के प्रथम सप्ताह में हुई जिसके बारे में जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक शिकायतें हैं?

छात्रों एवं अध्यापकों के प्रदर्शन के कारण आगरा में महामहिम राज्यपाल के आगरा पहुंचने के बाद भी उनके 3 तथा 4 सितम्बर, 1977 के कार्यक्रम निरस्त करने पड़े।

आगरा शहर में धारा 144 लागू है। यदि सरकार कुलपति के विरुद्ध कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है तो आगरा विश्वविद्यालय के पूरे क्षेत्र में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

बांदा जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के मन्त्री श्री कामता प्रसाद शास्त्री की हत्या के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, बांदा जिला शिक्षक संघ के मन्त्री श्री कामता प्रसाद शास्त्री की हत्या 3 सितम्बर, 1977 को कर दी गई। पुलिस को लिखाई गई प्रथम सूचना में हत्या करने एवं षड़यन्त्र रचने वालों के जो नाम लिखाए गए हैं, उनमें अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त इस विधान सभा के सदस्य, श्री सुरेन्द्रपाल भी हैं। जो लोग अब तक पकड़े गए हैं, उन्होंने भी यह बताया है कि श्री सुरेन्द्र पाल, विधायक तथा मदौसा विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा इस हत्या का षड़यन्त्र बनाया गया था। रुपया दे कर हत्या कराई गयी है। परन्तु आश्चर्य है कि अभी तक श्री सुरेन्द्रपाल को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया।

पुलिस की इस अकर्मण्यता एवं पक्षपातपूर्ण नीति से जनता में भीषण असन्तोष है तथा स्थानीय पुलिस के ऊपर से जनता का विश्वास उठ रहा है।

अतएवं मैं समस्त दोषी व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार करने एवं ढिलाई बरतने के लिए दोषी पुलिस जनों को दन्डित कराने हेतु यह सूचना देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बांदा)--

मुझे एक स्पष्टीकरण देना है ....

श्री अध्यक्ष--

पहले सूचनायें हो लेने दीजिए। अगर आप स्पष्टीकरण देना चाहेंगे, तो मैं इजाजत दे दूंगा।

तहसील रसड़ा, जिला बलिया के कतिपय ग्रामों में क्षय व सुनबहरी रोग के प्रसार से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मन्नू राम (जिला बलिया)--

मान्यवर, ग्राम डेहरी, कोटवारी, टीकादेऊरी, नगपुरा, प्रधानपुर, फिरोजपुर आदि गांवों में जो रसड़ा तहसील के अन्तर्गत हैं क्षय रोग व सुनबहरी का व्यापक प्रसार हो गया है। इन गांवों में इस बीमारी के फैल जाने से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग भाग कर इधर-उधर जहां-तहां अस्पतालों में एवं चिकित्सालयों में अपनी दवा कराने जा रहे हैं। लेकिन गरीब जनता मौत का शिकार बनती जा रही है। इस गांव में 25 वर्षीय हरिजन ल. के की मौत क्षय रोग से हो गयी। अब तक कुल सैकड़ों आदमी इस भयंकर रोग की चपेट में चल रहे हैं जिसमें 15-20 की हालत अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। इन रोगों का समुचित इलाज साधन व्यवस्था न होने के कारण गरीब जनता को मौत के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है।

अस्तु, मैं सरकार का ध्यान इस भंयकर रोगों के रोक-थाम व इलाज हेतु आकर्षित करता हूं।

थाना दशाश्वमेघ, वाराणसी के दरोगा तथा सिपाही को मुअत्तल किए जाने पर पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

महोदय, वाराणसी शहर के दशाश्वमेघ थाने की पुलिसजनों ने गत शनिवार तारीख 3 सितम्बर से खाना नहीं खाया, उनकी सहानुभूति में कोतवाली तथा भेलुपुर थाने के लोग भी खाना नहीं खाए। इसका कारण यह मालूम हुआ है कि वहां के एक दरोगा तथा सिपाही को निलम्बित करके गिरफ्तार कर लिया गया था। विदित हुआ है कि शनिवार की रात में एक युवा कार्यकर्ता खटबन राम और उनके भाई ने पुलिस पर यह आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी पिटाई की और इस पर थाने में रिपोर्ट भी लिखाई। पहले तो दरोगा व सिपाही को मुअत्तल किया गया। फिर राजनैतिक लोगों के दबाव से वे लोग पकड़े गये और लाइन हाजिर किए गए। पुलिस की ओर से दशाश्वमेघ थाने में अनेक राजनैतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम काज में दखलन्दाजी और सरकारी कार्यालय में घुस कर तोड़-फोड़ आदि के आरोप में रपट लिखाई। मालूम हुआ है कि यह भी आरोप लगाया गया है कि राजनैतिक कार्य कर्ताओं ने पुलिसजनों को पीटा भी है। कई अन्य थानों के वाराणसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम धर मिश्र]

शहर में कई बार घेराव आदि भी हुए हैं। पुलिस जनों में बराबर असन्तोष बढ़ता दिखलाई दे रहा है। ऐसा वाकया कैसे हुआ, क्यों हुआ क्या ब्योरा है, इस सम्बन्ध में आगे क्या हो रहा है, मालूम नहीं। दफा 144 लागू कर दी गई है।

कृपया अध्यक्ष जी, तत्काल इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं जानकारी दे दूं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप जानकारी दे दें

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं और माननीय खाद्य मन्त्री श्री हरिश्चन्द्र जी बनारस में कल और परसों उपस्थित थे और केन्द्रीय राज्य मन्त्री माननीय जनेश्वर मिश्र जी भी वहां उपस्थित थे। जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधिकारी भी वहां थे,उन सब से बातचीत हुई। एक कार्यकर्ता ने कुछ आरोप लगाए थे कि कुछ पुलिस कर्मचारियों ने जिसमें दरोगा भी शामिल थे, ने किसी कार्यकर्ता की पिटाई की और दशाश्वमेघ घाट थाने में रिपोर्ट लिखाई गई और उस रिपोर्ट पर जो कार्यवाही हुई उसमें पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा उनकी जमानत हो गई। यह कहना टीक नहीं है कि बनारस में उस कारण दफा 144 लागू हो गई। यह कहना भी ठीक नहीं है कि वहां पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों में कोई असन्तोष व्याप्त है। इतना जरूर हुआ कि पुलिस कर्मचारियों ने इस बात का आह्वान किया था कि हम भूख हड़ताल करेंगे लेकिन जब जानकारी कराई गई तो यह पता लगा कि कुछ लोगो ने रोजे के कारण खाना नहीं खाया और चूंकि उस दिन जन्माष्टमी थी तो उस कारण भी लोग व्रत रखे हुए थे। तो सारा मामला वहां ठीक है वहां शान्ति व्यवस्था कायम है। पुलिस कर्मचारियों में तनिक भी असन्तोष नहीं है। मैं कल 4 बजे तक वहां था तब तक स्थिति काबू में थी। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर) इस पर आप जानते हैं कि कोई प्रश्न की अनुमति नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र—

उस दिन कहां जन्माष्टमी थी ?

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि उस दिन जन्माष्टमी कहां थीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, दो दिन जन्माष्टमी होती है एक दिन वैष्णवों की और दूसरे दिन जो वैष्णव नहीं हैं, उनकी। मान्यवर, जन्माष्टमी तो 6 दिन तक चलती है आप जानते हैं बनारस में बड़ी अच्छी झांकियां सजाई जाती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जन्माष्टमी सोमवार को भी थी।

फैजाबाद सर्किट हाउस में बिजली से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से 19 अगस्त, 1977 को खाद्य मन्त्री उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में सरकिट हाउस, फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से एक व्यक्ति की मृत्यु और बाद में जिला अस्पताल, फैजाबाद के डाक्टरों द्वारा उस पर पर्दा डालने के गर्हित प्रयास से उत्पन्न क्षोभ के वातावरण की सूचना देता हूं।

मान्यवर, आप के माध्यम से सरकार और इस माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि फैजाबाद जिले में सर्किट हाउस में चार कूलर लगे हैं लेकिन उनमें से किसी की भी अर्थिंग नही हुई है और स्पेसिफिकेशन के अनुसार तार भी नहीं लगे हैं जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 19 अगस्त, 1977 को जब माननीय खाद्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार, फैजाबाद पधारे थे उनका एक नौकर जो उनके साथ गया था, दुर्घटना का शिकार हो गया और तुरन्त घटना स्थल पर ही मर गया। माननीय खाद्य मन्त्री जी, जिलाधिकारी समेत तमाम अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तथा पत्रकारों की मौजूदगी में सहायक विद्युत् निरीक्षक को बुलाया गया और जांच के बाद उसने बताया कि जिस कूलर से उस नौकर की मृत्यु हुई थी उसमें बिजली का बुरी तरह से लीकेज था और 100 प्रतिशत करेन्ट पास हो रही थी जिस समय यह घटना घटी तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के सभी सम्बन्धित कर्मचारी घटनास्थल से भाग खड़े हुए। सहायक विद्युत् निरीक्षक की रिपोर्ट के बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह खतरा लगा कि अगर पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट सही-सही आ गई तो अर्थिंग न करने के कारण जब से कूलर लगा तब से लेकर आज तक के सभी उच्च अधिकारीगण जिम्मेदार करार दिए जायेंगे और जांच की लपेट में आ जायेंगे, तो बताया जाता है कि उन्होंने पद और पैसे का प्रयोग करके जिला अस्पताल के डाक्टरों को मिला लिया और उनसे यह फर्जी रिपोर्ट लगवा लिया कि "काज आफ डैथ इज नाट असरटेन्ड" मत्यु के कारण को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

मान्यवर, उक्त घटना से समूचे जनपद में बड़ा क्षोभ पैदा हो गया है। जनता में सरकार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए इस सदन के स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव, लालबहादुर शास्त्री तथा राजर्षि टण्डन जैसे सदस्यों एवं महान आत्माओं द्वारा स्थापित नैतिक कीर्तिमान को अक्षुण्य बनाए रखने की भावना से स्वस्थ्य जनतांत्रिक परम्पराओं को कायम करने हेतु आपके माध्यम से मैं पूरी घटना की सरकार द्वारा जांच कराये जाने, मृतक के परिवार को मुआवजा देने तथा स्वास्थ्य मन्त्री एवं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के त्याग-पत्र की मांग करता हूं।

थाना दशस्वमेध, वाराणसी के दरोगा तथा सिपाही को मुअत्तल किए जाने पर पुलिस कर्मचारियों में असन्तोष को सदन के संज्ञान में लाना (क्रमागत)

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने अभी जो माननीय सदस्य, वाराणसी, श्री मिश्र जी के ध्यान आकर्षण प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी दी है, उस सम्बन्ध में मैं उनसे और शासन से आग्रह करूंगा कि पिछले वर्ष की पृष्ठभूमि में वह इस प्रश्न को, पुलिस के असन्तोष को बहुत हल्केपन से न लें। क्योंकि प्रदेश में पहले बहुत सी ऐसी घटनायें हो चुकी हैं कि पुलिस के साधारण असन्तोष के बड़े गम्भीर परिणाम निकले हैं। यह तो अच्छा हुआ कि वह स्वयं और खाद्य मन्त्री जी वहां गए ? इन्सपेक्टर जनरल पी0 ए0 सी0 भी वहां गए हैं और वहां थे। तो कुछ न कुछ मामला अवश्य था, इतना ही नहीं कि रोजा और जन्माष्टमी के कारण लोगों ने भोजन नहीं लिया। रोजा में वह रात्रि में भोजन करते ही हैं। इसलिए मैं शासन से आग्रह करूंगा कि इसमें पुलिस के व्यापक असन्तोष की आशंका है, नगर और प्रदेश के ला एन्ड आर्डर का प्रश्न है, अत: उनके डिमारलाइज करने से काम नहीं चलेगा। पुलिस का मारेल ऊंचा रहे, यह आवश्यक है। अत: मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो बुनियादी कारण हैं, उसमें जाया जाए ताकि पुलिस में असन्तोष न बढ़े।

फैजाबाद सर्किट हाउस में बिजली से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

फैजाबाद के सर्किट हाउस में अर्थ न होने की वजह से एक कर्मचारी की मृत्यु होना यह अत्यन्त दु:ख का विषय है। आप कृपया इसकी जांच कराएं और साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अत: जितने भी आपके अधीन इन्सपेक्शन हाउसेज हैं, कृपया उनमें देखें कि सबके अन्दर अर्थ हैं, ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं भविष्य में न हों। साथ ही साथ सिंचाई विभाग के भी डाक बंगले हैं, वहां भी इस बात की सावधानी बरती जाए, जिस दुर्घटना की तरफ माननीय तिवारी जी ने ध्यान दिलाया है। अर्थ न होने की वजह से ऐसी घटनाएं न हों, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी इसकी जांच करके इस सदन में यथाशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें।

माध्यमिक शिक्षक संघ बांदा के मन्त्री श्री कामता प्रसाद शास्त्री की हत्या के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ सिंह परमार द्वारा लगाये गये आरोपों का श्री सुरेन्द्रपाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष—

सुरेन्द्रपाल जी, आप अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं, किन्तु किसी पर आक्षेप न करते हुए, केवल अपनी बातों से सम्बन्धित रहते हुए ही नियमानुसार स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बांदा)—

माननीय सदस्य, श्री जगन्नाथ सिंह परमार द्वारा दी गयी सूचना जिसमें मेरा नाम शामिल किया गया है, बिल्कुल गलत है। श्री कामता प्रसाद शास्त्री की हुई हत्या से मेरा कहीं से कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं इसकी सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच चाहता हूं। साथ ही जो षड़यन्त्र रचा गया है, वह थानाध्यक्ष, नरैनी और दूसरे राजनैतिक दल के लोगों द्वारा रचा गया है। मैं पहले भी इसके लिए थानाध्यक्ष, नरैनी के खिलाफ 26 अगस्त, को एक प्रश्न रख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुका हूं। आई0 जी0 से भी मिला था। 30 अगस्त को माननीय मुख्य मन्त्री, वित्त मन्त्री और ग्राम्य विकास मन्त्री से मिलकर उन्हे बताया था तथा 31 अगस्त को आई0 जी0 से मिला था। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। थाना अध्यक्ष, नरैनी श्री प्रताप सिंह पान्डेय अपने अनाचार और भ्रष्टाचार के लिए पूरे बांदा जिले में बदनाम हैं, यह डकैतों और भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देते हैं, उन्हें शरण देते हैं, उनसे भारी-भारी रिश्वतें लेते हैं और दूसरे निरपराध लोगों को बेकसूर आतंकित करते हैं, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं....

श्री अध्यक्ष—

इस स्पष्टीकरण से आप दायरे के बाहर जा रहे हैं। आपने स्पष्टीकरण दे दिया, सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि उसकी जांच पूरी तरह से की जाए।

श्री सुरेन्द्रपाल—

मैं इस पर सरकार की निष्पक्ष सी0 बी0 आई0 की जांच चाहता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इसमें स्पष्टीकरण सम्बन्धित सदस्य ही कर सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मैं केवल सरकार से मांग करना चाहता हूं। एक ने नियमानुसार मन्त्री जी से शिकायत की थी। उन्होंने इस प्रश्न को सदन में उठाने की कोशिश की, यह तमाम तथ्य हैं। उसके बाद माननीय सदस्य कहते हैं कि उसके कारण उनको किसी कत्ल के मुकदमें में फंसाया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि यह परम्परा कोई नयी नहीं है। पुलिस हमेशा इस हथकन्डे को इस्तेमाल करती रही है। हमने पिछले सदन में देखा एक माननीय सदस्य की पिटाई कर दी। यहां पर मालवीय जी बैठे हुए हैं, माननीय मन्त्री जी बैठे हुए हैं, मैं मांग करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की कृपा करें। इसको सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द कर दें या विजिलेंस को दे दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर,

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहस नहीं।

श्री ऊदल—

एक माननीय सदस्य को कत्ल के केस में फंसाने का इतना बड़ा षड्यन्त्र है। मैं इतनी मांग करता हूं कि विजिलेंस या सी0बी0 आई0 या सी0 आई0 डी0 से जांच करायी जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, चूंकि एक गम्भीर आरोप कत्ल में षड्यन्त्र का एक माननीय सदस्य के विरुद्ध एक माननीय सदस्य ने लगाया है, कृपया इसकी जांच सी0 आई0 डी0 के द्वारा करा ली जाय।

श्री देवकुमार (जिला बांदा)--

एक निवेदन है। जिले में एक आन्दोलन खड़ा किया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए देवकुमार जी।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--

सदन की कमेटियों के चुनाव का मैंने निम्नलिखित कार्यक्रम रखा है, जिन कमेटियों का चुनाव होगा वह हैं--लोक लेखा समिति के लिए 21 सदस्य, प्राक्कलन समिति के लिए 25 सदस्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के लिए 25 सदस्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए 21 सदस्य, 29 स्थायी समितियों के लिए प्रत्येक में 16-16 सदस्य, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड के लिए दो सदस्य, नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड के लिए दो सदस्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच सदस्य, लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच सदस्य, आगरा विश्वविद्यालय की सभा के लिए 5 सदस्य, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिए 4 सदस्य, कानपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच सदस्य, काशी विद्यापीठ की सभा के लिए पांच सदस्य, मेरठ विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच सदस्य, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच सदस्य, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट के लिए चार सदस्य, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड के लिए दो सदस्य तथा अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी के लिए चार व्यक्तियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है--

नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय.. दिनांक 21 सितम्बर, 1977 को 4 बजे अपराह्न तक।

नाम-निर्देशन-पत्रों की समीक्षा की तिथि तथा समय .. दिनांक 22 सितम्बर, 1977 को 3 बजे अपराह्न (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय .. दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 को 4 बजे अपराह्न तक।

मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो --

(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड, नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा, लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा, आगरा विश्वविद्यालय की सभा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, कानपुर विश्वविद्यालय की सभा, काशी विद्यापीठ की सभा, मेरठ

विश्वविद्यालय की सभा, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा, अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट तथा गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के लिए दिनांक 10 अक्तूबर, 1977 को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न 5 बजे तक (कमरा नं0 48 में), (ख) 29 स्थायी समितियों के सदस्यों के लिए दिनांक 11 अक्तूबर, 1977 को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न 5 बजे तक (कमरा नं0 48 में)। इन निर्वाचनों से सम्बधित नाम-निर्देशन-पत्र आपको विधान सभा के नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे।

दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 †

*न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, जैसा हम सभी जानते हैं कि दन्ड प्रक्रिया की धारा 167 के अन्तर्गत पहले यह माना जाता था और सभी न्यायालय इसको स्वीकार करते थे कि किसी अपराध में दंडित व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने सरेन्डर करना चाहता था तो वह मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो जाता था और मैजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार कर के जेल भेज देता था। इससे फायदा यह होता था कि जो पुलिस के हाथ गिरफ्तार नहीं होना चाहता था वह अपराधी स्वत : न्यायालय के सामने आकर अपने को आत्म-समर्पित कर देता था जिससे कि अपराधी के ऊपर मुकदमा चलाया जा सके, लेकिन मान्यवर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केदार बनाम राज्य सरकार के मामले में दिनांक 22 फरवरी, 1977 को यह निर्णय दे दिया कि किसी अपराध के संदिग्ध व्यक्ति अपने को मैजिस्ट्रेट के सामने आत्म समर्पण करता है तो धारा 167 लागू नहीं होगी क्योंकि वह पुलिस के सामने आत्म समर्पण नहीं करता है। इसके कारण मान्यवर, सभी बार एसोसिएशन से जिला मैजिस्ट्रेटों से और जनता से बड़ी संख्या में मांग होती रही कि जो निर्णय हुआ है उसके अनुसार अगर अपराधी मजिस्ट्रेट के सामने आत्म समर्पण करता है तो मैजिस्ट्रेट उसको अपनी कस्टडी में लेने से इन्कार करता है। परिणाम यह होता है कि अपराधी जो स्वत : अपने को आत्म समर्पण के लिए तैयार रहता है वह वापस चला जाता है। इसके कारण काफी कठिनाई उत्पन्न हुई और जो पूर्व स्थिति थी उसको लाने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। यह संशोधन जनता की बहुत बड़ी मांग के कारण लाया गया है, अत : इसको पास करेंगे और स्वीकार करेंगे।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो दो सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जो कठिनाई माननीय मन्त्री जी ने बतलाई वह कठिनाई इस समय दूसरे राज्य के अन्दर महसूस हुई, उस फैसले के अनुसार। लिहाजा इस संशोधन को पास करना

---

† दिनांक 2 सितम्बर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिह नेगी]

जरूरी है, लेकिन मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि केवल यही संशोधन काफी नहीं है। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि किस तरह झूठे इलजाम संभ्रात नागरिकों के ऊपर लगाए जाते हैं कि उनको हथक ों पहना कर बाजार में घुमा दिया जाए। इसी कारण ला कमीशन ने इस बात की सिफारिश की थी किसी आर० पी० सी० में एन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान होना चाहिए। ला कमीशन की सिफारिश सरकार ने स्वीकार की और स्वीकार करने के बाद 73 के अन्दर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर संशोधन कर दिया। या और संशोधन करके मान्यवर, बाकायदा एक सेक्शन इस बात का रखा गया है जिसमें कि एन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान था। इस सेक्शन को रखने से पहले हमारे हाई कोर्ट्स समझते थे कि ऐन्टीसिपेटरी बेल देने का उनको अधिकार है क्योंकि कुछ हाई कोर्ट्स का निर्णय यह था कि ऐन्टीसिपेटरी बेल देने को कोई अधिकार नहीं है। तो यह कनफिलक्टिंग रूलिंग लगातार इस देश के अन्दर चलती गई तो इस ऐन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान सी० आर० पी० सी० के अन्दर है, मान्यवर। लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर जैसा कि मेरे लायक दोस्त जो उधर बैठते हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि जब उनके मुकदमें की जमानत हो गई तब उस समय शायद उस समय की सरकार ने इसमें अमेन्डमेंट किया। केन्द्रीय सेन्ट्रल ऐक्ट के अन्दर ताकि आप लोगों की जमानत न हो, ऐन्टीसिपेटरी बेल आप न ले जा सकें तब जाकर यह प्राविधान उत्तर प्रदेश के अन्दर से हटाया गया। लेकिन मान्यवर, वह मित्र अब सरकार के अन्दर पहुंच गए हैं, अब इस बात को भूल गए हैं जो प्राविधान उनके खिलाफ लाए गए थे, उनको आप अब भी बरकरार रखना चाहते हैं। मन्त्री जी बैठे हुए हैं इस बात की वे सार्वजनिक रूप से घोषणा कर देते हैं कि ऐन्टीसिपेटरी बेल को हटाने का जो संशोधन किया गया था और उस संशोधन को निरस्त कर दिया जाएगा और ऐन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान किया जायेगा। माननीय न्याय मन्त्री जी ने उस समय 3 संशोधन भी प्रस्तुत किये थे। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस ऐन्टीसिपेटरी बेल के प्राविधान के रखने के पक्ष में नहीं थे तो आपने सार्वजनिक रूप से यह वक्तव्य क्यों दे दिया? आपने जनता को धोखा दिया। आपने क्यों नहीं उस दिन कहा कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है। एक तरफ आप यह घोषणा करते हैं। मान्यवर, आज हमारे गृह मन्त्री श्री चरण सिह जी, जो कि इस देश के अन्दर पुलिस रूल कायम करना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से आप लोग इस प्राविधान का इस्तेमाल करते थे ठीक उसी तरीके से संविधान में यह संशोधन लाया गया राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक हितों को देखते हुए आज इस पर पुनर्विचार हो रहा है। आप आज इसको हटाना चाहते हैं तो उसी प्रकार की राजनीतिक बदनियती है अपने विरोधियों को हटाकर के, उनको जलील करके चाहे मुकदमें में कोई फैसला हो कोई कायदा नहीं है।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। जब आपने ऐसी व्यवस्था दी है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके विरुद्ध किसी प्रकार का आक्षेप न किया जाए।

श्री गोविन्द सिह नेगी--

मान्यवर, मैं तो कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं तो गृह मन्त्री की बात कर रहा हूं जिनकी नीतियां इस प्रदेश के अन्दर भी लागू होंगी जिनको लागू करने के

लिए इस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है उस बात को कह रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अपने शासक दल के मन्त्रियों से कि मत भूलिये आपने अपने घोषणा-पत्र के द्वारा नागरिक अधिकारों का संरक्षण देने की बात कही है लिहाजा आपका भी कर्त्तव्य है कि कहीं ऐसा न हो कि यह प्राविधान रह जाए। आज आप उधर बैठे हैं, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कल आपके खिलाफ भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। मेरा निवेदन यह था कि माननीय न्याय मन्त्री जी अगर इस संशोधन को भी ले आते कि जो पिछले संशोधनों को निरस्त करते तो बहुत बड़ी बात होती लेकिन अब ऐसा लगता है कि नियत में कुछ फर्क होने जा रहा है जिससे उन संशोधनों को लाने की ये हिम्मत नहीं कर पा रहे है।

पिछले संशोधनों के अन्दर एक और बात की गई है कि लोक अभियोजकों (पब्लिक प्रौसीक्यूटर) को पहले पुलिस के नियन्त्रण में रखा था। ला कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार यह एमेन्डमेंट किया कि लोक अभियोजकों को पुलिस के नियन्त्रण से हटा दिया जाय ताकि वह स्वतन्त्र रूप से अपना अभियोजन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। इस सम्बन्ध में माननीय उदित नारायण शर्मा जी का भी प्रस्ताव है, शायद वह असरकारी रूप में आ रहा है। तो जो बुनियादी एडमिनिस्ट्रेशन आफ क्रिमिनल जस्टिस, ला कमिशन की संस्तुति है, जिसको आपके दल ने भी स्वीकार किया है, जिनको विरोध पक्ष के तमाम सदस्यों ने और भूतपूर्व सरकार ने भी स्वीकार किया है और जो एमर्जेन्सी के दौरान में थे उनको रिस्टोर करने में आपको क्या दिक्कत है ? इस समय सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी तो नहीं हैं लेकिन माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी हैं। ये तो स्वर्गीय लोहिया जी के समर्थक रहे हैं, उनकी नीतियों का अनुसरण करते रहे हैं। आज से नहीं बल्कि स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास से लगातार मांग होती रही है कि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में जो निरोधात्मक प्रोविजन्स हैं, उनको समाप्त कर दिया जाय। जो दफायें 107, 116 और 151 हैं उनका लगातार लोहिया जी ने विरोध किया था। मधुलिमए जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में जिसमें मैं भी शामिल था, उसका विरोध किया था। तो जो मांग राजनीतिक आन्दोलन के समय से चली आ रही थी, जो मांग लगातार हमारे माननीय लोहिया जी करते आए थे उसको ध्यान में रखते हुए, 107/117, 151, 109, 110 को हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप जानते हैं कि कार्य-मन्त्रणा समिति ने इस विधेयक के लिए केवल एक घंटे का समय रखा है। चूंकि अन्य सदस्यों को भी अपने-अपने सुझाव देने हैं, अत : आप अपनी बात शीघ्र समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

तो मेरा निवेदन है कि जाने-माने सिद्धान्त जिनको आपका दल स्वीकार करता है जिनको आपके नेता स्वीकार करते हैं, जिनकी सम्बन्धित मन्त्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है तो कौन से कारण है आज आप उन घोषणाओं को चरितार्थ नहीं करते हैं। जो मांग राजनीतिक आन्दोलन से लगातार चली आ रही है, जब उन पर अमल करने का प्रश्न आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। पिछली सरकार ने एमरजन्सी के दौर में सी आर0 पी0 सी0 में जो संशोधन किए उनको समाप्त होना चाहिए। माननीय मन्त्री जी को आश्वासन देना चाहिए कि वे तमाम संशोधन निरस्त किए जायेंगे और भविष्य में वे एक ऐसा बिल लायेंगे जो

[श्री गोविंद सिंह नेगी]

इस बात की पूर्ति करेगा। इसीलिए मैंने, मान्यवर, 2 सप्ताह का समय मांगा है जिसमें सेलेक्ट कमेटी द्वारा हर बात पर छानबीन हो जायगी और वह इस सत्र में अपनी रिपोर्ट दे देगी। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेगी जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। परन्तु वह बात इससे सम्बन्ध नहीं रखती है जो विधेयक माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है। बात को पूरी समझदारी के साथ न कहने का मतलब यह होता है कि वह ठीक ढंग से समझ में नहीं आती है। माननीय मन्त्री जी का कहना सिर्फ यह है कि अभी पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि जो अपराधी आकर के आत्मससमर्पण करके मैजिस्ट्रेट के यहां से जमानत करा लेते थे, उन सब को पुलिस में जाना पड़ता है तो इस सबके करने से सर्वसाधारण में यह बात फैल गयी है। मैं मथुरा गया तो वहां लोग यही कहते थे और प्रदेश के अन्य एक कोने में गया तो वहां भी नागरिकों ने कहा कि जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तबसे हमने मैजिस्ट्रेटों के अधिकार छीन करके पुलिस को अधिकार दे दिए हैं, कि वह अभियुक्तों को पहले हाजिर करें, फिर उसके बाद उनको जेल भेजें चूंकि यह लोगों की ना समझी है तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूलिंग दी है और उसके आधार पर यह प्रक्रिया चल पड़ी है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो किसी को विरोध होना ही नहीं चाहिए।

एक सदस्य—

यह अधूरा है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

तो पूरा कराइए। आप लाइए हम मानेंगे। जब दूसरा विधेयक पेश करें या अपनी तरफ से आप गैर-सरकारी बिल लाइए। तो इस पर कोई विवाद की बात नहीं है।

आज प्रदेश में जहां कहीं अभियुक्त जा रहे है पहले पुलिस को जाना पड़ता था। लोग खुश हो रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट को आना पड़ता है और लोग अपनी जमानत देते हैं या जेल भेजना पड़ता है। तो सीधी-साधी स्पष्ट बात है कि पहले तो आत्मसमर्पण करते वक्त अभियुक्त को पुलिस के यहां जाना पड़ेगा और हवालात में बन्द होना पड़ेगा, फिर दो एक दिन जेल में रहना पड़ेगा, अब उसके बजाय सीधी सी बात है कि अगर लोगों के खिलाफ कोई बात है तो मैजिस्ट्रेट के सामने जमानत करायें। तो यह हाई कोर्ट की रूलिंग के अनुसार हुआ ह। यह सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। न इसमें लोहिया समाविष्ट है न चौधरी चरण सिंह पुलिस राज बना रहे हैं। जो कोई अच्छी बात की जाय उसका भी अनर्थ करते हैं। तब उसमें लोहिया भी समाविष्ट हो जाते है, चौधरी चरण सिंह समाविष्ट हो जाते हैं और आप भी समाविष्ट हो जाते हैं। मैं समझता हूं सदन वास्तव में पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस पर ज्यादा समय न लें और इसे जल्दी पास करें।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हाई कोर्ट की रूलिंग से जो एक समस्या उत्पन्न हो गयी थी, हमारी सरकार का जल्दी से उस ओर ध्यान गया और वह

इस बिल को सामने लायी। जब मैं समर्थन करता हूं तो दो-तीन सुझाव भी मैं माननीय सरकार को देना चाहता हूं। धारा 451 से 457 तक सी0 आर0 पी0 सी0 में जो मुकदमें से सम्बन्धित जायदाद की वापसी का प्रश्न है, अब तक यह प्राविधान था कि मैजिस्ट्रेट अगर किसी के यहां बैलों की चोरी होती है तो उन बैलों को इन धाराओं के अन्तर्गत वापस कर सकता था। अभी हाल में हाई कोर्ट की रूलिंग आ गयी है जिससे कठिनाई हो गयी है कि अगर इस मुकदमें से सम्बन्धित कोई जायदाद है तो मैजिस्ट्रेट उसको वापस नहीं कर सकता। हालत यह हो गयी है कि अगर बैल चोरी में गए हों तो थानेदार या कोर्ट उन बैलों को कहीं रखें। तो इससे काफी कठिनाई हो गयी है। मैं मांग करूंगा कि इस रूलिंग को भी देख लें और शीघ्र ही इसके लिए एक बिल लावें।

मैं इस समय पर यह भी कहना चाहता हूं कि जमानत लेते वक्त तो बादकारी का खर्चा बाद को होता है हलफनामा लगाने में, अब तक यह नहीं था, कि बैल, भैंस पर हलफनामा लगाया जाय। अब बादकारी का जो खर्चा खामख्वाह होता है तो इस हलफनामे को भी सरकार खत्म कर दे ताकि जल्दी से बादकारी को जमानत मिल सके।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मुकदमों के फैसला होने में जो देरी होती है उसमें सब से ज्यादा देरी इस बात की होती है कि जब चार्जशीट सबमिट होती है तो धारा 173 के अन्तर्गत जो डाक्यूमेन्ट्स वादकारी को दिए जाते हैं उसमें तमाम दिन लग जाते हैं, कभी-कभी तो 6-6 महीने और साल-साल भर उन डाक्यूमेन्ट्स को प्राप्त होने में लग जाते हैं। तो माननीय मन्त्री जी कोई ऐसा तरीका अपनायें जिससे धारा 173 के अन्तर्गत जो डाक्यूमेन्ट्स मुल्जिम को प्राप्त होने हैं वह जल्दी प्राप्त हो जाया करें। जिसमें मुकदमें वर्षों न चलें। जब मैं यह कहता हूं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि कचहरियों में भ्रष्टाचार काफी तादाद में फैला हुआ है। अहलमद से लेकर चपरासी तक सारे लोग मुल्जिम की चमड़ी उधेड़ने में लगे हुए हैं। खासतौर से सीतापुर के मुहाफिजखाने में जो दो, चार क्लर्क लगे हुए हैं वे मुकदमेबाजों को बहुत तंग करते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके जरा भी गोश्त रह गया है तो वे उसे खीचनें की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इधर भी जरा ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, माननीय न्याय मन्त्री ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं, परन्तु जो नेगी जी ने प्रवर समिति की बात कही है वह भी जरूरी हो जाती है इसलिए कि जो बिल प्रस्तुत किया गया है वह अधूरा रह गया है। अगर 15 दिन के लिए यह प्रवर समिति में चला जाय तो इसमें जो कमी रह गयी है वह पूरी हो सकती है। आप स्वयं जानते हैं और इस सदन के सारे माननीय सदस्य जानते हैं कि आज भी क्या गांवों में और क्या शहरों में लोग अपनी जाती मुखालिफत निकालने के लिए किस तरह से लोगों को मुल्जिम बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें इतना तो प्राविजन हो गया कि सरेन्डर हो जायगा अदालत में और उसकी जमानत हो जायगी। यह बहुत जरूरी भी था। लेकिन जो ऐन्टीसिपेटरी बेल का मामला है उसके वगैर पुलिस का आतंक और आप जानते हैं कि इस वक्त ग्राम पंचायतों से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

लेकर असेम्बली और लोक सभा तक के एलेक्शनों के आधार पर कुछ ऐसी आपस में मुखालिफतें पैदा हो गयी हैं जिसकी वजह से हर आदमी देहात में यह कोशिश करता है कि चाहे कुछ रुपया खर्च हो जाय, अगर उसके पुलिस से ताल्लुकात हैं तो वह अपने मुखालिफ की बेइज्जती कराना चाहता है। वह सिर्फ इतना ही चाहता है कि पुलिस वाले उसको हथकड़ी लगा कर ले जायं ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि फलां आदमी को उसने हथक ी लगवा दी। इसलिए अगर किसी आदमी का नाम रिपोर्ट में झूठे ही लिख दिया जाता है और उसको ऐन्टीसिपेटरी बेल का राइट नहीं मिलता है तो फिर वह चाहे कोर्ट में सरेन्डर करे या हवालात में जाय या जेल में जाय, उसकी बेइज्जती तो हो ही जाती है। और अगर पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर के अदालत में पेश करें तब भी उसकी बेइज्जती हो जाती है? इसलिए एक आदमी की इज्जत को रखने के लिए इसमें ऐन्टीसिपेटरी बेल का शामिल किया जाना जरूरी है। श्री उदित नारायण शर्मा जी एक नान-आफिशियल बिल की शक्ल में ऐन्टीसिपेटरी बेल के बारे में लाए हैं। अगर वह मुख्य मन्त्री जी की सलाह मे हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, सदन को उसे पास करने में कोई परेशानी नहीं होगी। परन्तु अगर वैसे ही उन्होंने रखा है तब भी मैं माननीय मुख्य मन्त्री और न्याय मन्त्री से दरख्वास्त करूंगा कि उस नान-आफिशियल बिल को मन्जूरी देंगे ताकि ऐन्टीसिपेटरी बेल का प्राविजन जो इस बिल में रह गया है उसकी पूर्ति हो जाय। यह बात कह कर जो माननीय नेगी जी ने रेजोल्यूशन रखा है, प्रवर समिति के लिए केवल 15 दिन का, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बिल धारा 167 में अमेन्डमेन्ट के लिए आया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जहां तक 167 का सवाल है, इस पर विचार करने के बाद, भिन्न-भिन्न प्रदेशों की राय लेने के बाद, एटार्नी जनरल की राय लेने के बाद यह माना गया कि जहां तक लीगलिटी का सवाल है नेचुरल जस्टिस के अन्तर्गत यह अधिकार था कि वह अदालत में अपने को हाजिर कर सकता था, इस विश्वास के साथ इसमें अमेन्डमेन्ट किया गया था, परन्तु दुर्भाग्य है कि किन्हीं परिस्थितियों में इस में अमेन्डमेन्ट कर दिया गया, इसमें यह भी बात सही है कि इसमें पोलिटिकल, राजनैतिक स्वार्थ ज्यादा थे जोकि अमेन्डमेंट किया गया। इसमें एक ही प्राविजन है कि किसी भी कारण से अभ्यर्पण या अन्य कारणों से अदालत में हाजिर हो सकता है। जहां तक इसका सावल है मैं समझता हूं कि पूरे सदन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसका विरोध करेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को अपने मानानीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जो ऐन्टीसिपेटरी बेल है, जिसके लिए काफी हद तक विचार-विमर्श किया गया था और ऐन्टीसिपेटरी बेल की व्यवस्था इसलिए की गयी थी कि पुलिस के प्रति जनता का जो कानफीडेन्स होना चाहिए वह चूंकि नहीं है और जब तक उस स्टैन्डर्ड पर पुलिस को हम नहीं ले आ सकते और जब तक जनता का विश्वास पुलिस में नहीं होता, तब तक इस तरह का प्राविधान करना चाहिए। हालांकि इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी होता है लेकिन इन परिस्थितियों को भी देख कर ऐन्टीसिपेटरी बेल की व्यवस्था की गयी थी और यह भी एक दुर्भाग्य रहा कि इस पर भी इस प्रदेश में अमेन्डमेन्ट हुआ जब कि दूसरे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्टेट्स में इस ऐन्टीसिपेटरी बेल का आज भी प्राविधान है। जहां तक इस बिल का सवाल है यह बिल बहुत लिमिटेड है, इस बिल को पास हो जाना चाहिए। इसको प्रवर समिति या कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐन्टीसिपेटरी बेल का जहां तक ताल्लुक है इस पर विचार करना चाहिए। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन बिल लाया गया है, मैं इसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इस धारा में जो 'क' बढ़ाया जा रहा है उसमें यह उपबन्ध है कि पुलिस धारा 57 के अन्तर्गत जब किसी को गिरफ्तार करती है, तो 24 घंटे के अन्दर उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अगर 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत होता है तो मजिस्ट्रेट उसको रिमांड देता है, उसमें व्यवस्था दे दिया है कि एक बार में 15 दिन तक रिमांड पर भेजा जा सकता है, लेकिन 60 दिन से अधिक समय के लिए नहीं भेजा जा सकता है। 60 दिन के बाद अगर चार्जशीट नहीं आती है तो उसको जमानत प्राप्त करने का हक हो जाता है। तो जो निर्णय हुआ है, उसमें यह कहा गया कि जो संदिग्ध होगा, जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत होगा, वह 167 के अनुसार हाजिर नहीं होगा। नतीजा होगा कि जो संशोधित यह धारा थी वह ऐसे व्यक्तियों को न्याय नहीं दिला पा रही थी। उनको न्याय दिलाने के लिए यह धारा (क) बढ़ाई जा रही है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में नेगी साहब को छोड़कर एक व्यक्ति न होगा जो इसका समर्थन न करेगा। आप चर्चा करेंगे एन्टी सिपेटरी बेल की। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि हम लोग जेलों में बन्द थे, इस सदन में नेगी साहब के दल ने समर्थन किया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह सरासर गलत है। मेरे दल ने इसका विरोध किया है। रिकार्ड के अन्दर मौजूद है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

कांग्रेस सरकार ने जो काम किए, हिन्दुस्तान की जनता जानती है कि उसके कार्यक्रमों का समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। आज कौन सा आदमी है जो नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी ने ऐन्टीसिपेटरी बेल का जो प्राविधान था उसको वंचित किया। आप उसके दोष के सहभागी हैं। ऐन्टीसिपेटरी बेल के ऊपर भी हमारा दल विचार करेगा। यह तो साफ है कि जो कानून हाई कोर्ट ने पारित किया है उसके अनुसार जनता पार्टी न्याय नहीं दिला पा रही है। हमारे न्याय मन्त्री उस मांग के अनुसार यह छोटा सा विधेयक लाए हैं। हमें खुशी है और प्रदेश की जनता को खुशी है, आप वापस कर लें, और क्षण भर में इसको पारित कर लें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यह जो दन्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक है, हमारी समझ में बहुत सरल है और निर्विवाद है। इसकी हमें आवश्यकता भी है। उद्देश्य और कारण जो दिए गए हैं। मुझे खुशी होती कि उनको और बढ़ा कर दिया गया होता। इससे प्रकट नहीं हो रहा है कि कब हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ। कुछ हफ्ते पहले हुआ, कुछ महीने पहले हुआ। लेकिन कब हुआ

[श्री श्याम धर मिश्र]

यह नहीं पता चलता है। मेरा मतलब इस बात से है कि जनता का जो अधिकार था, वह कम हुआ। चन्द दिन कम हुआ, कुछ लोगों पर इसका असर पड़ा। यह विषय ऐसा था कि तत्काल, सही मानों में यह सरकार तत्पर होती, तो इस पर आर्डीनेन्स तत्काल आना चाहिये था। कांग्रेस सरकार हो या जनता सरकार हो। तत्काल इस विषय पर आर्डीनेन्स आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक-एक क्षण इसमें उत्पीड़न हुआ होगा। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो कुछ किया गया है, धारा 167 मेरे सामने है, इसको पढ़कर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। इसमें जो (क) जोड़ा जा रहा है यह आवश्यक है। नागरिकों को अधिकार जो पहले प्राप्त नहीं थे, इस हाई कोर्ट के निर्णय से अब प्राप्त हो जायेंगे।

जहां तक ऐन्टीसिपेटरी बेल की बातें की जा रही हैं, श्रीमन् बहुत अच्छी बात होती, पूरे ढंग से अगर बिल लाना था, पहले आर्डीनेन्स करते, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर विस्तृत रूप से संहिता आती तो अच्छी बात होती। यह ऐन्टीसिपेटरी बेल की बात कही गयी है। मैं जानता हूं कि आपातकालीन स्थिति के दौरान ऐन्टीसिपेटरी बेल बन्द हो गयी। लेकिन आपात स्थिति खत्म हुई साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां आपात स्थिति खत्म होने के तत्काल बाद ऐन्टीसिपेटरी बेल का प्रोविजन हो गया और हो रहा है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ऐन्टीसिपेटरी बेल का प्राविजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका क्या कारण है? यह तो आप ही बतायें? मैं समझता हूं कि अगर संशोधन की जरूरत है तो आप तत्काल करें। आपके सामानान्तर और प्रान्त हैं उन्होंने कर दिया है। आपके यहां विलम्ब हो रहा है, इसको देखना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक यह विषय है मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसमें विवाद हो चुका है इसलिए अब और विवाद नहीं होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने खुले दिल से जनहित की भावना से इस बिल का समर्थन किया है। लेकिन मान्यवर, उनके विवेक को क्या कहा जाय जिन्होंने सदैव ही बरगलाने का काम किया है, जिन्होंने सदैव कांग्रेस को बरगलाते-बरगलाते आज की स्थिति में ला दिया, वह हमें भी बरगलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जनता पार्टी उन लोगों की पार्टी है जो जनहित को ध्यान में रखते हुए वैसा नहीं करेगी ।

मान्यवर, नेगी जी ने कहा ऐन्टीसिपेटरी बेल के बारे में कहा तो मैं इस बात की चुनौती देता हूं और साथ ही साथ स्पष्ट करता हूं कि आज तक हमने नहीं कहा कि हम निरस्त कर देंगे। ऐन्टीसिपेटरी बेल जो है उसको निरस्त करने ....

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आपको कहने का अधिकार ही नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

हमने यही कहा है कि ऐन्टीसिपेटरी बेल के प्राविधान पर शासन गम्भीरता से विचार कर रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं कि ऐन्टीसिपेटरी बेल का प्रावीजन अन्डर कन्सीडेरेशन है।

मान्यवर, जहां तक राजनीतिक प्रश्नों का सवाल है तो राजनीतिक दबाव या राजनीतिक द्वेष के कारण यह आज तक सस्पेन्डेड नहीं है। मैं ऐन्टीसिपेटरी बेल जितने दिनों तक लागू रहा, तो जहां तक सभ्य और सज्जन तथा निर्दोष व्यक्ति पुलिस के हाथों दन्डित न हों और अपमानित न हों इसके लिए जहां तक ऐन्टीसिपेटरी बेल आवश्यक है वहीं जानते है कि ऐन्टीसेपेटरी बेल का फायदा उन्होंने भी उठाया जो कि हार्ड क्रिमिनल हैं, जो समाज में अव्यवस्था फैलाते रहे है और शान्ति को खतरा पैदा करते है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐन्टीसिपेटरी बेल का प्रोवीजन कैसे लागू किया जाय जिससे सभ्य और सज्जन व्यक्तियों को उसका लाभ मिल सके और हार्ड क्रिमिनल्स छूट न जायं। इस पर हम विचार कर रहे है।

मान्यवर, जहां तक पुलिस राज्य की बात कही गयी कि वह पुलिस राज्य चाहते हैं, तो यह जो विधेयक जिसका सदन ने स्वागत किया है वह विधेयक न आता। इसमें पुलिस के अधिकारों को समाप्त करने का प्रोवीजन लाया गया है। हम लोग न्याय का शासन चाहते है। पुलिस राज्य जो कि डन्डे का शासन है उसको नहीं चाहते हैं।

मान्यवर, जहां तक अन्य संशोधनों के बारे में कहा गया तो एक-एक बात को विस्तार से मैं नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन यह बात कहूंगा कि जैसी घोषणा कर चुके हैं कि शासन ने नई नीति अपनाई है और एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी है, जो प्रदेश के सभी कानूनों को व्यवहारिक और सरल बनाने में अध्ययन करेगी और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। अभी तक जो शासन की व्यवस्था रही है कि अपने ही मनन से विचार करते थे और कानून बनाते थे तो उस पर जो रिपोर्ट होगी वह सभी बार एसोसिएशन को रिकन्सीडर के लिए भेजा जाएगा और विचार आने पर यथासम्भव और नियमानुसार उनका संशोधन किया जाएगा। इतना ही नहीं जब पिछला अधिवेशन चल रहा था तो एक पत्र उस समय भेजा था और आग्रह किया था कि जो भी कानून सरल बनाने के लिए सुझाव देना चाहते हैं, वह भेजें। इसीलिए न्याय विभाग में एक अलग सेल बना रखा है। इस प्रकार जो सुझाव आयेंगे उन सब का विस्तृत अध्ययन करने के बाद संशोधन किया जाएगा।

मान्यवर, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो जजमेन्ट 25 तारीख को उच्च न्यायालय ने दिया है उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि जिन व्यक्तियों को अभी तक इस नियम के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने का आदेश दिया है वह विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इसलिए वह 167 धारा के अन्दर है। उनको छोड़ दिया जाय कि नहीं। यह भी बात है। इसलिए मान्यवर, यह जो प्रवर समिति को सौंपने की बात है यह जनहित के विपरीत है क्योंकि इसमें विलम्ब होगा और इसलिए जनता पार्टी की सरकार इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रवर समिति का दायरा बढ़ा दिया जाय, जो विधान के दूसरे अनुच्छेदों पर भी विचार करे और दो सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट दे दे। आप मान्यवर, स्वयं देखें कि दो सप्ताह का समय मांगा है जो इतना कम समय है। इतने समय में कांग्रेस सरकार ही जल्दी में कोई संशोधन कर सकती थी और उसके बाद फिर उसमें दूसरा संशोधन लाती। लेकिन हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते। हम काफी सोच-विचार, चिन्तन के बाद ही कोई कार्य करेंगे जिससे कि जो संशोधन हों वह यथार्थ हों, व्यावहारिक हों और स्थायी हों। इसलिये यह जो नेगी जी का और दूसरे लोगों का प्रस्ताव है मैं उसको अस्वीकार करता हूं। **यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।**

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेगी जी आप अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मुझे विश्वास है यह संशोधन पास हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो दो सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2

2—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के पश्चात् निम्नलिखित खंड धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया

"167-क—किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में जो, कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके आदेश या निदेश से, चाहे ऐसे व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पण करने पर या अन्यथा, गिरफ्तार किया जाय, धारा 167 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

अधिनियम संख्या 2, 1974 में नई धारा 167-क का बढ़ाया जाना।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय —

"2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

167-क मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया

'शंकाओं के परिवर्जन के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि धारा 167 के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में भी यथासम्भव लागू होंगे, जो किसी कार्यपालक अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके किसी आदेश या निदेश से गिरफ्तार किया जाय'।

मान्यवर, यह मूल से भिन्न नहीं है। इससे भी अर्थ वही निकलते हैं जो सदन के माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इसके मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अदालत में सरेन्डर होगा और जज को रिमान्ड करके भेज देंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय :--

"2--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :

"167-क मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया

शंकाओं के परिवर्जन के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि धारा 167 के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में भी यथासम्भव लागू होंगे, जो किसी कार्यपालक अथवा न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा या उसके किसी आदेश या निदेश से गिरफ्तार किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1--(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, जहां तक संशोधन का सवाल है वह तो पारित हो ही जायगा। हम लोग उसका स्वागत करते हैं। इस सम्बन्ध में दो बातें फिर कहना चाहता हूं।

माननीय न्याय मन्त्री जी ने कहा कि ऐन्टीसिपेटरी बेल का मिसयूज होता है और जो क्रिमिनल्स, हार्ड क्रिमिनल्स हैं वे भी इसका मिसयूज कर सकते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां ऐन्टीसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। पंजाब में जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार तमाम उत्तरी भारत में जो हिन्दी भाषी राज्य हैं सब जगह जनता पार्टी की सरकार है और सब जगह ऐन्टीसिपेटरी बेल का प्राविधान है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गयी कि आप को इस पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। जहां पड़ोस के अन्दर आपकी सरकार ने ऐन्टीसिपेटरी बेल का प्राविजन किया आपके प्रदेश के अन्दर ऐसी कौनसी विशेष परिस्थिति आ गयी कि आप को पुनर्विचार करना पड़ रहा है।

दूसरी बात मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम जल्दी में कोई बिल पेश नहीं करना चाहते जैसा कांग्रेस वाले करते थे। बड़ी सुन्दर बात है। बहुत ही सुन्दर। तारीफ करते हैं मन्त्री जी की। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् को भंग करने के लिए जो तुरन्त आर्डिनेन्स लाए उस पर कितनी गम्भीरतापूर्वक सोचा, कितने महीने सोचा, कितने हफ्ते विचार किया? जब यह आएगा तब बात करूंगा। ऐसी दलील देने की कृपा मत कीजिए। जो दलील ठीक बैठ सके वह दलील दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेगी जी आपने पुनरावृत्ति की है। माननीय मन्त्री जी कह चुके हैं कि ऐन्टीसिपेटरी बेल का संशोधन विधेयक उनके विचाराधीन है।

(श्री मुकीमुर्रहमान के खड़े होने पर)

इसमें ज्यादा बहस नहीं होती। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से गुजारिश करूंगा कि मेरी तहसील ठाकुरद्वारे में आज तक कोई मुन्सिफ ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो विधेयक है...

श्री मुकीमुर्रहमान--

जब बजट आया उस समय भी आपने बैठा दिया था....

श्री अध्यक्ष--

यह तो विधेयक है। आप विधेयक पर ही बोलिए। माननीय न्याय मन्त्री जी आप बहुत संक्षेप में श्री नेगी ने जो कहा है, उसका उत्तर देना चाहें, तो दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैंने तो पारित करने का प्रस्ताव पेश किया था और जो कुछ माननीय नेगी जी ने कहा है उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। मुझे कोई अतिरिक्त बात नहीं कहनी है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 197 †

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि ये जो जिला परिषदें 1974 में बनी थीं इनका कार्यकाल अभी 1979 तक था लेकिन शासन के सामने जिला परिषदों की जो रिपोर्ट आयीं उन से ऐसा प्रतीत हुआ कि सारी जिला परिषदें अप्रजातान्त्रिक तरीके से कार्य कर रही हैं करीब-करीब आधे से ज्यादा जिला परिषदें घाटे पर चल रही थीं। इसके अलावा वहां वित्तीय अनियमिततायें थीं। वहां जिला परिषदों की जो समितियां थी वे ऐसा कार्य कर रही थीं जिनको कोई भी लोकतान्त्रिक शासन बर्दास्त नहीं कर सकता था।

देवरिया जिले में हमने देखा कि वहां जो जिला परिषद् की जीप थी उसको निजी इस्तेमाल में लाया गया। बलिया जिला परिषद् की जो रिपोर्ट आई उसमें यह देखने को मिला कि जिला परिषद के अध्यक्ष अपनी पार्टी के हित में सरकारी साधनों का इस्तेमाल करते थे। खीरी में यह हुआ कि गांधी शताब्दी समारोह में दो लाख रुपए के टिकट छपवाए गए और उन टिकटों से जो वसूली हुई उनका क्या हुआ यह आज तक पता नहीं लगा और अध्यक्ष की कोई रिपोर्ट शासन के सामने नहीं आई। इसी तरह से लखीमपुर-खीरी में उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए की रसीदें छापी गयीं और उनको बेचा गया। लेकिन उनका क्या हिसाब है यह आज तक शासन के सामने नहीं आया। इसी तरह से वहां जिला परिषद् का जो स्टेशन वैगन था उसे 12 हजार रुपए में बेचा गया लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट शासन के सामने नहीं आई कि उस रुपए का क्या हुआ। इसी तरह वहां एक अभियन्ता थे जिन्होंने फर्जी निर्माण दिखाया और बहुत बड़ी रकम गबन की लेकिन जिला परिषद् के अध्यक्ष ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इसी तरह एक अभियन्ता 60 वर्ष के हो गए थे। शासन ने उनको हटाने के आदेश दिए लेकिन जिला परिषद् ने उनको नहीं माना। इसी तरह से जिला परिषद् मुरादाबाद के अध्यक्ष के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें थीं। 1975 में गंगा मेला तिगरी के ठेके को अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदार के नाम छोड़ा जिसमें 50 हजार रुपए की हानि जिला परिषद् को उठानी पड़ी। जिला परिषद् के लेखाकार की नियुक्ति अनियमित व भ्रष्ट तरीके से की गयी। एक व्यक्ति को 1 हजार रुपया ले कर टैक्स आफिसर बनाया गया।

---

† दिनांक 1 सितम्बर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट छपा है।

[श्री जमुना प्रसाद]

देवरिया जिला परिषद्, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, के बारे में अनेक शिकायतें आईं जिनकी जांच गोरखपुर आयुक्त को दी गयी है और उनके बारे में जांच हो रही है। बरेली जिला परिषद् के बारे में मुझे यह कहना है कि जिला सहकारी बैंक में फर्जी मांग-पत्र पेश कर के 24 हजार रुपए से अधिक का गबन किया गया। जिला परिषद् की बिना स्वीकृति के शब्बीर नामक व्यक्ति को ठेका दिया गया और 1974 में 18 टन सरिया 250 व 260 रु0 प्रति कून्टल की दर से सप्लाई ली गयी जब कि रेट 182 रु0 व 192 रु0 चल रहा था। स्कूल की मरम्मत में अनियमित भुगतान किया गया। बिना परिषद् की स्वीकृति प्राप्त किए दूकानों का एलाटमेंट किया गया। परिषद् की जीपों से व्यक्तिगत सामान ढोकर 40 हजार रुपए का परिषद् का नुकसान कराया। इसी तरह से सहारनपुर जिला परिषद् के अध्यक्ष जो डी0 सी0 डी0 एफ 0 के अवैतनिक मन्त्री थे उन्होंने लगभग 69 हजार रुपए का गबन किया। जिला परिषद् में की गयी आडिट द्वारा वहां गबन पाया गया। नजूल लैन्ड पर पट्टे किए गए। अपने भांजे को जिला परिषद् में नौकरी दी। परिषद् के कर्मचारियों से अपने निजी कार्य कराए गए। जिला परिषद् के गोदाम को अपने रिश्तेदार को बिना किराया लिए दिया गया। इसके अलावा सहारनपुर में जिला परिषद् की जीप का इस्तेमाल सरकारी काम में न करके घरेलू काम में प्रयोग किया गया।

श्री रणजीत सिंह 'जू देव' (जिला झांसी)---

जिला परिषद् का नजूल से यहां पर क्या मतलब है ?

श्री जमुना प्रसाद---

जिला परिषद् से उससे कैसे मतलब नहीं है परिषद् के लिए वह चीज थी, उनका इस्तेमाल किया गया।

श्री अध्यक्ष---

आप इस तरह से कमेंट्री न करें यह नियम विरुद्ध है। आप पीठ को सम्बोधित करें।

श्री जमुना प्रसाद---

इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला परिषदों में इस समय 540 आडिट आपत्तियां निस्तारण के लिए शेष हैं। इनमें से 172 जो हैं वह 1971-72 के पूर्व की हैं और 96, 1971-72 की हैं और 138, 1972-73 की है तथा 75, 1974 की अवशेष हैं। इनके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिला परिषदों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपने साधनों से जिले के अन्दर आने वाली सड़कों और स्कूलों आदि का निर्माण करेंगे लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अभी माननीय न्याय मन्त्री जी कुछ कह रहे थे तो माननीय सदस्य, जो संशोधन पेश कर रहे थे, ने कहा कि जिला परिषदें भंग की गईं, यह अप्रजातान्त्रिक है। यह प्रजातन्त्र की बात करने वाले भूल जाते हैं उस वक्त वह कहां चले गए थे जब दो साल पहले जून, 1975 में इमरजेन्सी लागू की गई ? उस वक्त वह कहां गए थे, जब इस देश में कांग्रेस ने इमरजेन्सी लागू की ? हमारे यह साथी उस वक्त कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। जो विधायक लोग जनता द्वारा चुने हुए थे उनको जेल के सींखचों में बन्द कर दिया गया था। उस वक्त कोई मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखते थे तो उसका उत्तर तक नहीं दिया जाता

था। मैं अपना उदाहरण देता हूं नैनी जेल से 19 महीने के अंदर कई पत्र मैंने लिखे कि यहां पर क्या-क्या अनियमिततायें हो रही हैं और किस प्रकार से अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त की सरकार ने एक भी पत्र का जवाब देना पसन्द नहीं किया। विधायकों के पत्रों के उत्तर नहीं दिए जाते थे और उसका आप समर्थन कर रहे थे जो आज प्रजातन्त्र की दुहाई दे रहे हैं (व्यवधान) पहले मुझे अपनी बात कहने दें उसके बाद जो आप प्रश्न करेंगे और जब मैं बोल चुकूंगा तब उनका जवाब दूंगा। आप पहले मेरी बात सुनें। यहां पर विधायक जो थे एसेम्बली में बोलते थे तो बाहर जाने पर उनको पकड़ कर बन्द कर दिया जाता था।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

जिला परिषदों का इससे क्या मतलब ?

श्री जमुना प्रसाद—

हमारे कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स 0) के सदस्य, श्री बाबा राम नाथ ने जुलाई में इस असेम्बली में इमरजेन्सी की धज्जियां उड़ाईं। तो वह जब बाहर निकले तो उनको जेल में बन्द कर दिया गया। जब जनता के प्रतिनिधि असेम्बली में बोल नहीं सकते थे और बोलने पर जेल के सिंकंजों में बन्द कर दिया जाता था तो ये प्रजातन्त्र की बात करने वाले क्या करते थे ? आज जनता पार्टी की सरका र चाहती तो वह अपने आदमियों को जिला परिषदों का अध्यक्ष बना सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक थोड़े से अर्से के लिए, अल्पकाल के लिए यह व्यवस्था की है। यह थोड़े से समय के लिए है। कुछ महीनों के बाद हम जिला परिषदों के चुनाव कराने जा रहे हैं तो उस समय तक यह आवश्यकता थी कि जो उनमें अनियमितताये हुई हैं उनको भंग कर जिलाधिकारी के हाथ में उनका काम दे दिया जाय और जो गोल-माल चल रहा था

(इस समय 1 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुए।)

उनको समाप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि जिला परिषदें भंग की जाएं और उनके लिए एक अल्पकालिक व्यवस्था की जाय और उसके बाद जनतान्त्रिक ढंग से उनका एक चुनाव कराया जाए ताकि इमरजेन्सी के बाद जो माहौल बना है, उसका सही रूप में प्रतिनिधित्व हो सके। इस दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है। आशा है आप इस बिल का समर्थन करेंगे।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं माननीय सदन के सामने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को तीन माह के लिए जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाय।

श्रीमन्, आज अपने पुराने दोस्त जमुना प्रसाद बोस, जो हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में काफी दिन रहे हैं। उन्होंने इस विधेयक को पेश करने के वक्त नौ उद्देश्य बताए हैं, उसमें एक बात को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह यहां उत्तर प्रदेश जनता पार्टी के एक मन्त्री, एक नेता के रूप में बोले हैं, जिसे डाक्टर राम मनोहर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

लोहिया जैसे निर्भीक नेता प्राप्त हुए थे, जिनको लोकनायक जयप्रकाश जी जैसे लोग मिले थे, जिसे चन्द्रशेखर और रामधन सरीखे योग्य और निडर नेता मिले, उसी की उत्तर प्रदेश शाखा इतनी बुजदिल हो जाए कि इस विधेयक को पेश करने का असली मकसद न बता सके और उसे बताते हुए डरे। मुझे बड़ी खुशी होती यदि हमारे मंत्री जी यहां निडर होकर कहते कि सारी जिला परिषदें कांग्रेसवालों के हाथ में थीं और जो उनके हाथ से निकल भी गई हैं, वे हेमवती नन्दन बहुगुणा के लोगों के हाथों में हैं इसलिए यह किया गया है, तो यह चीज बिलकुल साफ हो जाती और एक बुजदिली की बात न होती।

मन्त्री जी ने बताया कि वे अपने फर्जों को पूरा नहीं कर रही थीं, रुपया अपव्यय और गबन करने की शिकायत थी और 27 जिला परिषदें घाटे में चल रही थीं। जो क्षेत्र समिति का डायरेक्ट चुनाव कराने का विचार कर रहे हैं, वह सदन के सामने रखें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, क्या किसी ऐसी—चाहे वह देवरिया की जिला परिषद् हो या मेरठ की, जिला परिषद् के खिलाफ उन्होंने कोई इंक्वायरी कराई, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आई थी ? या बिना किसी इंक्वायरी के बिना उन्हें किसी एक्सप्लेनेशन का मौका दिए हुए इस बात की धारणा कर ली कि तुम तो बेईमान हो, करप्ट हो, इसलिए हम तुम्हारी जिला परिषद् को भंग कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि केन्द्र की सरकार, प्रदेश शासन में जो भ्रष्टाचार है, जो भारी भ्रष्टाचार चल रहा है— चाहे शारदा सहायक योजना हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे पी0डब्लू0डी0 के अन्दर की बात हो, या कोआपरेटिव के अन्दर की बात हो—जिससे कोई भी विभाग बरी नहीं है और जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार समाप्त नहीं कर पा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार को डिसमिस कर दे ? तो क्या केन्द्र सरकार का यह कदम ठीक होगा ? यह स्पष्ट बात है कि भ्रष्टाचार व्यापक रूप में है। यह केन्द्र में है, बड़े-बड़े नेताओं में है, सरकारी उच्च अधिकारियों में है। आपकी कौन सी ऐसी संस्था है, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन उन सबको कोई सजा नहीं है, पर सजा की भागी हुईं केवल जिला परिषदें कि चूंकि तुम्हारे यहां गबन मिला है, फर्जे-अन्जाम नहीं देते हो, इसलिए हम तुम्हें समाप्त करते हैं। श्रीमन्, आप देखें सन् 1948 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने और सन् 1958 में भंग हुए। और सन् 1948 से 1974 तक 16 साल की मुद्दत में कभी अन्तरिम जिला परिषदें बनाई गयीं, कभी कलेक्टर आ गया जिला परिषद् में, ऐडवाइजरी बोर्ड विधायकों और एम0 पीज0 का। 16 साल तक लगातार यही कार्य-क्रम चलता रहा। 58 जिला बोर्ड यही कह कर तोड़े गए कि नए तरीके से जिला परिषदों का गठन करेंगे।

मैंने अपने प्रस्ताव में जनमत संग्रह की बात इसीलिए कही है। जिला परिषद् का जो कांरटीट्यूशन है, जिस तरीके से ये बनी हैं, उसमें हिस्सा ग्राम प्रधान का भी है, ब्लाक कमेटी के अन्दर जो कोआपरेटिव सेक्शन आता है, नामिनेट हो कर, उनका हिस्सा है। उसमें औरतों और हरिजनों का हिस्सा है। व्यापक रूप में चौखम्भा राज्य, जिसकी आवाज डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने उठाई थी, ग्राम सभा, जिला परिषद्, सूबे और फिर केन्द्र, जनता पार्टी के साथी जो डाक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद के नाम पर, अपने कारनामों की बिना पर नहीं, शासन

चला रहे हैं, उन्होंने डाक्टर राम मनोहर लोहिया के चौखम्भा राज्य को ढा दिया एक दिन लखनऊ में मैं खुद मौजूद था। जिस दिन अध्यादेश जारी हुआ उसके एक दिन पहले मैं लखनऊ में था, इस सेक्रेटेरिएट में कहीं जिक्र और चर्चा नहीं थी कि कल क्या जिला परिषदों का होने वाला है। दूसरे दिन जब मैं मुरादाबाद पहुंचा तो 11 बजे वायरलेस आ गया कि जिला परिषद्, टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड सब भंग कर दिए गए। टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड के लिए मुझे ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि उनकी अवधि खत्म होने वाली थी। उनका एलेक्शन ड्यू था। बहुत सी जगहों पर टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड खत्म हो चुके थे। लेकिन जिला परिषद् के बारे में वायरलेस पहुंचा तो ताज्जुब हुआ। 24 घंटे पहले जिला परिषदों के सम्बन्ध में सुनने में नहीं आया। इससे ज्यादा कुठाराघात डेमोक्रेसी पर हो नहीं सकता जो जनता पार्टी ने किया है।

जिला परिषदों में भी आदमी हैं, फरिश्ते नहीं हैं। रात दिन गलत काम होते हैं, रिश्वतखोरी चलती है। कुनबा-परस्ती सूबे की सरकार में भी व्याप्त है। केन्द्र के मन्त्री भी इससे वंचित नहीं हैं। इस वक्त किसी केन्द्र के मन्त्री की कुनबापरस्ती के बारे में कहना उचित नहीं है। कभी समय मिलेगा तो कहूंगा। अखबारों में बराबर बातें छप रही हैं। इन्सान हैं जिला परिषद् के अन्दर। गलतियां की हैं उन्होंने। उनकी जांच होनी चाहिए। आप इतने कमीशन बैठा रहे हैं। एक कमीशन अगर जिला परिषदों की इंक्वायरी के लिए बैठा देते तो क्या बात हो जाती? यह कमीशनों की सरकार है ही। महंगाई का मसला तय नहीं कर पाए, हर बात के लिए कमीशन। जिला परिषदों के लिए कोई कमीशन बैठता और उसकी रिपोर्ट आती कि जिला परिषदों को भंग कर दिया तब भंग किया जाता तो तसल्ली हो जाती। हम जानते हैं कि यह मावोक्रेसी है। अक्ल का दखल है नहीं। अक्सरियत का दखल है। ताकत के जोर में जो कुछ कर लें ठीक है। उस ताकत का इस्तेमाल सबसे पहले जिला परिषद में हुआ। इसलिए मैंने यह बात कही है कि जनमत संग्रह किया जाय। जनता में जायगा, आपको पता चल जायगा, जनता का वोट होगा, कि पांच महीने में सरकार ने कितने जनता के मसले हल किए हैं। याद रखिए लोक सभा के चुनाव में 68 परसेंट वोट मिले, असेम्बली के चुनाव में 48 परसेंट वोट मिले और इस बार जनमत संग्रह करा लें तो शायद पांच परसेन्ट वोट रह जायगा। जनता जानती है, सब कुछ जानती है।

मैं कह रहा था कि अगर जो उद्देश्य में लिखा है आप इंक्वायरी एप्वाइन्ट कीजिए, उसकी जांच होनी चाहिए। मुरादाबाद के जिला परिषद् का हवाला दिया, ठीक है। जो शिकायतें आई हैं उसकी जांच की मांग के बाद ही भंग करते, लेकिन वह भंग हो गई। जिला परिषद् के अध्यक्ष ख्याली राम शास्त्री जो विधायक हैं उनके साले जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं, इसलिए मुरादाबाद का जिक्र किया गया और यह कह दिया कि जिला परिषदें घाटे में चल रही हैं। कौन सी आमदनी है उनके पास? यह जो सारी ब्यूरोक्रेसी में 1958 से लेकर हावी रही, जब देखा कि बैंकरप्ट हो गयी तो उसको भंग कर दिया। कम से कम एक टर्म तो हो जाता तब आप देखते कि उनका कार्य कलाप कैसा रहा, उन्होंने कैसा काम किया। लेकिन दो साल के अन्दर जितने चार्जेज हो सकते थे, लगाए। 1961 से लेकर आज तक बिजली बोर्ड के विरुद्ध चार्ज आ रहे हैं कि इसको हटा दिया जाय। बोर्ड आफ रेवेन्यू को अबोलिश कर दिया जाय और उसके बारे में यहां पर प्रस्ताव भी लाया गया और

[श्री रियासत हुसैन]

पारित भी हुआ, इस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट आ गयी कि इस बोर्ड आफ रेवेन्यू को समाप्त कर दिया जाये लेकिन उसको अबोलिश नहीं कर सके ।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप समाप्त नहीं कर सके लेकिन आप की सारी नजर गयी तो जिला परिषद् के ऊपर गयी वह इसलिए कि जिला स्तर की वह सबसे बड़ी संस्था है। उसको आपने समाप्त कर दिया और उसको अपना शिकार बनाया। इसको प्रजातन्त्र के खिलाफ नहीं कहा जायगा तो क्या कहा जायगा ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको जन-मत के लिए भेजा जाय। एक तो जो आप बड़-बड़ कर बातें करते हैं कि यह तीर मार दिया, वह तीर मार दिया तो उसका चित्र पूरा सामने आ जावेगा। आप जिला परिषद् को भंग न करें उसको भंग करने का फैसला जनता करे। अगर आप इसको जनमत के लिए भेज दें तो आपकी सारी पोलें खुल जायगी और जनता के सामने आ जायगी। मुझे खुशी होती कि अगर आप जिला परिषद् को भंग न करके जो परम्परा है उसके अनुरूप कार्य करते ।

यह प्रस्ताव करते कि जो हाउस टैक्स लगा हुआ है वह सब माफ किया जाता है और इस सबको री-इम्बर्स स्टेट गवर्नमेंट करेगी और ऐसी बात होती। आज जनता सरकार आई है और बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल हो गए हाउस टैक्स गरीबों पर लगा हुआ है। इसे खत्म करते। जिला परिषदों का घाटा पूरा करने के लिए शायद सरकार इसको री-इम्बर्स करे तो ज्यादा खुशी की बात होती और जनता आपके इस विधेयक का स्वागत करती यह बड़ खेद की बात है ।

श्रीमन्, एक बात और कहूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि अभी और माननीय सदस्य बोलने को बाकी हैं। पहले जिला परिषदें बनीं। उनकी एक एडवाइजरी कमेटी बनी जिसका कलेक्टर चेयरमैन होता था। लेकिन इस माननीय सदन के सभी सदस्यों को यह भी फक्र होना चाहिए कि उस कलेक्टर के ऊपर अंकुश लगाने के लिए जो एडवाइजरी कमेटी में बैठते थे और उस कमेटी की राय के बिना कलेक्टर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था आपने जिला परिषद् को सारे का सारा गवर्नमेंट को सरेण्डर कर दिया। आपको फुर्सत नहीं है तो आप अपनी पावर ए० डी० एम० (पी०) को डेलीगेट कर दें। संशोधन की बात इसमें कही गई है। मैंने भी यह संशोधन पेश किया था। मान लिया वह बात दीगर है। लेकिन आप इब्तदाई कहां पर कर रहे हैं, बतायें। आप इस कलेक्टर के ऊपर अंकुश लगायें कम से कम विधायकों को, कम से कम एम० पीज० को और कुछ अन्य लोगों को इस कमेटी में रखें और उनको कुछ ऐसे अधिकार मिलें जिससे इस ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश लगाया जा सके। इसकी आपको कोई सूरत निकालनी चाहिए। अब यह संशोधन आया है, बड़ी खुशी की बात है। बहरहाल मैं यह बात कह कर फिर इस माननीय सदन के सदस्यों से इस बात की आशा करता हूं और यह जो प्रस्ताव है, इसका समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अभी माननीय रियासत हुसैन कह रहे थे श्री बोस के बारे में, इसमें कोई शक नहीं कि सारा सदन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उन्होंने लगातार इस देश और प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष किया लेकिन जो आश्चर्य मेरे माननीय मित्र ने व्यक्त किया, उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। श्री बोस जब सोशलिस्ट थे और अब उन्होंने संगत कर ली श्री अग्रवाल जी की, जनसंघ और आर0 एस0 एस0 की संगत कर ली और बी0 एल0 डी0 की संगत कर ली और जो समाजवाद का साइन-बोर्ड था उसको भी उतार कर फेंक दिया, सरेण्डर कर दिया और किसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया, उनका नेतृत्व, प्रदेश और देश के गृह मन्त्री का, जो सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि वे समाजवाद के अन्दर यकीन नहीं करते हैं।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य विधेयक पर अपना भाषण देते हुए व्यक्तिगत लांछन और आरोप लगा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं तो अभी भूमिका बना रहा हूं। मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं होता है अपने पुराने समाजवादी मित्र पर बल्कि रहम भी आता है कि वे ऐसे फंस गए हैं कि निकल नहीं पाते हैं। मैं तो निकल रहा हूं उनको भी निकालने की कोशिश करूंगा। आज बिल के ही सम्बन्ध में नहीं बल्कि हर चीज के बारे में यह कहा जाता है कि कांग्रेस वालों ने आपात्काल के जमाने में यह दमन किया, वह किया, जनतन्त्र का गला घोंटा। कांग्रेस वालों ने तो जो पाप किए थे उनके फलस्वरूप जनता ने उन्हें उधर से हटाकर इधर बिठा दिया है। जो कांग्रेस वालों ने बुरी बात की, जनता ने उसका जवाब दे दिया लेकिन आपात्काल में जो अत्याचार हुए क्या आप भी वैसा ही करना चाहते हैं, क्या आप भी जनतन्त्र का गला घोटना चाहते हैं ? क्या उन मान्यताओं को, जिनके द्वारा आप जनता के बीच में गए और इतने बड़े विशाल बहुमत से यहां पर आए, ठुकराना चाहते हैं ? कब तक आप यह कहकर कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, जनता को गुमराह करते रहेंगे ? जनता समझती है कि कांग्रेस वालों को बदला मिल गया। क्या हम यह भूल गए कि इसी जनता ने वर्ष 1971 में इतना ही प्रबल बहुमत कांग्रेस को दिया था ?

श्री अधिष्ठाता--

आपकी भूमिका बड़ी लम्बी है। यदि आप प्रस्ताव पर आ जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मन्त्री जी की ओर से कहा गया कि बरेली की जिला परिषद् द्वारा, देवरिया की जिला परिषद् द्वारा और फलां जिला परिषद् द्वारा यह किया गया। आज जो भी मन्त्री जी कहें, वह सब सही है क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं है। जिन जिला परिषदों में अनियमितताएं हुई हैं, जिनमें भ्रष्टाचार हुआ : आप जिला परिषदों के अधिनियम के

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

अन्तर्गत उनका जवाब तलब करते, जांच करवाते, जांच आयोग बिठाते और तब आप उनको सुपरसीड करते। आज यह कहना बड़ा आसान हो गया कि फलां जिला परिषद् के अन्दर भ्रष्टाचार है, फलां जिला परिषद् के अन्दर अनियमितताएं हैं, कौन जवाब देगा ? आपने जिला परिषदों को भंग कर दिया, उनके अध्यक्षों को अलग कर दिया, उनको जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है। आज आप सदन के अन्दर और बाहर इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं।

आपका कहना है कि 27 जिला परिषदों में घाटा चल रहा था। जो जिला परिषद् घाटे में चले उसको बर्खास्त कीजिए। लेकिन मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि आप की जनता सरकार ने अभी जो बजट पेश किया है, वह घाटे का बजट पेश किया तो क्या गृह मन्त्री जी यह सिफारिश करने जा रहे हैं कि मान्यवर, चूंकि हमारी सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत कर रही है लिहाजा हमको भी बर्खास्त कर दीजिए ?

कैसी दलील देने जा रहे हो प्रदेश की जनता को ? चूंकि जिला परिषदें घाटे में चल रही हैं तो उनको बरखास्त कर दिया जाय। तो चूंकि आपकी सरकार इस सदन में घाटे का बजट लाई है, लिहाजा उसको भी बरखास्त कर देना चाहिए। कोई दलील है ? तो जैसा मेरे माननीय मित्र रियासत हुसैन ने कहा, यह कोई नयी बात नहीं है। बदकिस्मती है इस प्रदेश की जो भी सरकार यहां पर गयी और जिसने देखा कि जिला परिषदों के अन्दर उनकी पार्टी के लोग नहीं हैं उसी सरकार ने जिला परिषदों का खून कर दिया। जो भी सरकार बनी, हमने यह देखा। जब किसी सरकार ने देखा कि उसके दल का बहुमत जिला परिषदों में नहीं है तो उसको भंग कर दिया। कांग्रेस की यह परम्परा रही और आप भी कांग्रेस की परम्परा पर चल रहे हैं। गलत परम्पराओं के ऊपर और अप्रजातांत्रिक परम्पराओं के अन्दर जिस प्रकार कांग्रेस वाले गए थे, आप भी उनको खत्म नहीं करने जा रहे हैं बल्कि उनको जारी रखने जा रहे हैं। लेकिन आपको कहने की हिम्मत नहीं है। मेरे मित्र ने ठीक कहा। आप साफ कहते। माननीय गृह मन्त्री ने कहा था कि देश के अन्दर चुनाव हुए हैं। पार्लियामेंट के चुनाव के अन्दर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चौपट हो गयी, लिहाजा हमने खत्म कर दिया। आप भी हिम्मत करते कि विधान सभा के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में कांग्रेस वाले हार गए, इसलिए कांग्रेस वालों को कोई अधिकार नहीं है कि वह जिला परिषदों के अन्दर जो दो साल रह गए हैं वह दो साल तक कायम रहें।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

आप क्या कहते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं तो यही कह रहा हूं कि मत चलिए उन परम्पराओं पर जिन पर कांग्रेस वाले चले। अगर चलोगे दोस्तों, तो वही हाल होंगे जो कांग्रेस के हुए। जितना दिमाग आपका बढ़ा हुआ है, 1971 में कांग्रेस का भी बढ़ा हुआ था। कांग्रेस वाले उसी तरीके से आपको धमकी देते थे और विरोध का गला दबाना चाहते थे जिस तरीके से आज इस बहुमत को लेकर

आप विरोध पक्ष को दबा रहे हैं और प्रजातन्त्र की हत्या कर रहे हैं। आखिर कौन से कारण थे कि उनको भंग कर दिया गया ?

(व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा निवेदन यह है कि अभी भी पता नहीं कि इन जिला परिषदों के चनाव कब होंगे। माननीय मन्त्री जी इस स्थिति में नहीं हैं कि कोई इसका आश्वासन दे सकें। अभी बजट भाषण में कहा गया कि एक आयोग बैठेगा। वह इस बात की जांच करेगा कि पंचायतें कैसी होनी चाहिए। और होता जैसा है, पहले आयोग बैठेगा। फिर आयोग सोएगा। फिर उस आयोग को कोई जगाएगा। फिर वह खड़ा होगा और फिर उसकी रिपोर्ट होगी। फिर रिपोर्ट पर गवर्नमेंट बैठगी। फिर सरकार सोएगी और फिर सरकार जागेगी। फिर कोई विधेयक पेश होगा। इसका मतलब यह है कि कम से कम अगले 5 वर्षों तक जब तक जनता पार्टी की सरकार है वह जिला परिषदों को बनाने के लिए तैयार नहीं हैं।

कलेक्टरों के ऊपर यकीन। नौकरशाही के ऊपर यकीन। और तो और इस माननीय सदन के सदस्यों पर यकीन नहीं। और क्यों यकीन नहीं है ? केवल इसलिए कि खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से 73–74 व्यक्ति अपोजीशन में भी आ गए हैं। इन 74 व्यक्तियों के डर से यह भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जिलाधिकारियों को यह कहा जाय और यह प्राविधान रखा जाय कि इस अन्तरिम काल में माननीय संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों की एक ऐडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए, जोकि होनी चाहिए थी। इतना बड़ा दम्भ और डर और फिर प्रजातन्त्र की दुहाई कि प्रजातन्त्र की हत्या हो गयी थी और प्रजातन्त्र को मैंने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। यह लफ्फाजी है। इसके पीछे सीधा-सीधा राजनीतिक द्वेष है। केवल राजनीतिक कारणों से आप इन जिला परिषदों को भंग कर रहे हैं। यही परम्परा कांग्रेस ने कायम की थी और अगर आपने भी उसी परम्परा को कायम रखा तो जो हाल कांग्रेस का हुआ था, उसी गति को आप भी प्राप्त हो जायेंगे।

*श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश जिला परिषद् अल्पकालिक व्यवस्था विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री ने अपने संक्षिप्त भाषण में यह विधेयक सदन में क्यों लाया गया, उसके सम्बन्ध में स्पष्ट कर दिया है। मुझे खेद है कि इस सदन के दो वरिष्ठ सदस्यों, श्री रियासत हुसैन और श्री नेगी जी ने इस विधेयक की भावनाओं की ओर न जाकर जनता पार्टी को चैलेन्ज किया है और जनता पार्टी चैलेन्ज सहने के लिए तैयार है। यदि वह चैलेन्ज सहते और चैलेन्ज देते तो आज भगवान ने उनकी वह दुर्दशा न की होती कि आज बोलने लायक भी न रहते। वह जनहित की एक बात भी न कह कर हमेशा जन-अहित में बात करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम देव]

माननीय मन्त्री जी ने जो 27 जिला परिषदों के आंकड़े रखे हैं जिनमें अनियमितताओं की भरमार थी, मैं वाराणसी जिला परिषद् का सदस्य था। वहां का एक उदाहरण दे दूं कि वहां के जिला परिषद् के अध्यक्ष और उस समय सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने किस प्रकार जिला परिषद् को खोखला कर दिया। वहां की आडिट रिपोर्ट नहीं हुई और जब हम लोग इमरजेंसी में जेलों में बन्द थे तो व्यक्तिगत रूप से प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी जिनके नायक श्री संजय गांधी और आज कल जो विरोधी दल के नेता हैं श्री नारायण दत्त तिवारी, इनके नाम के प्रचार के लिए लाखों रुपए के विज्ञापन दिए। ऐसी आर्थिक अव्यवस्था होने के बाद यदि जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार उनको भंग करने का निर्णय लेती है तो उनके दिल पर ठेस क्यों लगती है? कारण यही है कि जब चारों तरफ से मनमानी बन्द हो गयी तो ये जिला परिषद के अध्यक्ष अपने कांग्रेस के लोगों को जिला परिषद् के कार्यालयों में बैठाकर जिला परिषद् के पैसे से अपनी भरी हुई गाड़ियों को फिर गांवों में भेजना चाहते थे। इसलिए मैं इस बिल का खुले दिल से समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस बिल का जो भाव है उसको हमारे विरोधी दल के सदस्य भी समझें। उनको अगर चैलेंज देना हो तो 20 नवम्बर को एक चुनाव आ रहा है उसमें देख लेंगे कि उनकी कैसी दुर्दशा होती है।

हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जिला परिषदों के चुनाव निकट भविष्य में कराने की घोषणा की है। नेगी जी, रियासत हुसैन जी और मिश्रा जी उसमें भी देख लेंगे कि उनकी क्या हालत होती है। कांग्रेसी जिला परिषद् के अध्यक्षों ने जिला परिषदों की बहुत सी सम्पत्ति को अपनी निजी सम्पत्ति बना ली है और भाई-भतीजावाद के नाम पर अपने रिश्तेदारों को उनमें अप्वाइन्टमेंट किया है। और रिजर्वेशन के बारे में शासकीय आदेशों के बावजूद कांग्रेसी राज में वहां एक भी हरिजन, जिसके नाम की पतवार आगे लेकर चलते थे, किसी जिला परिषद् में नियुक्त नहीं किया गया। इस प्रकार की घोर अनियमितताओं के कारण जब जनता पार्टी की सरकार ने जिला परिषदों को भंग किया तो उनके हृदय में कसक नहीं होनी चाहिए बल्कि इस विधेयक का उन्हें समर्थन करना चाहिए था। मैं यह भी चाहूंगा कि इन जिला परिषदों में जो घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ जांच आयोग बिठा कर उसका भण्डा-फोड़ करके जनता के सामने प्रस्तुत किया जाय ताकि इनके मुंह हमेशा के लिए बन्द हो जायं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का घोर समर्थन करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक जो प्रस्तुत है, इस सम्बन्ध में माननीय रियासत हुसैन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं बिल के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि अभी देखा गया कि उद्देश्य और कारण जो लिखे हुए हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि 1974 में चुनाव हुआ था, 1969 तक अवधि बाकी थी। अगर इन जिला परिषदों को भंग करना था, तो सीधे यह कह देते कि हम चूंकि कांग्रेस के लोग अधिक जिला परिषदों में हैं, हम भंग करना चाहते हैं, तो केवल एक बात शायद गलत बोलना पड़ती,

इसमें कोई तर्क की जरूरत नहीं थी। लेकिन उद्देश्य और कारण चूंकि बात वह नहीं है, जो कही गयी है। अब तर्क दिया जा रहा है कि 27 जिला परिषदें घाटे में थीं, उनका दो वर्ष बाकी था, वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती थीं। इनमें कमियां-कमियां ही थीं, जोकि बातें नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी अवधि दो वर्ष बाकी हो, उस संस्था का जो चुनाव से आती हो और उससे पहले ही उसको खत्म कर देना यह कोई प्रजातन्त्र की रचनात्मक कार्यवाही नहीं है, खासतौर से जब आपने अभी यह निश्चित नहीं किया है कि क्या इसके अधिकार और बढ़ाए जायेंगे ? क्या घटाए जायेंगे ? क्या इसको सीमित अधिकार दिए जायेंगे ? क्या-क्या धन दिया जायगा ? मैं स्वयं यह कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् का जो वर्तमान विधेयक है, जो ऐक्ट चालू है, मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं।

मैं इसी विभाग का केन्द्र में मन्त्री था। मैंने पूरे राज्यों को देखा था कि आपको याद होगा, मुझे तो भूल गया है, तो सन् की बात इनसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। मैं यह समझता हूं श्रीमन्, कि यहां उत्तर प्रदेश में जितना अधिकार जिला परिषदों को देना चाहिए, जितनी व्यवस्था देनी चाहिए, जितना धन देना चाहिए, वह अपर्याप्त है। मैं यह मानता हूं कि कोई जरूरत इस बात की नहीं थी कि आप इसको भंग करें। आप चुनाव कराते, पहले नियमों में संशोधन करते, अधिकार देते, कम देते, अधिक देते। चुनाव के समय भी जरूरी नहीं था कि इनको भंग किया जाय। इसी प्रदेश में मैंने देखा है कि अन्य संस्थाओं को और आज भी मैं ऐसी संस्थाओं का नाम गिनवाऊंगा। माननीय कल्पनाथ सिंह जी बैठे हैं, 5–5 वर्ष नहीं, अपनी अवधि पार करने के बाद 2–2 वर्ष ज्यादा रह गयीं, बल्कि इनकी अवधि बढ़ाई गई। मैं यह तर्क नहीं कर रहा हूं कि इनकी अवधि बढ़ाई जाय, बल्कि जितनी-जितनी उनकी अवधि है, वह तो रहना चाहिए। अभी माननीय नेगी जी ने तर्क दिया कि घाटे में तो सरकार ही है। पूरी चीनी मिल घाटे में है। तो यह घाटे की व्यवस्था लेकर आप एकाएक बिना सूचना दिए हुए आप इन चुनी हुई संस्थाओं को तोड़ कर सरकारी हाथों में दे दें, यह प्रजातन्त्र की कौन सी आप रक्षा कर रहे हैं ?

आज पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है, इस्टीमेट कमेटी है, सदन की और कमेटियां हैं। यह भारत सरकार में हैं और अपने यहां भी हैं। श्रीमन्, आप भी कमेटियों में रहे हैं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट यहां की देख ली जाय। यहां के सरकार के विभागों को देख लिया जाय। कितनी कमियों, कमजोरियों, मितव्ययिता के बारे में कमेटियों ने सुझाव दिए हैं। लेकिन आज तक वह पूरे नहीं हुए हैं। कुछ पूरे हुए हैं, बहुत ज्यादा पूरे नहीं हुए हैं। तो क्या इन कमियों के कारण उन संस्थाओं को भंग कर दिया जाय ? किसी की अवधि न समाप्त हुई हो और आप उसे भंग कर दें तो यह कोई तार्किक बात नहीं हुई, यह बात कही जाय कि हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण है, हम जनता पार्टी के लोग आए हैं जहां कांग्रेसियों का बहुमत है हम उन संस्थाओं को भंग करेंगे, फिर से चुनाव करेंगे। जैसा आप सोचते थे और जैसे असेम्बली में आए। इस असेम्बली की अवधि थी, आपने उसको भंग किया और आए। भगवान करे आप 5 वर्ष रहें क्योंकि कोई करतब तो आपने दिखाया नहीं। 5 वर्ष रहेंगे या कितने समय रहेंगे ?

(शोर)

आपने जो इन जिला परिषदों को अधिकार दे रखे हैं वह देखें। आप उद्देश्य में कहते हैं कि उन्होंने कोई कार्य नहीं दिखाया, यह काम नहीं करते थे, वह काम नहीं करते थे।

[श्री श्याम धर मिश्र]

लेकिन देखें, प्राइमरी स्कूल के मास्टर उनके अन्तर्गत नहीं हैं, स्कूल उनके हाथ में नहीं हैं। सड़कें उनके हाथ में नहीं हैं। ब्लाकों में जो काम हुआ है वह उनके हाथ में नहीं है। आप यह कहते कि हम विचार कर रहे हैं कि उनको पूरा काम देंगे तब तो ठीक था। क्या आप इनको भंग करके, मैजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों को अधिकार दे रहे हैं, तो बेहतर काम यह करेंगे ? आज ए0 डी0 एम0 (ई0), ए0 डी0 एम0 (पी0), तमाम ए0डी0 एम0 हो गए हैं। ए0 डी0 एम0 राज्य हो गया है। आपने कोई सलाहकार समिति भी नहीं बनाई ।

एक सदस्य---

कलेक्टर को वहां रखने से आपको एतराज है तो क्या गैर-सरकारी चेयरमैन आप जिला परिषदों में मन्जूर करेंगे ?

श्री श्यामधर मिश्र---

मुझे नामिनिटेड चेयरमैन बिल्कुल नामंजूर हैं। अगर कांग्रेस ने कोई गल्तियां की हैं, मैं तो उसका पहले भी विरोधी था और आज भी गलत बातों का विरोधी हूं कि गलत इंटेशन नहीं होना चाहिए। असरकारी लोग बैठा दिए जायं। राजनैतिक कारणों से बैठाए हुए लोग ठीक काम नहीं करेंगे। लेकिन जनता पार्टी तो ठेकेदार बन कर आई है। एक बात मैं निवेदन करना. चाहूंगा कि सदन में चीत्कार बन्द कर दिया जाय। इसको बन्द कर देना चाहिए। जैसे शेर चिल्लाता है, वैसे मानसिंह आजाद, जैसे रावण चिल्लाता है वैसे चिल्लाते हैं तो चीत्कार इनका बन्द होना चाहिए।

(शोर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

शेर तो दहाड़ेगा ही।

श्री श्यामधर मिश्र---

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में यही व्यवस्था करते-करते सहकारिता एकदम खत्म हो गयी। आप कहते हैं कि इनको भंग कर दें, भंग करके आप तत्काल चुनाव करायेंगे नहीं। आप फौरन सरकारी लोगों को बैठा देते हैं। आज 70 फीसदी कोआपरेटिव सरकारी हाथ में हैं। मैं साधिकार कह सकता हूं कि जो दुर्दशा बिहार, यू0 पी0, मध्य प्रदेश में है, जहां नामिनेटेड लोग हैं, शायद वैसी अन्य प्रान्तों में नहीं है। उसका एक कारण है कि सराकरी कर्मचारी खिलाफ नहीं हैं बल्कि एक कलेक्टर, एक अधिकारी कितना काम करे। कोआपरेटिव का काम करे या ला एन्ड आर्डर को देखे या आपकी जिला परिषदों को देखे और एम0 एल0 ए0 उसमें जायेंगे नहीं। यह कहते हैं कि इलेक्शन करायेंगे लेकिन वह कब करायेंगे ? यहां प्रश्न हुआ लेकिन उसका उत्तर मन्त्री जी ने नहीं दिया कि कब इलेक्शन करायेंगे। जो उद्देश्य लिखे हैं उनको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि 2-3 वर्ष से पहले चुनाव नहीं करा सकते हैं। आप कहते हैं कि सभी जिला परिषदों को भंग कर दिया गया क्योंकि अधिनियम में व्यापक संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं। दूसरे जिला परिषद् के सदस्यों और अध्यक्षों के चुनाव हेतु सीधे निर्वाचन प्रणाली अपनाने के विषय में भी शासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। आप भी पुराने रोग से ग्रस्त हो गए हैं। आप दो वर्ष विचार करने में लगायेंगे और फिर

भी चुनाव नहीं हो पायेंगे। अभी तक जिला परिषदों के जरिए थोड़ा काम कर लेते थे लेकिन अब वह भी नहीं।

मान्यवर, माननीय श्याम देव जी ने वाराणसी की बात उठायी। मैं कहता हूं कि किसी जिले की बात हो, कोई कमी हो तो किसी को क्षमा नहीं करना चाहिए। आप 27 जिले खोज करके कि कमियां वहां हैं, बता दिए। आपने उनको नोटिस भी दिया कि इतनी व्यापक कमियां हैं और इसलिए आपको भंग किया जा सकता है। लेकिन आपने कमियां नहीं बतायीं। क्या वाराणसी के अध्यक्ष से पूछा गया कि यह कमियां हैं यदि उनको दूर नहीं करेंगे तो भंग कर देंगे? लेकिन नहीं पूछा। इसलिए आप वही काम करेंगे जिसको कांग्रेस ने किया है और जिस तरह कांग्रेस समाप्त हुई वही हाल आपका भी होने वाला है। मान्यवर, इलेक्शन का होना निश्चित नहीं है। माननीय मन्त्री जी जवाब इसका नहीं दे रहे हैं। अभी मन्त्री जी जो पायलेट कर रहे थे मैं उनकी बात नहीं करता हूं। स्वायत्त शासन मन्त्री जी की बात कर रहा हूं कि उनसे उत्तर देते समय जब पूछा गया था कि चुनाव कब होंगे तो उन्होंने नहीं बताया कि कब होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार कार्य प्रणाली चल रही है उसके अनुसार 2–3 सालों में भी यदि चुनाव करा देंगे तो मैं उसके लिए मन्त्री जी को बधाई देता हूं। मैं तो चाहता हूं कि इन संस्थाओं को अधिकार मिले, पैसा मिले और भू-राजस्व का हिस्सा मिले।

आपने तोड़ दिया तो गलत किया। आप एक कमेटी बनाएं। कांग्रेस वालों से घृणा करते हैं तो उनको न रखें। हम तो कहते हैं कि अगर कांग्रेस वाले आपके अच्छी नाक भी लगा देंगे तो आप उसको इसलिए काट देंगे कि यह कांग्रेस वालों ने लगायी है।

श्री सोन पाल (जिला बदायूं)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अधिष्ठाता महोदय, यह जो जिला परिषद् के खत्म करने का बवेला सामने के लोग मचा रहे हैं.....

एक सदस्य—

यह कौनसा व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अधिष्ठाता—

यह कौन सी संसदीय भाषा है कि बवेला मचा रहे हैं।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा यह कहना है कि जो विधेयक लाया गया यह अनावश्यक था, गैरजरूरी था और इससे प्रजातन्त्र का अहित हुआ है। जनता पार्टी चाहे इसको स्वीकार न करे, मैं जानता हूं वह स्वीकार करेगी भी नहीं, लेकिन वे लोग ठंडे दिमाग से अपने घर में बैठकर सोचें कि इससे प्रजातन्त्र की सेवा की है या अहित किया है। मैं समझता हूं सेवा नहीं की है। बाद में वह स्वयं पछतायेंगे कि यह गलत काम किया। आपने जहां 30 साल तक उधर बैठने के लिए प्रतीक्षा की तो इसमें क्या जल्दी थी, दो साल और प्रतीक्षा कर लेते। इतने ज्यादा उतावले क्यों हो गये कि गल्तियां करने पर उतारू हैं? यह विधेयक गलत आया है और इतिहास कहेगा कि आपने राजनीति से प्रेरित होकर जिला परिषदों को भंग किया, समय से पहले भंग किया और देश की कुसेवा की है।

*श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मिश्र जी अभी कह रहे थे और हमारे रियासत भाई ने तो कुछ और आगे बढ़ कर कह दिया 58 से 74 तक। शायद वह भूल गए हालांकि वह विधायक रहे उस जमाने में भी कि 69 में जिला परिषदों को भंग किया गया और उसके पहले सन् 58 में किया गया था। आज जो यह भंग की गयीं इसके कारण सामने हैं।

मैं एक नजीर देना चाहता हूं। ललितपुर एक जिला है, नई जिला परिषद् बनी। जितनी नियुक्तियां हुईं वह ऐसे ही की गयीं। इंजीनियर की नियुक्ति हुई ऐसे आदमी की जिसके पास ओवरसियर का डिप्लोमा नहीं है। इस तरह भाई-भतीजेवाद के आधार पर नियुक्तियां हुईं। जिला परिषदों में अपनी आमदनी को अपने स्वार्थ में खर्च करने की प्रक्रिया चली। 10 हजार रुपया दो दुकानदारों पर बाकी था। लोअर कोर्ट से और जजी से जिला परिषद् मुकदमा जीत गयी लेकिन समझौता करके जिला परिषद् का 10 हजार रुपया माफ कर दिया क्योंकि दो एक मेम्बर नहीं चाहते थे। एक प्रदर्शनी लगायी गयी। एक मेम्बर ने अपना प्रेस दूसरे के नाम करके 15-20 हजार की छपाई का काम ले लिया। यह तमाम बातें यहां पर की गयीं। जिला परिषदों में तमाम भ्रष्टाचर व्याप्त था।

श्रीमन्, मैं याद दिलाना चाहता हूं विरोधी पक्ष को कि सन् 1976 में उन्होंने झांसी जिला परिषद् को दो साल के लिए सस्पेन्ड कर दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला परिषदों का चुनाव होना नितान्त आवश्यक है। जो अव्यवस्था फैली हुई थी, जो भाई-भतीजावाद फैला हुआ है उस पर अकुंश लगाना था। सही समय पर सही काम हुआ है। जिला परिषदों के कारनामों को देखते हुए उनको भंग करना बुरा काम नहीं किया। अच्छा काम किया है। मेरा निवेदन है कि जैसा विरोधी पक्ष ने मांग की है कि इस के लिए विधायकों की एक समिति बनायी जाय ताकि जसा लोक सभा के चुनावों में देखा, विधान सभा के चुनावों में देखा, जिला परिषदों के चुनावों में भी ये अपने कारनामों को देखेंगे।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, जिला परिषदों के सम्बन्ध में अल्पकालिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जो विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है, इसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस सिलसिले में हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे देश में शासनतन्त्र चार पायों में खड़ा है। एक केन्द्रीय, दूसरा प्रदेश का, तीसरा जिले का और चौथा हमारे गांव का। पिछले चुनाव में सारे देश की जनता ने जनता पार्टी के पक्ष में अपना फैसला दिया और इस देश के तीस वर्ष के सड़े गले कांग्रेसी राज्य को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसी सन्दर्भ में प्रदेश में भी चुनाव हुए। जनता पार्टी देश में जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करना चाहती है। अपने द्वारा किए गए वायदों को पूरा करना चाहती है। सत्ता और आर्थिक विकेन्द्रीयकरण की जो हमारी आधारशिला है उसे पूरा करने के लिए इस देश की जनता से वायदा किया है। उसे पूरा करने में जिला परिषदें अड़चन डाल रही थीं। आज इस सदन के जरिए हम विपक्ष के लोगों से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहना चाहते हैं कि बार-बार इस देश में एकरूपता कायम करने के लिए कहा गया। एकरूपता कायम करने के लिए जब प्रदेश में चुनाव हुए तो ब ा हल्ला मचा। जिला परिषदों में घोर अन्याय व भ्रष्टाचार व्याप्त था। बार-बार शिकायतें मिलती थी। एकरूपता कायम करने की नियत से जनता पार्टी सरकार ने जिला परिषदों को भंग करके जो यह काम किया है मैं समझता हूं जनतन्त्र के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। वायदों को पूरा करने के लिए यह बहुत जरूरी था। एकरूपता कायम होनी बहुत जरूरी है।

इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले अनुभव से साफ दिखाई पड़ता है कि 27 जिलों के जिला परिषदों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था और इसके लिए सत्ता कांग्रेस के लोग जिम्मेदार रहे हैं। और इसके अलावा जिला परिषदों में निरंकुशता व्याप्त हो गयी थी वहां सार विकास के कार्य रुक गए थे। जब हम प्रदेश तथा देश में छठी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें विकास की रूपरेखा जिला स्तर पर तय की जानी है जिले की इकाई को तय करना है वहां पर कौन से विकास कार्यों की सम्भावना है उसके लिए जरूरी हो गया था कि जनता पार्टी की सरकार उन विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए ऊपर से ले कर नीचे तक शासन की इकाइयों में एक रूपता कायम करती। इस सिलसिले में मैं इस सदन से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं और यह मेरा निजी सुझाव है कि इस अल्प कालिक व्यवस्था में जिला परिषदें समाप्त की गयी हैं उनमें जैसा विपक्ष के सदस्यों द्वारा अथवा हमारे पक्ष के सदस्यों द्वारा यह बात कही गयी है कि जब तक वहां चुनाव नहीं होते तब तक अन्तरिम व्यवस्था के लिए जिले के विधायक, संसद सदस्य तथा जनता द्वारा चुने हुए नुमाइन्दे चुनाव होने के पूर्व इन संस्थाओं को अपने हाथ में ले लें या उनको इस बात का अधिकार दे दिया जाय कि जिला परिषदों के कार्यों का संचालन उनके निर्देशन में हो, मैं इस बात का बड़े ही जोरदार शब्दों में समर्थन करना चाहता हूं कि यह जो माननीय सदस्यों ने पेश किया है इसको स्वीकार करते हुए जो जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक आया है इसको स्वीकार किया जाय और सदन इसका तहेदिल से समर्थन करे।

यह विधेयक निहायत जनतान्त्रिक है और जनतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना करने वाला है। जैसा कि पिछले बजट भाषण के अवसर पर मुख्य मन्त्री ने यह ऐलान किया था कि जिला परिषदों का चुनाव निकट भविष्य में बहुत जल्दी करा दिया जायगा, मुझे कोई कारण नहीं दीखता कि बहुत शीघ्र जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराए जायेंगे जैसा कि विपक्ष के सदस्य हल्ला मचा रहे हैं कि आने वाले तीन वर्षों तक यह अल्पकालिक व्यवस्था समाप्त होने वाली नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सारी तैयारी पूरी है, आने वाले चन्द महीनों में या साल भर के अन्दर पूरी कोशिश के साथ जिला परिषदों को नया रूप देने में जनता पार्टी की सरकार सक्षम है।

जनता पार्टी की सरकार की आस्था है, मान्यता है कि वह देश में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना चाहती है। पिछले तीस वर्ष में जो देश में तानाशाही का युग आ गया था जिसके लिए विपक्ष के लोग जिम्मेदार हैं और उस दौरान कानून का राज्य खत्म हो गया था, जिस सरकार के द्वारा हमारे देश में संविधान की मर्यादा खत्म कर दी गयी थी और संविधान में संशोधन करके उसके मौलिक ढांचे को तोड़ मरोड़ डाला गया था, जनता पार्टी की सरकार ने

[श्री श्रीराम द्विवेदी]

इस देश में सबसे पहले इस बात का बीड़ा उठाया है कि वह जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की हामी है । इसलिए जो हमारे सम्मानित सदस्य आक्षेप लगा रहे हैं उनकी इन बातों में कोई बल नहीं है क्योंकि जनता पार्टी जनतन्त्र को मजबूत बनाने तथा जनतन्त्र की स्थापना के लिए कृत संकल्प है और हमारे साथ बैठे हुए नौजवान जिन्होंने इस तानाशाही हुकूमत को बदलने के लिए कुर्बानियां दी हैं उस दिन को देखने के लिए वे जिन्दा नहीं रहेंगे जिस दिन इस देश में जम्हूरियत का खात्मा होगा, उसको कायम रखने की गारन्टी जनता पार्टी ने इस देश को दी है और जिसकी सराहना दुनिया के तमाम जनतांत्रिक देशों ने की है और कार्टर महोदय ने यह बयान जारी किया था कि इस देश की जनता ने जनतन्त्र को इस तरह से कायम करके दुनिया के सामने एक नमूना पेश कर दिया है । मैं ज्यादा समय न लेकर इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिला परिषदों की जो अन्तरिम व्यवस्था है उसे जनप्रतिनिधियों के निर्देशन में देने की व्यवस्था की जाय और पिछली जिला परिषदों ने जो भ्रष्टाचार किए हैं जो तरह-तरह के जुल्म ढाए हैं जिनके चलते विकास के काम अवरुद्ध हो गए थे उनके बारे में एक आयोग मुकर्रर करके सारे मामलों की छानबीन करके उन तमाम लोगों के काले कारनामें जनता के सामने आने चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से आने चाहिए जिससे आने वाले समय में फिर वह गलतियां चुने हुए प्रतिनिधि न करें जो अब जनता पार्टी के समय में चुन कर आयेंगे, उनको इस बात का ख्याल रहे कि वे इस तरह की गलतियां न करें । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि 1977 में एक उपलब्धि हुई है । पहले देश की जनता सरकार बनाया करती थी लेकिन 1977 में इतिहास में यह माना जाएगा कि इस देश की जनता उसे मिटाने का काम भी जान गई है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस विधेयक को पास करें ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, जो जिला परिषद् के सम्बन्ध में विधेयक माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

ज्यादा बेहतर यह होगा कि बातों को दोहराया न जाय यह मेरा निवेदन है ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मान्यवर, मैं इसका समर्थन इसलिए करता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 27 जिलों परिषदों में भ्रष्टाचार व्याप्त था । शायद उन्होंने 27 जिला परिषदों की जांच कराई होगी । मेरा तो मत है कि जितनी भी जिला परिषदें थी उन सभी में भ्रष्टाचार, कुनवापरस्ती फैली हुई थी कोई इससे बची हुई नहीं थी । मैं देख रहा था जब लोक सभा चुनाव हुए तथा आपात्काल में जिला परिषदों में सरकार के लोग बैठे थे, उनका काम कांग्रेस के लोगों के हाथ में था । सारे प्रदेश और देश में आपात्काल में लोगों का मत था कि एक क्षण के लिए भी कांग्रेस राज्य को बरदाश्त न किया जाय । लोग चाहते थे कि किसी न किसी तरह से सरकार को उलट दिया जाय । कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे देश में इस तरह का हाहाकार मचा था । परन्तु मान्यवर, कांग्रेस सरकार ने यह सोचा था कि जनता चाहे कितना ही गुस्सा क्यों न हो, कितना ही नाराज क्यों न हो, हम अपनी तिकड़म से, कुनवापरस्ती से, अपने

जोर जुल्म से सत्ता हथिया लेंगे और उनका मतलब था कि कुछ ताकतवर लोगों को लेकर हमेशा सत्ता में बैठे रहेंगे और हर समय सरकार में बने रहेंगे। लेकिन मान्यवर, देश में हाहाकार मच रहा था कांग्रेस राज्य में लूट मच रही थी। जिला परिषदों के जो अ यक्ष थे वह भी कांग्रेस पार्टी के ही थे एक आधा को छो कर वर्ना सब कांग्रेस के लोग उनमें थे। और जिला परिषद् के अध्यक्ष लोगों से कह रहे थे कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस को जिताओ जितने उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे उन पर दवाब डाल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को जिताओ चाहे कितना ही गलत काम क्यों न करना प ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने निर्माण कार्य हो रहे थे जिला परिषदों द्वारा स ड़क बनाने का चाहे वह स ड़क का काम था या दूसरे निर्माण के कार्य थे वे सब सरकार से प्रभावित हो कर करते थे। वह मनमाने ढंग से काम कर रहे थे। मैं अपने मथुरा जिले की बात बताता हूं उसी तरह से सारी जिला परिषदों में हुआ होगा। हमारे यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लोक सभा के लिए जो चुनाव लड़ रहे थे, वह जिला परिषद् के अध्यक्ष थे। जिला परिषद् का बजट उनके हाथ में था चाहे रुपया मिला हो या न मिला हो वह उस काम में खर्च कर देते थे। मथुरा जिले में उन्होंने सड़कें बना देने की झूठी घोषणा की। मैं समझता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश विधान सभा बनी है मथुरा में आज तक इतनी सड़कें नहीं बनी होंगी और न आगे बनेंगी।

मान्यवर, जब चुनाव का एक दिन रह गया तो सारी स ड़कों की फर्जी नपाई उन्होंने करवा दी और उसके लिए जिला परिषद् के इंजीनियर लगा दिए और घोषणा की कि सारी सड़कें बना देंगे। इस तरह से लोगों में भ्रम फैलाया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिला परिषदों ने जितने भी कुकर्म किए हैं, कांग्रेस राज्य की स्थापना के लिए किया है। इसलिए किया है कि किसी साजिश और तिकड़म से चुनाव जीतते रहें। इसलिए माननीय मन्त्री जी ने यह एक अच्छा काम किया है कि जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में जितनी भी स ी-गली और भ्रष्ट जिला परिषदें थीं, उनको सबको समाप्त कर दिया। उसके लिए मैं मन्त्री जी को और सारे सदन को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और ऐसा कदम उठाकर एक आदर्श जनतांत्रिक काम किया है।

हमारे विरोध में बैठने वाले, इसके विरोध में तर्क दे सकते हैं कि हमने सबको इसलिए किया है कि हमारे लोग उसमें चले जायं। किन्तु वास्तव में हमारा कोई वैसा इरादा नहीं है। हमारी विधान सभा के जो सदस्य हैं, सभी जनता द्वारा विधिवत् चुने गए हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनमें से ही कोई उसके अध्यक्ष पद पर बैठता तो मुझे खुशी होती। मैंने तो मन्त्री जी से कहा था कि हममें से ही कोई जिला परिषद् का अध्यक्ष भी बनता तो ब ा अच्छा होता। चाहे इधर का सदस्य होता या उधर का। एम0पीज0, एम0 एल0सी0 और हम में से ही जनता के प्रतिनिधि उनके अध्यक्ष होते तो ब ा ही श्रेष्ठकर होता, यह हमारा अपना व्यक्तिगत मत है। क्योंकि हमने चौखम्भा राज्य की बात की है, उसे पढ़ा है और उसकी एक सुखद कल्पना भी की है। सन् 1948 से जब से हम अपने पूर्व दल में रहे हैं, तब से लेकर सन् 1974 तक हमने विचार किया है कि चौखम्भा राज्य की स्थापना में हमारा गौरव होगा, जन-जन का कल्याण होगा। जिस दिन जिला परिषद् का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होगा

[श्री राधे श्याम शर्मा]

और जिलाधीश उसका सचिव होगा, वास्तव में जनहित का कार्य होगा। सचिव उनका जिलाधीश अवश्य होना चाहिए, इससे नौकरशाही पर नियन्त्रण रहेगा, जिससे आम आदमी सोचेगा कि वास्तव में जनतन्त्र है। इस तरह की व्यवस्था मैं आज ही चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से आज के बिल के द्वारा मन्त्री जी नहीं कर सकते थे। अत: मैं उसे समझ गया हूं। किन्तु मन्त्री जी भविष्य के लिए इस सदन में आश्वासन देने का कष्ट करें कि भविष्य में शीघ्र ही वह इस चीज की व्यवस्था करेंगे। जब तक चुनाव नहीं होते, जिला परिषद् के अध्यक्ष 5-7 महीने तक जिलाधीश रहेगा। मैं यों तो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसलिए मानता हूं कि यह व्यवस्था क्षणिक काल के लिए है और वह 5-7 महीने में चुनाव कराने जा रहे हैं। जब बाद में जनतांत्रिक आधार पर सही प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, तो उनका जो चेयरमैन बनेगा वह जनता का चेयरमैन होगा। इसलिए 5-7 महीने और उस दुर्व्यवस्था को सहा जाए, जिसे 30 साल तक सहा है। लेकिन आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय जल्दी ही इन्हें व्यवस्थित करेंगे और एक व्यवस्था और करेंगे हर तरह से कि जो नई जिला परिषदों का गठन हो, उनमें कोई भी सरकारी नौकर ऐसा पद और अधिकार न पाने पावे कि वह जनता का स्वामी बन जाए, उसकी हैसियत सचिव या क्लर्क से अधिक नहीं रहने पावे। जो उनकी हैसियत है वही बनी रहनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी के विधेयक का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जोरदार कदम उठाकर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और एक शानदार काम किया है।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, यह विधेयक समाजवादी विचाराधारा का द्योतक है। यह सोचने की बात है कि हमारे मन्त्री जी जो ग्राम्य विकास के हैं, उनके ऊपर भी हमारे श्यामधर जी हमला करते हैं। वह जो पार्लियामेन्ट में भी रहे हैं, पता नहीं किस मुंह से उन पर हमला करते हैं यह विधेयक लाने की नौबत क्यों आयी? पिछली बार जब मैं इससे सम्बन्धित मन्त्री के यहां बैठा था, चुनाव आने वाला था। मेरी एक मासूम हैसियत, शरीर भी मासूम है, चेहरा भी मासूम है।

श्री अधिष्ठाता—

लेकिन बुद्धि तेज है, आपकी।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जरा सुन लें पिछली कहानी, प्रदेश के बड़े सामन्तों का दरबार लगा था। हमारे सम्बन्धित मन्त्री जी कह रहे थे, नाम नहीं लूंगा, चाहे जिस कीमत पर हो, मैं समझता हूं गोरखपुर और पश्चिमी जिलों के थे, रिवाल्वर लटकाए हुए थे, चाहे जिस हालत में हो, प्रदेश में एक भी विरोधी जिला परिषद् का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। हुआ क्या श्रीमन्? चुनाव आया। चुनाव में जिला परिषद् के, आप लोग जानते होंगे, सारे प्रदेश के जितने सामन्त और गुन्डे थे, उनकी भरमार जिला परिषद् के चुनाव में हो गयी। इसलिए सारी सीटें उस पक्ष को मिलीं जिस पक्ष के आज कह रहे हैं कि जनतन्त्र चला जा रहा है। लेकिन जनतन्त्र बचाने में आप सहायता नहीं कर रहे थे। बल्कि उसकी आहुति दे रहे थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे जिले फैजाबाद की जिला परिषद् को देखें। चेयरमैन साहब एक कांग्रेसी हुए जो क्लर्क कांग्रेसी थे यानी कांग्रेस आफिस के एक क्लर्क थे। उन्होंने वही क्लर्क वाली बात की। उन्होंने विपक्ष के लोगों को हराने के लिए सारी गाड़ियां लगा दीं। अध्यापकों तक को आदेश दिया कांग्रेस को जिताने के लिए। जिला परिषद् की एक जीप मिली थी, एक-एक कार मिल गयी थी। कारें भी दी गयीं। श्रीमन्, देखें, जहां जिला परिषद् में इतनी गड़बड़ियां थीं, इतने घोटाले थे, पेट्रोल बिक रहे थे, चोरी से, उस जिला परिषद् के चेयरमैन को, उनकी बीबी, बच्चों और रिश्तेदारों के बैठने के लिए पिछली सरकार ने कार दी थी। जनप्रतिनिधि जिला परिषद् के अध्यक्ष होते नहीं। दोनों पक्षों के लोग यह मानेंगे कि सम्बन्धित मन्त्री जी पर कभी अविश्वास नहीं होगा, न उनकी नीयत और कारनामें और समाजवादी प्रोग्राम पर शक होगा। लेकिन मजबूर हैं वह गाली देने के लिए। मैं इस चुनाव की पद्धति को अच्छा नहीं मानता। क्या पद्धति है, वह पूरा सदन जानता है। जिला परिषद् के जो वोट देने वाले सदस्य हैं, उसमें क्या सामन्ती लोग नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो कांग्रेस की हुकूमत रही है वह गुन्डों के बल पर प्रशासन करती थी। इसलिए चुनाव भी बड़े सामन्तों और गुन्डों के बल पर जीतती थी। इस देश की रीढ़ क्या है, इसके उत्थान की? शिक्षा। शिक्षा को ले लें। शिक्षा आपने दे दिया बेसिक शिक्षा अधिकारी को। लेकिन डील कौन कर रहा है। यह जनता पार्टी के हैं, चेयरमैन साहब संस्तुति दे रहे हैं इसको कोने में फेंको।

माननीय अधिष्ठता महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आज प्राइमरी के अध्यापक को क्या आप देते हैं, आप ढाई सौ रुपया देते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उसकी दलीय स्थिति के आधार पर शोषण न करें। मैंने देखा कि उनका ट्रांसफर वगैरह सभी जिला परिषद् के अध्यक्ष की सलाह से किए जाते हैं। कोई काम बिना जिला परिषद् के अध्यक्ष के नहीं होता है। जो उसका आदेश होता है वही काम होता है। यह क्या है, इससे वह शोषण करते हैं। जिला परिषद् के अध्यक्षों को मैंने देखा है, मैं अपने जिले के जिला परिषद् के अध्यक्ष की बात जानता हूं, 82 हजार रुपया सभी जिला परिषद् के कर्मचारी जिला परिषद् के अध्यक्ष, को कांग्रेसी हुकूमत में मिलता रहा है जो एक बहुत बड़े उद्योगपति को भी मुनाफा नहीं होता है। इस हालत को देखते हुए मैं समझता हूं कि यह विधेयक जो है नेक है, समाजवादी भी कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी और जनतांत्रिक तो है ही। माननीय श्यामधर मिश्र ने एक बात चुनाव की कह दी। 2 महीने के बाद वह समाप्त हो जाएगी।

श्री श्यामधर मिश्र—

हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं। आपकी क्या शिकायत है?

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

आप मेरी बात भी सुन लें। आपकी बातों को तो हम लोग शान्ति से सुना करते हैं। आप भी मेरी बातों को जरा धैर्य से सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

संक्षेप में बात कहें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह––

अब मैं बन्द कर रहा हूं। मिश्र जी ने कहा कि चुनाव कराना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि चुनाव कराना चाहिए। चुनाव की पद्धति को आप समाप्त करने जा रहे थे, इन्दिरा के बेटे का आदेश हुआ जिला परिषद् के अध्यक्षों को कि पे र लगाए जायें। लाखों रुपया इस आधार पर जिला परिषद् के अध्यक्षों को दिया गया और उन लोगों ने लाखों रुपया गबन किया। आप आंकड़े उठा कर देख लें। नसबन्दी का रिकार्ड तो दिया, कोई अध्यापक नहीं बचा और कलेक्टर को दोषी कहते हैं, लेकिन जिला परिषद् के अध्यक्ष दोषी माने जायेंगे। मैं खिलाफ बोलता था, कहते थे कि चुप रहो नहीं तो जेल भेज देंगे। जेल आप भेज देंगे, कभी यह भेज देंगे, लेकिन मैं आप से बता दूं कि नसबन्दी की जितनी ग बड़ी हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी जिला परिषद् के अध्यक्ष की है। जो अध्यापक 250 रु0 वेतन पाता है वह तो बेचारा काट दिया गया। यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है वह ब ड़ा नेक है, यह समाजवादी है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रगतिशील कहता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं और जो आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री देवकुमार (जिला बांदा)––

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। दो इधर से बोलेंगे और दो उधर से।

श्री अधिष्ठाता––

मुझे मालूम है। आप अभी-अभी आए हैं, मैं आपको समय दूंगा।

श्री देव कुमार––

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था कायम करें।

श्री अधिष्ठाता––

ठीक है। आप बैठिए। आपको भी अवसर मिलेगा।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश––

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हां यह जरूर है कि इस बिल के जरिए कांग्रेस पर करारा प्रहार हुआ है। लोक सभा के भंग होने के बाद, विधान सभा भंग हुई और विधान सभा के भंग होने के बाद जिला परिषदों को भी भंग कर दिया गया है। कुछ लोगों को इससे तकलीफ हो सकती है लेकिन मैं समझता हूं कि आपातस्थिति में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने जिन विधायिकाओं और संस्थाओं को अपनी हबिस की पूर्ति का साधन बनाया था, जिला परिषदें भी उनमें से एक थीं। स कें बनवाने में, गांवों का विकास करने में या फिर ग्रामीण जन-जीवन के स्तर का उत्थान में करना इनका 19 महीनों के दौरान नगण्य बात हो गई थी। फिर एक के बाद एक इमरजेन्सी की उपलब्धियों को बताना और श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्रीय और श्री संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार करना ही एक काम रह गया था। एक तरफ तो पूरा देश जबरदस्ती नसबन्दी से त्राहि-त्राहि कर रहा था दूसरी तरफ जिला परिषदें उत्तर प्रदेश के अन्दर नसबंदी का स्वांग कर रही थीं। अगर ऐसी जिला परिषदें भंग कर दी गईं तो तकलीफ कुछ लोगों को ही हो सकती है लेकिन सारे प्रदेश को, जनतन्त्र के चाहने वालों को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तरफ तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, इमरजेन्सी में मनमाने टैक्स लगाए जा रहे थे और मनमाने आधार पर लोगों को जो अपने खास लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे उनके टैक्स माफ किए जा रहे थे और दूसरी तरफ गरीब लोग टैक्सों से त्राहि-त्राहि कर रहे थे तो तकलीफ कुछ लोगों को हो सकती है लेकिन सारे प्रदेश को नहीं हो सकती। मेरी यह राय है कि अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह मे लोक सभा के चुनाव में हारने पर इन्दिरा जी को तकलीफ हुई, विधान सभा के चुनाव हारने पर स्टेट स्तर के नेताओं को तकलीफ हुई होगी। जिला परिषद के भंग होने पर, कग्रेस के धराशायी होने पर तो कांग्रेसी लोगों को तकलीफ हुई होगी।

मेरे माननीय मित्र श्री श्यामधर मिश्र यहां पर नहीं हैं उन्होंने कहा कि जनतन्त्र की हत्या कर दी गई है। जनतन्त्र को कमजोर कर दिया गया और आज जिला परिषदें भंग कर दी गईं तो जनतन्त्र कमजोर हो गया। जनतन्त्र के खत्म होने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ कर पूरे देश में जनतांत्रिक मूल्यों को मीसा और डी0 आई0 आर0 के तहत खत्म कर दिया उस समय दो साल बाकी थे और जिला परिषदें भंग कर दी गईं। लेकिन उस समय जबान नहीं खुली थी और जिस समय 6 महीने बाकी थे केन्द्र ने तमिलनाडु विधान सभा भंग कर दी थी। केवल तमिलनाडु विधान सभा ही नहीं भंग कर दी गई बल्कि लोक सभा की अवधि को बढ़ा कर पांच वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। जिसने खुद गलत काम किया है वह हर सही काम को गलत नजरिए से देखा करता है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जिला परिषदों को भंग करके प्रदेश के 10 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम ही नहीं बल्कि प्रदेश की 10 करोड़ की जनता इस विधेयक का स्वागत करेगी।

जहां जिला परिषदों को भंग करके जनता पार्टी की सरकार ने जनतन्त्र को मजबूत किया है वहां मेरा एक निवेदन इस सरकार से है कि माननीय मन्त्री जी जिला परिषदों के चुनाव भी शीघ्र करा दें। कुछ लोगों की आकांक्षायें रही हैं कि लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव कभी न हों। उन्हें भूत जैसा डर लगता है कि जिला परिषदों के चुनाव नहीं होंगे लेकिन ऐसे लोगों की आकांक्षाओं को निर्मूल करने के लिए जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र कराए जाएं और जिला परिषदों को जो जिलाधिकारियों को सौंपा गया है, उसके बारे में मैं माननीय मन्त्री जी से गुजारिश करूंगा कि ज्यादा दिन बाद नहीं बल्कि आज ही सदन के अन्दर वे इस बात का वक्तव्य दें, घोषणा करें कि जिला परिषदों की जिम्मेदारी केवल जिले के अधिकारियों के हाथ में न होकर जन प्रतिनिधियों की, जो चुनी हुई समिति होगी, सलाह पर जिला परिषदों का काम करेगी। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी आज ही सदन में कोई वक्तव्य दें।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जो विधेयक आज सदन में पेश किया गया है, इसके सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष से बड़ी-बड़ी अनुसंशायें हुई हैं। मैं अपने मन्त्री जी को, जिन्होंने यह विधेयक पेश किया है, बड़ा समाजवादी मानता हूं। इस बिल में चुनाव कराने की बात भी कही गयी है। इन जिला परिषदों में भारी अनियमिततायें थीं, 30 सालों से ये व्यापारिक केन्द्र बने हुए थे। इनमें जो भ्रष्टाचार और करप्शन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

के बड़े-बड़े मामले थे तो सरकार का काम था कि ऐसी व्यवस्था जो इस दिशा में चल रही थी, उनको समाप्त करती। ये इस मुल्क को बरबादी की ओर ले जाने में लगी हुई थी, राजनैतिक कार्यों में लगी हुई थी। इनके माध्यम से देहाती क्षेत्रों में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था। एक अध्यादेश के जरिए से माननीय मन्त्री जी ने जो जिला परिषदों को भंग किया है तो लोगों को आश्चर्य हो रहा है, क्यों हो रहा है। चुनाव होने चाहिए और हम चुनाव के पक्षधर हैं। माननीय राधेश्याम शर्मा जी और अन्य कई माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया कि माननीय मन्त्री जी ने बहुत सी जिला परिषदों में भ्रष्टाचार की जांच करवाई। मेरा सुझाव है कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी जो भी मामले हों उनको आप बतायें और देखें। कहीं ऐसा न हो कि आप भी कांग्रेस वालों की तरह से उनको छुपायें वर्ना आप का भी वही हस्र होगा जो कांग्रेस वालों का हुआ है।

भ्रष्टाचार जैसे रोग से आज सारा समाज पीड़ित है इसलिए चाहे पक्ष के या विपक्ष के सभी लोग यह मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो। यह केवल आपका ही काम नहीं है बल्कि सभी लोगों का काम है कि मिलकर इसको समाप्त किया जाय। इसी के लिए हम को जनता ने चुन कर इस सदन में भेजा है। हमारा यह परम कर्तव्य हो जाता है और आपका भी फर्ज है कि विपक्ष में सदस्यों द्वारा कोई जिला परिषद् का मामला हो, चाहे अन्य विभागों का मामला हो, चाहे पुलिस का हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग का हो या सिंचाई विभाग से सम्बन्धित हो, चाहे राजस्व विभाग से सम्बन्धित हो तो निष्पक्षता से उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि हम लोग तो उस जनपद के रहने वाले हैं और ऐसे नेता की छत्र छाया में रहते हैं जिसने अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है, उसने कभी कुर्सी से चिपकने वाले लोगों की कभी प्रशंसा नहीं की। जय प्रकाश जी की दुहाई दी जाती है, उनको कारागार में कितनी यन्त्रणा दी गयी थीं। हमें खुशी है कि भाई मधुकर दिघे साहब जो जभुना प्रसाद जी को समाजवादी नहीं मानते थे वह अब समाजवादी मानने की दिशा में जाने लगे हैं, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं।

कहा जाता है कि जिला परिषदों के भंग किये जाने से जनता में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हर जगह इस कार्य का स्वागत हो रहा ह। मैं समझता हूं कि अगर आप वास्तव में प्रजातन्त्र के हामी हैं, प्रजातन्त्र चाहते हैं तो उसके अनुरूप आपके कर्म होने चाहिए। विपक्ष में बैठने का मतलब यह नहीं है कि हमेशा सरकार की झूठी आलोचना की जाय। मैं विपक्ष में इसलिए नहीं बैटता हूं कि किसी मन्त्री की चापलूसी करके किसी का ट्रान्सफर करा लूं या कोई पद चाहता हूं। मैं उचित अनुशंसा करता हूं, प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए और इस सूबे की जन-भावनाओं को पहिचानते हुए हमारा कर्तव्य है कि इस सरकार को प्रजातन्त्र के विरुद्ध जाने से रोका जाय और यदि आवश्यक हो तो उसके लिए हम सत्याग्रह करेंगे, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मान्यवर, मैं आज माननीय मन्त्री जी के इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, हमें एक बात बहुत खटकती है इस सदन में कि जो लोग राज्य चलाते हैं उन्हें विनम्र होना चाहिये और विनम्रता से हम लोगों के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य, जरा अपनी आवाज को इस तरह से करें कि दूसरे आसानी से सुन सकें और समझ सकें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित---

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से और जो सरकारी पार्टी के मन्त्री हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मन्त्री क्रोधित होकर उत्तर देते हैं तो वह आप जैसे लोगों के लिये शोभा नहीं देता। जितने मन्त्री हैं, खास तौर से शिक्षा मन्त्री जो शिक्षाविद् हैं उनको गरमाने की क्या जरूरत है, क्रोधित होने की क्या जरूरत है? पढ़ा-लिखा व्यक्ति अगर हम लोगों पर क्रोध दिखलाएगा तो कैसे सदन की कार्यवाही चलेगी? तो अधिष्ठाता महोदय, ...

श्री अधिष्ठाता---

दीक्षित जी, जो विधेयक है ....

श्री सुन्दर लाल दीक्षित---

इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करें और जिला परिषदों में चाहे भूतपूर्व कांग्रेसी रहे हों या जो भी हों, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के, अगर ऐसे मामले हैं तो सी0 बी0 आई0 से इन्क्वायरी कराने में और कठोर से कठोर सजा देने में उन्हें हिचक नहीं होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता---

श्री गनेशी लाल चौधरी। समय का जरा ध्यान रखें क्योंकि वही बातें बार-बार दोहरायी जाती हैं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं बड़े देर से विरोध पक्ष के भाइयों के भाषण सुन रहा था। विरोध पक्ष के भाइयों को हमेशा खराबी देखने की आदत होती है। लेकिन जरा गटर और नाले ही मत देखिए कुछ अच्छाइयों को भी तो देखिए। आप जानते हैं कि जिला परिषदों में कितना घोटाला, कितना भ्रष्टाचार था। उसको मिटाने के लिए हमारे माननीय मन्त्री जी इस विधेयक को लाए हैं।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं। हमारे माननीय मिश्र जी को बड़ी तकलीफ है कि जिला परिषदों का जो कार्यकाल है उससे पहले उनको समाप्त कर दिया गया। तो कभी-कभी डाक्टर को फोड़े में नश्तर पहले लगाना पड़ता है ताकि कहीं कैन्सर न बन जाय। तो उस कैन्सर से बचाने के लिए माननीय मन्त्री जी ने पहले से ही जिला परिषदों का आपरेशन कर दिया है। नयी व्यवस्था और नयी प्रणाली लाने की बात कही है और कहा है कि एक व्यापक संशोधन वह इस विधेयक में लायेंगे। तो मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा। इतने दिन हो गए जिला परिषदों का कोई भी अध्यक्ष सर्वहारा वर्ग का नहीं हो पाया है, शेड्यूल्ड कास्ट और

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का। मैं चाहूंगा कि जब वह व्यापक संशोधन करें तो इस ओर जरा ख्याल रखें कि सर्वहारा वर्ग के लिए रिजर्वेशन का प्रबन्ध जरूर करें अध्यक्ष पद के लिए।

एक चीज मैं और कहूंगा कि अगर बेसिक शिक्षा का प्रान्तीयकरण कर दिया जाय और उनकी सर्विसेज अच्छी कर दी जायं तो बेसिक शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, इस बिल के प्रस्तुत करने पर एक सवाल सामने आया है कि यह कदम लोकतांत्रिक है अथवा अलोकतान्त्रिक। सवाल यह है कि जिस प्रकार से जिला परिषदों का संगठन था, चुनाव होता था क्या वह तरीका लोकतान्त्रिक था? उसके तमाम सदस्य अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते थे और वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव करते थे। इस तरह से वहां पैसा, जोर जबरदस्ती चलती थी। कभी-कभी प्रधानों को एक जगह इकट्ठा करके बन्द किया जाता था। इस प्रकार से ये चुनाव होते थे। फल यह होता था कि जो पैसा लगा सकता था, मारपीट कर सकता था वह उस चुनाव में बिजयी होता था। इसलिए मैं मन्त्री महोदय और सरकार से मांग करूंगा कि अब जो चुनावों की व्यवस्था हो वह प्रत्यक्ष चुनावों की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी सच्चे माने में यह जन प्रतिनिधि संस्था होगी। जोर जबरदस्ती, लाठी डन्डे के जोर पर जो चुनी हुई संस्था थी उसको अगर इस सरकार ने समाप्त कर दिया है तो यह कोई अलोकतांत्रिक कदम नहीं है। इसको अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए जो माननीय सदस्य का संशोधन आया है कि अन्तरिम काल में चुने हुए विधायक, संसद के सदस्य इसके सदस्य हों तथा उन्हीं में से या जनता का कोई प्रतिनिधि अध्यक्ष बनाया जाय तो यह चुने हुए प्रतिनिधि जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करेंगे बनिस्पत उन लोगों के जो अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आए थे। उधर की सीटें कभी ध्यान भी नहीं दिया करती हैं, तो हमारे आदरणीय मित्र मिश्र जी को ध्यान आया कि उन्होंने कहा कि इनकी बातें मान ली, इन जिला परिषदों को अधिकार कम हैं और इन जिला परिषदों के पास साधन कम हैं, पूरे का पूरा लोकतन्त्र का कायदा है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। गांवों में सत्ता अधिक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद क्षेत्रीय विकास में, उसके बाद जिला परिषद् में आनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? जिस प्रकार से आपका पंचायतराज ऐक्ट बना, क्षेत्रीय समिति के नियम बने, जिस प्रकार से जिला परिषद् आपकी बनी, जैसे हाथी ठोस चीज खाता है, लेकिन जब वह लीद होता है, तो वह खोखला होता है, उसी प्रकार से नाम के लिए जिला परिषद्, क्षेत्रीय समिति, ग्राम सभा है, लेकिन इसके पास न तो कोई साधन है, न कोई अधिकार है जोकि अच्छी तरह से चल सके।

हम सीधी सी बात कहते हैं कि जिला परिषद् का प्रत्यक्ष चुनाव हो और प्रान्तीय सरकार को उनको भंग करने का अधिकार न हो। अभी तक क्या होता था, ग्राम सभा को एस0डी0एम0 भंग कर सकता है। क्षेत्र समिति के अध्यक्ष को डी0 एम0 निकाल सकता है, प्रान्त की सरकारों को केन्द्र भंग कर सकता है। यह क्या हमारी संघात्मक सरकार है, जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे बड़ी सत्ता है, उसके बाद जो छोटी सत्ता आती है, उसको समाप्त कर सकती है। जहां पर जो जिसका कार्यक्षेत्र हो वहां पर उसको हक होना चाहिए। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी जिला परिषद् के पास 1971-72 से पहले शिक्षा का कार्य हुआ करता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् बन गयी और शिक्षा का कार्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत आ गया। उसका हस्र क्या हुआ? बिल्डिग जो हैं, जो स्कूल भवन हैं, वह जिला परिषद् के हैं। मास्टर बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत हैं। यही हाल नगर-पालिका और नगर महापालिकाओं का है। तो जब शिक्षा की जिम्मेदारी, बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी प्रान्त की है, तो उस भवन को बनाने का काम क्यों करे। 5-7 साल से उन भवनों की देखभाल नहीं की गयी।

जैसा माननीय सदस्य रवीन्द्रनाथ तिवारी जी ने बताया कि फैजाबाद में जिला परिषद् का भवन गिर गया और उससे बच्चे की मृत्यु हो गयी, इसी तरह से पूरे प्रान्त में हाल हो रहा है। दूसरा नुकसान यह हुआ कि बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश शासन के अंदर आ जाने से प्रधानों का या ब्लाक प्रमुख का या वहां की जो जनता है, उसका कोई भी अधिकार प्राइमरी स्कूलों पर नहीं रहा। तो प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की जो मर्जी आती है, वह करते हैं। अभी प्राइमरी स्कूल जहां पर नियुक्त हैं, वहां पर अध्यापक समय पर रोजाना आते हैं और जाते हैं ऐसा कोई स्कूल नहीं मिला है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहता हूं कि यह जो शिक्षा है चाहे बेसिक शिक्षा हो, या सीनियर शिक्षा हो जिला परिषदों को दी जायं। जिला परिषदों को साधन जुटाने के उपाय किए जायं। इसका शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराया जाय। इसी के बाद मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री मान सिंह आज़ाद (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे विरोधी पक्ष के साथियों ने जो जिला परिषद् के भंग करने के बारे में कहा है, वह गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस समय कहां इनके दिल, दिमाग में जनतन्त्र था, जब हम लोगों को जेलों में बन्द करके पार्लियामेन्ट की अवधि बढ़ाई थी? शायद यह भूल जाते हैं कि यह जनता पार्टी की सरकार है। हम लोगों ने अपना बजट गांव से शुरू किया है और गांव का विवेक हम लाना चाहते हैं। गांवों के बारे में जो विवेक है, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, आज आप देखें कि जिला परिषदों ने क्या नहीं किया? अभी कुछ दिन हुए इसी हाउस में लखनऊ जिला परिषद् के बारे में बताया गया।

महोदय, सती मैया की सड़क, यह मलिहाबाद माल ब्लाक में है। जिला परिषद् के मेम्बरों ने इसको पास किया, यह सड़क, गजट पेपर में भी दी गयी। परन्तु यह सड़क नहीं बनी। जिला परिषद् के सदस्य न जाने कहां सड़क लिए जा रहे थे, इस सड़क के बारे में कमिश्नर लखनऊ और मुख्य मन्त्री जी को भी एक लम्बी दरख्वास्त लिख कर मुझे देनी पड़ी। यही नहीं एक सड़क रहीमाबाद से रहटा जाती है। सड़क में जंगल पड़ता है। जंगल इसका टैक्स अदा करता है। इस सड़क पर 12-13 बसें जाती हैं। इसके बारे में मैंने जिला परिषद् के अध्यक्ष से कहा कि भाई बरसात होने जा रही है आपका गैंग क्या कर रहा है।

---

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भान सिह आज़ाद]

लेकिन वह गैंग उनके निजी काम में मकान बना रहा था। उन्होंने कुछ नहीं किया। यही नहीं मैंने जब अपने क्षेत्र में पैदल दौरा किया तो जिला परिषद् के अध्यक्ष ने वहां के स्कूलों को देखने का कोई कार्य नहीं किया। गांवों का ही अन्न शहर में आता है लेकिन बैठे हुए विरोधियों के दिमाग में नहीं आता कि जिला परिषद् गांव की इकाई है।

(इस समय 3 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

लोहिया जी ने इसे चौखम्भा कहा है। मैंने उनके साथ बैठकर बहुत दिनों तक उनकी बातें सुनी हैं। इन जिला परिषदों को भंग किया गया तो इसका क्या कारण हो सकता है ?

मैं जब अपने क्षेत्र मल्लिहाबाद में गांवों में जो स्कूल हैं, उनको देखने गया तो इतने सालों में उनके पट्टे गायब हैं। बिल्डिग की छतें नहीं हैं। अध्यापक की कुर्सी गायब है। यही कारण है कि इनको भंग किया गया। मैंने जिला परिषदों के बारे में यही बातें हाउस में कहीं थीं। जब मैंने जिला परिषद् के अध्यक्ष चन्द्रशेखर को नोटिस दी, कि भाई साथी होने के नाते, जिला परिषद् के अध्यक्ष का कार्य है कि गांव के स्कूलों की तरफ ध्यान जाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने हाउस में निवेदन किया था कि ऐसी जिला परिषदों को भंग किया जाय अथवा मुअत्तल किया जाय। पहले की प्रोसीडिंग मंगायें, अध्यक्ष जी देख लिया जाय। मैं माननीय मुख्य मन्त्री और मन्त्री जी का स्वागत करता हूं कि वह ऐसा विधेयक लाए हैं। बहुत अच्छा किया। यही नहीं जो हमारे साथी आलोचना करते हैं उनको गांवों की तरफ ध्यान देना चाहिए। गांधी जी गांवों में घूमें हैं। आज इसी की जरूरत है। गांवों में जाकर गांवों की समस्यायें देखें। यह नहीं कि कारों पर घूमें और गांवों के स्कूलों को न देखें। होता यह था कि कारों और जीपों का इस्तेमाल अपने रिश्तेदारों की बारातों में किया जाता था। लाग बुक में फर्जी दौरे लिख दिया करते थे। अगर मैं गांवों में न गया होता तो आज मुझे क्या मालूम होता, बतायें। जितने विरोधी दल के सदस्य बैठें हैं उन्होंने किसी जिला परिषद् के स्कूल का हवाला नहीं दिया। माननीय सदस्य मिश्रा जी जब बोल रहे थे तो जनता सरकार की आलोचना कर रहे थे, उनको सोचना चाहिए था कि हम गांधी जी के नाम पर बहुत कमा लिए और हरिजनों को बिना कसूर जेलों में बन्द कर दिया। इसलिए जिला परिषदों को भंग किया गया है ? मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बात देख लें और इस प्रस्ताव पर जोर देना चाहिये कि जिला परिषदों के अध्यक्ष जो बाहर से आकर चुने जाते हैं वह नहीं होना चाहिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि वह इकाई से ही चुनकर जिला परिषद् के अध्यक्ष बनाए जायें। यह इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री देवकुमार—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उस पर मैंने संशोधन प्रस्ताव दिया था कि इस विधेयक को 3 माह के लिए जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाय। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में यह साबित करने की कोशिश की है कि जिला परिषदों को इसलिए भंग किया गया क्योंकि कुछ जिला परिषदें घाटे में चल रही थीं और कुछ में अनियमितायें थीं।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में चुनाव के पहले यह कहा गया था कि रोजी और रोटी, आजादी और जनतन्त्र दोनों की रक्षा हम करेंगे। इस देश और प्रदेश की जनता को यह उम्मीद थी कि केन्द्र और प्रान्त में सरकारें बनने के बाद प्रदेश की सरकार कुछ ऐसे अध्यादेश जारी करेगी जिससे महंगाई रुकेगी, रोजगार मिलेंगे लेकिन मान्यवर, दिल्ली में सत्ता हथियाने के बाद जो पहला काम इस प्रदेश में हुआ वह यह कि उत्तर प्रदेश विधान सभा को, जिसका कार्यकाल बाकी था, भंग किया गया। उसके पीछे क्या भावना थी कि इस मुल्क के अन्दर, पूरे-पूरे गांव के अन्दर, चप्पे-चप्पे जमीन पर जनता पार्टी का राज्य हो जाय और उसी प्रक्रिया के अन्दर शासन यहां हासिल करने के बाद चाहते हैं कि जिला परिषदों में, गांव में, टाउन एरिया में पूरा-पूरा कब्जा हो जाय। इस बात को छिपाने से कोई लाभ नहीं था और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा और कुछ का कहना है कि इसलिए जिला परिषदों को भंग कर रहे हैं कि उनमें कांग्रेस वालों का बहुमत है या माननीय बहुगुणा जी के आदमी बैठे हैं। लेकिन इस बात को मन्त्री जी ने छिपाकर यह कहा कि जनतन्त्र के हित में है कि जिला परिषदों को भंग कर दिया जाय।

मान्यवर, मैं सत्ता पार्टी के लोगों से और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह कहते हैं कि जनतन्त्र की रक्षा के लिए हम यह कर रहे हैं लेकिन इधर के लोगों का कहना है कि यह जनतन्त्र की हत्या कर रहे हैं यह कहा गया। सरकारी पक्ष के लोग कहते हैं कि आपने इतने गुनाह किए उनको समाप्त किया, इमरजेन्सी लगाकर जनतन्त्र को समाप्त कर दिया तो इमरजेन्सी को समाप्त किया ? तो हम लोग इसके बारे में कह चुके हैं और जिसको सारा देश जानता है कि जो गलत काम कांग्रेस ने अपने 30 वर्षों में किए उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि जो भी काम कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में करती थी या कुछ टुकड़ी बनाकर लोग करते थे या यहां लोग करते थे, सत्ता में जो लोग थे और जो पार्टी के लीग थे वे केवल हां में हां मिलाते थे और कुछ नहीं करते थे। वही प्रक्रिया आप भी अपनाने जा रहे हैं तो यह देखकर अफसोस होता है जो भी मन्त्री जी कहते हैं उधर बैठे माननीय सदस्य हां में हां मिलाते हैं और वाह-वाह करते हैं तो यह उचित नहीं है। आप जनतन्त्र के भविष्य की चिन्ता छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप वास्तव में जिन्दा रहना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप उस परम्परा को छोड़िए जिसका खामियाजा कांग्रेस वाले भुगत रहे हैं। इस अध्यादेश को लाने की क्या जल्दी थी। माननीय मन्त्री जी इस विधेयक को सदन में ला सकते थे। बजट सेशन शुरू हो चुका था। महामहिम के अभिभाषण के बाद आपने सत्रावसान किया और बीच में आर्डिनेन्स लाए तो यह उचित नहीं था। आपको इतना प्रबल बहुमत होते हुए भी क्या खतरा था। आप उसी बीच यह विधेयक ला सकते थे।

आप वायदा कर रहे हैं कि जिला परिषदों के अध्यक्षों का निर्वाचन सीधे करवायेंगे। इसके लिए मुबारक। आप ऐसा अवश्य करें, इससे कोई गिला नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने जिला परिषदों को भंग किया यह काम आपके जनता के साथ किए हुए वायदों के खिलाफ नहीं है। आप जनतन्त्र की परम्परा को कायम रखिए। केवल अध्यक्षों को निकालने से और जिला परिषदों को भंग करने से ही कुछ होने वाला नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि जिला परिषदों के अन्तर्गत आने वाली सड़कों की कितनी दुर्दशा है। उनको अंग्रेजों के जमाने से जो सड़कें मिली थी उनके रख-रखाव के लिए भी उनके पास कोई पैसा नहीं

[श्री देव कुमार]

था। अभी एक माननीय सदस्य स्कूलों की इमारतों के मेन्टेनेन्स की बात कह रहे थे। सारे प्रदेश के अन्दर बेसिक शिक्षा परिषद् बनने के बाद और स्कूलों के इन्तजाम में दो तरह की व्यवस्था होने के बाद जो स्थिति पैदा हो गयी है उस पर शासन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

अभी अखबारों में देखने को मिला कि कई स्कूलों की इमारतें गिर गयीं। माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने एक दो जगह जाकर देखा और कुछ सहायता भी दी। लेकिन यह केवल एक स्कूल की समस्या नहीं है, सारे प्रदेश की समस्या है। मेन्टेनेन्स के सवाल को लेकर एक चिन्ताजनक स्थिति पैदा हो गयी है और शासन को इसके लिए कोई व्यवस्था करना आवश्यक है।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुए।)

माननीय मन्त्री जी ने इस अध्यादेश और विधेयक के जरिए जिला परिषदों के संचालन का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया है। माननीय मन्त्री जो महसूस करते हैं कि जिला परिषदों के अन्दर घाटा है। उनके पास पैसा नहीं है। क्या माननीय मन्त्री जी उनके चुनाव होने के पहले उनके लिए कोई धन देने जा रहे हैं कि उनका घाटा पूरा हो सके और स्कूलों का इन्तजाम हो सके। जहां स्कूलों की इमारतें नहीं हैं वहां इमारतें बन सकें और बालक-बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध हो सके। इसमें कोई ऐसा प्राविधान नजर नहीं आता। इसलिए हमने यह प्रस्ताव रखा है कि जनमत संग्रह के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और इसमें व्यापक परिवर्तनों के साथ आप संशोधन लायें। आपने जो वायदा किया है उसका स्वागत है लेकिन इस तरह आप लाए हैं उसका विरोध करते हुए आप से उम्मीद है कि जिस तरीके से इधर के लोगों ने काम किया है उस रवैये को बदलिए क्योंकि आज देश की जनता, प्रदेश की जनता और सारी दुनिया आपकी जनता सरकार को गौर से देख रही है और आज जो काम आप करेंगें उसका व्यापक असर जनता पर पड़ेगा।

महंगाई आज इतनी बढ़ गयी है। चार रुपया किलो अरहर की दाल बिक रही है। मसालों और तेल की समस्या भीषण समस्या है। आप राजनीतिक उद्देश्य के लिए संशोधन पेश करना चाहते हैं। जनता रोटी चाहती है। सस्ता गल्ला चाहती है, मकान चाहती है क्योंकि बहुत से लोग कौन जिला परिषद् का अध्यक्ष होता है, कौन मन्त्री होता है, विधेयक क्या होता है इसे नहीं समझती बल्कि इस प्रदेश की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि रोज की जरूरतें पूरा करने के लिए आप कितने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अगर तस्करी के खिलाफ महंगाई बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें। जनता को रोजगार सुलभ करायें तभी जनता की आकांक्षायें पूरी हो सकेंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आज दुर्भाग्य से श्री के0 के0 नायर, श्रीमती शकुन्तला नायर के पति का स्वर्गवास हो गया है और उनका अन्तिम संस्कार भैंसाकुन्ड में आज ही चार-साढ़े चार बजे होगा। इसलिए सदन को थो ा जल्दी समाप्त करना उचित होगा।

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने यह कहा कि यह जो विधेयक है, यह अप्रजातांत्रिक है। जो जिला परिषदें भंग की गयी हैं वह बिल्कुल अप्रजातांत्रिक कदम था। हमारे माननीय सदस्य रियासत हुसैन साहब ने यह कहा कि कांग्रेस का बहुमत था जिला परिषदों में इसलिए शायद उसको समाप्त करने के लिये जिला परिषदें भंग की गयीं। इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि "पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे" यानी इसके पहले चुनाव के पहले हमारे माननीय सदस्य जनता पार्टी में थे और उन्होंने विधान सभा भंग करने का सर्मथन किया था। क्या उस वक्त विधान सभा का भंग किया जाना अप्रजातांत्रिक नहीं था। इस समय जिला परिषदों को भंग किया जाना अप्रजातांत्रिक माना जा रहा है। आज जो हमारे दूसरे माननीय सदस्य हैं जो केन्द्र में मंत्री रहे हैं उन्होंने कहा कि इस विभाग से हमारा बहुत सम्बन्ध रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको डर इस बात का था कि जो भ्रष्टाचार के अड्डे थे उसको खत्म क्यों कराया गया, पनपने देते, जो लूट हो रही थी उसे होने देते। माननीय देव कुमार जी ने कहा बड़े अफसोस के साथ कि जो कांग्रेस वालों ने किया है आप न करिए। आपने तो जो जनता की राय थी जो हृदय की भावना थी उसी को स्वयं नहीं माना। आपकी स्थिति यह हो गयी है। लोक सभा में उत्तर प्रदेश के पांच थे, अब शून्य हो गए। उत्तर प्रदेश में आप सोलह थे विधान सभा में, आधे रह गए। आपने तो स्वयं जन भावना को नहीं माना।

आप जानते हैं कि जिस जिले में आप रहते हैं वहां जिला परिषद् का एक विश्राम कक्ष है। ऐसा मालूम होता है कि इन्द्र देव की इन्द्रपुरी हो, राजा महाराजाओं के महलों को मात करता है और ये सारी चीजें आप जानते हैं। यह एक जगह नहीं है, हर जगह की यही कहानी रही है और उसके बावजूद आप यह कहते हैं। केवल अनियमितताओं की बात नहीं थी आर्थिक स्थिति जो जिला परिषदों की है उसे सभी जानते हैं। यहां पर सरकार की ओर से, शासन की ओर से लिंक रोड्स के लिए जो पैसा जिला परिषदों को मिला था, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। देहरादून में 8,939 रु0, आगरा में 39,038 रु0, पीलीभीत में 3,43,982 रु0, झांसी में 22,500 रु0 जालौन में 69,805 रु0 बलिया में 64,792 रु0, गोरखपुर में 51,748 रु0, लखनऊ में 1,59,839 रु0, उन्नाव में 64,412 रु0, खीरी में 5,00,163 रु0 तथा ललितपुर में 31,134 रु0 लिंक रोड्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सका। अब दूसरी तस्वीर जिला परिषदों की यह है कि आय-कम और खर्चा ज्यादा किया गया जो इस प्रकार है :—

जिला		कुल आय रु0	कुल व्यय रु0
मुजफ्फरनगर	..	28,49,866	30,46,884
बदायूं	..	10,82,522	13,53,703
इलाहाबाद	..	20,23,366	26,22,036
हमीरपुर	..	11,73,682	14,13,548
बांदा	..	9,12,609	10,23,532
वाराणसी	..	15,88,335	16,06,649

[श्री जमुना प्रसाद]

जिला		कुल आय	कुल व्यय
		रु0	रु0
जौनपुर	..	13,02,801	13,76,826
बलिया	..	13,74,375	14,89,425
गोरखपुर	..	17,74,664	23,58,670
देवरिया	..	24 89,276	28,39,458
बस्ती	..	19,87,629	26,17,268
आजमगढ़	..	24,60,642	32,27,051
उन्नाव	..	10,42,292	13,98,403
हरदोई	..	13,09,848	16,00,734
खीरी	..	16,22,155	20,12,581
गोंडा	..	13,78,160	16,84,720
सुल्तानपुर	..	15,97,659	19 06,525
बाराबंकी	..	11,46,930	13,98,379
नैनीताल	..	13,59,959	15,31,746
पौड़ी-गढ़वाल	..	10,07,963	15,22,493
टिहरी गढ़वाल	..	6,27,791	9,86,065

यह उनकी स्थिति थी कि आय कम और व्यय ज्यादा किया गया। अभी कहा गया कि इसकी जांच कराई जाती, उनको भंग क्यों किया गया। तो सबसे बड़ी अदालत जांच की जनता की अदालत है। जिसने आपको लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों में खत्म कर दिया। जनता के न्याय पर आपको विश्वास करना चाहिए। यह जो कहा गया कि हमारा चुनाव कराने का इरादा नहीं है तो मैं उनको बतला दूं कि जनता पार्टी की सरकार जिला परिषदों के चुनाव उत्तर प्रदेश में अप्रैल तक करा देगी और उस दिन साबित होगा कि हमारा कदम जनतांत्रिक था या आपका कदम जनतांत्रिक था ? (व्यवधान) अगर हमारा कदम जनतांत्रिक नहीं है तो जनता आपके पक्ष में वोट देगी और अगर हमारा कदम जनतांत्रिक है तो जनता हमारे पक्ष में वोट देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से जनता ने लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों में जनता पार्टी में अटूट विश्वास प्रकट किया है उसी तरह से आगामी जिला परिषदों के चुनावों में भी जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आएगी।

यह कहा गया कि जिला परिषदों के घपलों के बारे में कमीशन नियुक्त कर दिए जायं तो उसकी जरूरत नहीं है, जहां-जहां की शिकायतें भ्रष्टाचार की आई हैं उनको हम विजिलेंस को देंगे। लोक सभा और विधान सभा चुनावों में गाड़ियों का इस्तेमाल पार्टी के लिए किया गया और जिला परिषदों के काम के लिए नहीं किया। हमने देखा कि सारी गाड़ियां इस प्रकार की इस्तेमाल हो रही हैं, शादी विवाह और अपने व्यवहार में उन्होंने गाड़ियों का प्रयोग किया। जिला परिषदों के काम का निरीक्षण करने के लिए वह नहीं जाते थे। तो यह जिला परिषदों की स्थिति थी। लेकिन यह कहते हैं कि आपने जिला परिषदों को भंग क्यों कर दिया। आपात्काल में जो स्थिति जिला परिषदों की थी क्या हम उसको जारी रहने देते ? इसके

लिए हम कदापि तैयार नहीं थे। हम तो यह कहते हैं कि जो सरकार जनता की भावना का कदर नहीं करती उसको जनता की सरकार कहने का हक नहीं रह जाता है। जनता की भावना के आप बे हकदार बनतें हैं और कहते हैं कि इनको भंग क्यों किया लेकिन जनता द्वारा जो विधान सभाओं और लोक सभा 5 साल के लिए चुनी गयी थी उनको आपने 6 साल के लिए बढ़ा दिया इसका आपको क्या अधिकार था। आपको जनता ने कौन सा वरडिक्ट दिया था कि 6 साल की अवधि बढ़ा दी जाय। जनता ने जिसके लिए वरडिक्ट नहीं दिया था उसको समाप्त करके हमने चुनाव कराए और उसमें हम सही थे या नहीं उसका जवाब जनता ने दे दिया और हमको प्रचण्ड बहुमत से विजयी बनाया। आपको आज भय है और आप चाहते थे कि जिला परिषदों में दो साल तक और आपकी माहन्ती कायम रहती वह हमने खत्म कर दी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम तो यही कर सकते थे जो किया है।

एक और बात जैसा कि माननीय रियासत हुसैन साहब ने की है वह विधान सभा के चुनाव पहले चाहते थे। वह चाहते थे एसेम्बली के चुनाव तीन साल पहले हो जांय। तो यह तो उनकी अपनी बात है। अब वह चाहते हैं कि जिला परिषदें भंग न हों। आदमी को कहीं सन्तोष नहीं होता है। एक छोटी सी कहावत है। एक घोड़ा था उसके दो सवार थे और वह दोनों पैदल जा रहे थे और घोड़ा भी जा रहा था लोग कहने लगे कि यह कैसे लोग हैं कि घोड़ा साथ है लेकिन यह पैदल जा रहे हैं। तो उनमें से एक घोड़े में बैठ गया इस पर लोग कहने लगे कि कितना बेवकूफ आदमी है कि बाप पैदल जा रहा है और बेटा घोड़े में बैठ कर जा रहा है इस पर लड़का उतर गया और बाप बैठ गया. . .

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी, संक्षेप में कहें।

श्री जमुना प्रसाद--

तो कहते हैं कि कितना बेवकूफ है कि बेटा पैदल जा रहा है और बाप घोड़े पर बैठा है। इस पर जब दोनों बैठ गए तो कहने लगे कि कितने बेवकूफ हैं कि एक घोड़ा है और दो उस पर सवार हो रहे हैं और घोड़े को मार डाल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी चीज पर उन्हें सन्तोष नहीं है। यदि हम जिला परिषदों को भंग कर सरकार के आदमियों को बैठाते तो कहते कि जिला परिषदों को इसलिए भंग किया कि जनता पार्टी अपने आदमियों को लाना चाहती थी और आज जिला परिषदें जिलाधीश के अधिकार में कर दीं तो कहते हैं कि नौकरशाही लाद दी। एक अजीब स्थिति है चुनाव कराते हैं तो कहते हैं कि यह अप्रजातान्त्रिक है न कराए तो भी कहते हैं कि अप्रजातान्त्रिक है। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप लोग बोलें तो संयम के साथ बोलें। हमारे माननीय सदस्य सी0 पी0 आई0 के माननीय नेगी साहब चले गए।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान सिंह जी आजाद रनिंग कमेंट्री कर उधर से बाधा डाल रहे हैं।

श्री जमुना प्रसाद--

उन्होंने कहा कि इनको कोई ज्ञान नहीं है कोई जानकारी नहीं है ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जानकारी हमको नहीं थी आपको तो थी आप कहते हैं कि जिला परिषदों को भंग करके प्रजातन्त्र की हत्या की गयी। तो मैं कहना चाहता हूं कि

[श्री जमुना प्रसाद]

संसार में इससे बड़ी प्रजातन्त्र की हत्या और क्या हो सकती है जो आपने आपात्काल में की। आज जिला परिषदों को भंग कर देना भ्रष्टाचार के अड्डे को खत्म कर देना है।

श्री श्यामधर मिश्र—

हमने गलती की है तो क्या वह उससे बड़ी गलती करेंगे ?

श्री जमना प्रसाद—

हमारे माननीय सदस्यों को इन जिला परिषदों को भंग करने के कदम का स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि भ्रष्टाचार के अड्डों को जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया, लेकिन अफसोस है कि स्वागत करना तो दूर रहा, उलटे यह कहते हैं कि यह तो प्रजातन्त्र की हत्या हुई है। जनता की भावनाओं की तो हमने कद्र की है। जनता की जो भावना थी, उसने हमें लोक सभा में बिठा दिया, विधान सभा में बिठा दिया और हम जन भावनाओं का आदर करते हुए यह कर रहे हैं, इसके परिणाम में आप देखिएगा कि अप्रैल में इनमें भी जनता, जनता पार्टी के लोगों को भारी बहुमत से विजयी बनाकर बिठाल देगी। जन-भावना का आपको अप्रैल महीने में पता चल जायगा। हमारे एक माननीय सदस्य ने एक संशोधन रखा है कि इसको तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। मैं इसे मानने के लिए बिलकुल तैयार नहीं हूं। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको पारित करें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं ग्राम्य विकास मन्त्री जी से एक जानकारी चाहता हूं, चूंकि उन्होंने उद्देश्य जो बताए हैं अपने विधेयक में, उसमें यह उल्लेख किया है कि वह जिला परिषदों के चुनाव करायेंगे, लेकिन कौन सी प्रणाली होगी, इस पर हम विचार कर रहे हैं, । इस प्रदेश में 877 ब्लाक्स हैं, लगभग 75 हजार ग्राम सभायें हैं, मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या शासन का विचार इन ब्लाकों, ब्लाक समितियों और ग्राम सभाओं के जो चुने हुए लोग हैं, उनको भंग करने का तो नहीं है ?

श्री जमुना प्रसाद—

ऐसा है, यह जो शासन है, यह जनतांत्रिक शासन है। ग्राम सभाओं को जो भंग करने की बात है, उसको हम भंग करने नहीं जा रहे हैं।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं माननीय सदन के दोनों ही पक्ष के सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर चर्चा की। हमारे मन्त्री जी ने स्वयं यह बात तस्लीम की है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है, बदले की भावना से किया है। क्योंकि उन्होंने बार-बार कहा है कि इमरजेन्सी में कांग्रेस ने यह किया है, वह किया है, इसलिए मैंने भी यह किया है। उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि जिला परिषदों के पास बहुत सा रुपया अनस्पेंट रह गया है। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो एक हजार करोड़ रुपए का बजट इस सदन से पास हो रहा है, उसे 31 मार्च तक यदि खर्च नहीं कर पाए, तो क्या वह सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस्तीफा देकर अलग हो जायगी ? अब रही जनता की मांग की बात, तो क्या जनता पार्टी के मैनिफैस्टो में कहीं भी जिला परिषदों को भंग कर देने की बात थी ? तो कहीं क्या जनता की तरफ से डिमान्सट्रेशन हुए कि जिला परिषदें भंग कर दी जायं, क्या आपको मेमोरेन्डम हासिल हुए, क्या कहीं जुलूस निकले इसके लिए ? कहीं कुछ इसके लिए जनता की तरफ से नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि यह जनता की मांग नहीं है। एक गलतफहमी मेरे दोस्त को हो गई कि मैं असेम्बली के चुनाव कराने के पक्ष में था। आप दिल्ली तशरीफ ले जायं, तो गृह मन्त्री के पास फाइलों में मेरी वह चिट्ठी होगी, जिसमें मैंने उनसे कहा है कि आपको इन सूबों में चुनाव की बात करने का कोई हक नहीं है।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर--व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्री हरी सिंह जी आप स्थान ग्रहण करें। आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी मौजूद हैं, आपने कहा था कि एक जगह पर किसी जिला परिषद् ने 60 साल के आदमी .....

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिए। रियासत हुसैन साहब, आपने कहा था।

श्री रियासत हुसैन--

आपने साठ साल के. . . .

श्री अध्यक्ष--

रियासत हुसैन साहब और आप लोग खामोश रहें। आप शान्ति रखिए। आपने दो-तीन मिनट कहा था। आप तो भाषण दे रहे हैं। कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन--

मैं खत्म कर रहा हूं, आधा मिनट में। आपके इस सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी के पी0 ए0 को 58 साल गुजर चुके हैं। उनको एक्सटेंशन देने की बात की जा रही है। इतनी बात कह कर मैं खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री रियासत हुसैन--

नहीं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को तीन माह के लिए जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3 तथा 4

जिला परिषदों के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबंध

2—(1) दिनांक 10 अगस्त, 1977 से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध, एक वर्ष की अवधि अथवा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन जिला परिषदों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिए प्रत्येक जिला परिषद् के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्:— उ0 प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे;

(ख) जिला परिषद्, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसकी समितियों के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट खण्ड (ग) के अधीन अपने अधिकार प्रतिनिहित करें], जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में जिला परिषद्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या समिति समझा जायगा;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट पिछले अन्तिम खण्ड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है;

(घ) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, किसी कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश दे सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती तथा सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक

सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम तीस दिन की अवधि के लिए जो उसके एक सत्र में या एक से अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखी जायगी, और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो जायं, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

विधि मान्यता-

3—जहां जिला परिषद् के अध्यक्ष के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट में निहित रहे हों और वह जिला परिषद् के पुनः संघटन के पश्चात् ऐसे अधिकारों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन तथा पालन पूर्ववत् करता रहा हो, वहां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नए अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अध्यक्ष के अधिकारों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन या पालन करने में कृत किसी कार्य को जिला परिषद् के अध्यक्ष के रूप में विधिमान्यतः किया गया समझा जायगा मानों राज्य सरकार ने उसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के अध्याय 2 के उपबन्धों के अधीन अध्यक्ष के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया हो।

निरसन और अपवाद

उ0 प्र0 अध्यादेश सं0 15, 1977

4—(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 के उपखण्ड (1) के भाग (ख) की पंक्ति 2 में शब्द "कर्त्तव्य" के बाद का समस्त भाग निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"एक समिति में निहित हो जायेंगे जिसमें जिले के सभी संसद सदस्य तथा विधान मण्डल के सदस्य पदेन सदस्य होंगे;"

मान्यवर, मेरे इस संशोधन की परिधि बहुत सीमित है। इस विधेयक के गुणावगुण पर चर्चा सदन में हो चुकी है। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि इस विधेयक के पीछे जो मेरा ख्याल है उससे वह सहमत हैं। यह संशोधन प्रस्तुत करने के लिए तीन कारणों ने मुझे प्रेरित किया है। पहली बात तो यह है कि जिला परिषदें भंग होंगी उनकी जगह पर सारे अधिकार जिलाधीश को दिए जा रहे हैं। जिलाधीश को अधिकार दिए जाने का उस का मतलब यह होगा कि कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता का कोई हाथ जिले के प्रशासन में नहीं

[श्री सोहनवीर सिंह तोमर]

होगा। कुछ साथियों ने कांग्रेस के कुकृत्यों की ओर ध्यान दिलाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा अनुभव है कि जिन संस्थाओं में एक बार नौकरशाही घुस गयी फिर उसने चुनाव नहीं होने दिया। कोआपरेटिव सोसाइटीज में 70 फीसदी में एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बहुत घपला है। तो सारे सूबे का प्रशासन हम जिलाधीशों को दे रहे हैं, यह जनता पार्टी के उद्देश्यों के विरुद्ध है।

मान्यवर, मेरा यह संशोधन एक ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न करता है जिस व्यवस्था के अन्दर सार्वजनिक कार्यकर्ता या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि प्रशासन को चला सकें। मान्यवर, विधायक और एम0 पी0 उस जिले को चला सकते हैं। हमारी काउन्सिल हाउस आफ लार्ड्स इंग्लैण्ड में और राज्य सभा ये परमानेंट सदन हैं। इसी प्रकार से जिला परिषदों को भंग हो जाने पर वहां के विधायक और एम0 पी0 वहां पर रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनकी एक समिति बना दी जाए जो जिले का प्रशासन चलावे। नौकरशाही को जिले का प्रशासन देना ठीक नहीं है, क्योंकि यह अनुभव बताता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सामने बैठे हुए लोगों की राय भी यही होनी चाहिए कि विधायकों और लोक सभा के सदस्यों की एक समिति बनानी चाहिए और उसी में से अध्यक्ष को चुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष——

दूसरे संशोधन को भी आप पेश कर दें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर——

खण्ड 2 के उपखण्ड (1) का भाग (ग) निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :——

"(ग) खण्ड (ख) में गठित समिति में जिला परिषद् के सभी अधिकार निहित होंगे तथा यह समिति अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित करेगी जिसमें जिला परिषद् के समस्त अधिकार निहित होंगे। यह समिति आवश्यकता पड़ने पर अपने कार्यों के सम्पादन के लिए उप समितियां गठित करने के लिए भी प्राधिकृत होगी";

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पहले चर्चा की उससे यह कवर होता है।

श्री जमुना प्रसाद——

मैं माननीय तोमर जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें। मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे शतरुद्ध प्रकाश, राधे श्याम शर्मा जी ने और आप लोगों ने जो भावनाएं रखी हैं उनका ख्याल रखते हुए आपका जो संशोधन है उस पर विचार करेंगे। मेरा विचार है कि तोमर जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर——

मैं संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन सदन के लोगों ने यह राय व्यक्त की है कि एम0 एल0 ए0 और एम0पी0 को उस समिति में रहना चाहिए, मैं चाहूंगा कि वेग नहीं स्पष्ट आश्वासन मन्त्री जी दें।

श्री अध्यक्ष——

माननीय तोमर जी आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां से माननीय सदस्यों की जो कन्सेन्सस है उसको ध्यान में रखते हुए, पालन किया जाय। मैं संशोधन वापस ले रहा हूं।

श्री जमुना प्रसाद—

मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार सदस्यों की भावनाओं को पूरा करने की दिशा में प्रयत्न करेगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर को अपना पहला संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर को अपना दूसरा संशोधन भी वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 और 4 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977

राज्य की जिला परिषदों के प्रशासन के लिए कतिपय अस्थायी प्रबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1977 कहा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गांव सभाओं और विकास खण्डों और जिला परिषदों का निर्वाचन साथ-साथ कराना चाहती है?

श्री जमुना प्रसाद--

मैंने पहले ही बता दिया कि गांव सभाओं के चुनाव के बारे में जो प्रक्रिया है वह शासन की ओर से आरम्भ हो गई है और फरवरी के अन्तिम सप्ताह में या मार्च के प्रारम्भ में गांव सभाओं के चुनाव हो जायेंगे। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि अप्रैल में जिला परिषदों के चुनाव हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना माननीय ऊदल, राम जी तथा श्री प्रदीप कुमार की मिली है जिसमें लिखा है कि 5 सितम्बर, 1977 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों के हजारों अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 ने सभी अध्यापकों को रोका और घेरे बन्दी की और 400 के करीब अध्यापकों को गिरफ्तार किया।

इस पर माननीय मन्त्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

जैसा कि आपने स्वयं सदन को सूचित किया, यह वक्तव्य हम कल दे देंगे।

सीतापुर के अर्जुनपुर ग्राम में श्री राम कुमार की बिजली के तार से मृत्यु तथा उसकी पत्नी और पुत्र के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

अब दूसरा प्रश्न सीतापुर नगर के पास गौरा अर्जुनपुर ग्राम में एक 25 वर्षीय नवयुवक श्री राम कुमार को बिजली के लटकते हुए तार छू जाने से मृत्यु तथा उसकी पत्नी तथा पुत्र के गम्भीर रूप से घायल होने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत विद्युत मन्त्री जी को अपना वक्तव्य देना था लेकिन आज चूंकि श्री के0 के0 नायर की मृत्यु हो गयी है और माननीय मन्त्री जी ने इस वक्तव्य को स्थगित करने की प्रार्थना की है, इसलिए इसे आज स्थगित किया जाता है। फिर किसी दूसरी तारीख को वक्तव्य दिया जायगा।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
7 दिसम्बर, 1977।

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 596 पर।)

देवरिया जनपद में व्याप्त धान की फसल पर खैरा तथा झुलसा रोग की सूचना निम्न प्रकार है :—

	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	दिनांक 21-8-77 तक उपचारित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1—खैरा रोग—		
(अ) देवरिया जनपद ..	37,380	15,641
(ब) पडरौना तहसील ..	7,477	2,039
(स) हाटा तहसील	15,205	5,508
2—झुलसा रोग—		
(अ) देवरिया जनपद ..	7,945	3,854
(ब) पडरौना तहसील ..	2,092	523
(स) हाटा तहसील	2,985	1,825

उपर्युक्त रोगों के विरुद्ध उपचार कार्य अभी जारी है।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 603 पर)

जूनियर इंजीनियरों की मांगों तथा उन पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में विवरण

मांगें—

(1) केन्द्रीय डिप्लोमा इंजीनियरों के वेतनक्रम के बराबर समानता जोकि सामान्य ग्रेड रु0 425—700 और सेलेक्शन ग्रेड रु0 550—900 है।

(2) सामान्य ग्रेड के 25 प्रतिशत पदों को सलेक्शन ग्रेड रु0 550—900 दिया जाना।

(3) सहायक अभियन्ता के संवर्ग में 25 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत पदों का जूनियर इंजीनियरों के लिए आरक्षण।

उपरोक्त मांगों पर शासन द्वारा लिया गया निम्नलिखित निर्णय

(1) सामान्य ग्रेड, उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971-73) की संस्तुति पर रु0 175—300 से बढ़ाकर रु0 300—500 निर्धारित किया गया था। केवल जूनियर इंजीनियरों को केन्द्र के समान वेतन देने का औचित्य नहीं पाया गया।

(2) वेतन आयोग ने स्थायी पदों के 10 प्रतिशत के वेतनक्रम रु0 400—600 के सेलेक्शन ग्रेड में लेने की संस्तुति की थी। शासन ने इसके बजाय जूनियर इंजीनियरों के कुल पदों के (अस्थायी/स्थायी) 20 प्रतिशत को वेतनक्रम रु0 400—750 का सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत कर दिया है।

(3) सहायक अभियन्ताओं के पद पर वर्तमान 25 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाना तकनीकी दृष्टिकोण से तथा कार्य हित में उचित नहीं समझा गया।

इस प्रकार अब हड़ताल सम्बन्धी कोई मांग शेष नहीं रह जाती।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 229 वि0 सभा—(555)—1977—840।